हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 8 दिसम्बर , 2014 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन , तपोवन, धर्मशाला-176215 में 02.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

08/12/2014/1400/MS/JT/1

प्रश्न संख्याः 1345

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, मानपुर में एक मानपुरा स्टोन क्रशर है जोकि consent to establish के आधार पर without consent to operate लगभग दो साल चला है? मैं मुख्य मंत्री जी से इस बारे में जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन दोनों युनिट्स के बारे में उत्तर में पूरी सूचना दी हुई है और दोनों ही युनिट सरकार की अनुमति के अनुसार लगाए गए हैं। इनका प्रदूषण के बारे में निरीक्षण भी हुआ है और ये सही पाए गए हैं। फिर भी अगर माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो वह यदि हमें बताएंगे तो हम संबंधित युनिट में बिना बताए रेड करवा देंगे।

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न के 'ख' भाग के बारे में यह भी जानना चाहता हूं कि जो वहां एक कैडबरी इण्डस्ट्री है , उसका बॉयलर कितने टन का है और वह कितना मिलीग्राम धुआं हररोज निकाल रहा है?

Chief Minister: Speaker, Sir, I do not have such technical details with me. इन्होंने कहा था कि वहां पर धुआं निकलता है और वह धुआं प्रदूषण की नॉर्म्ज से ऊपर है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि वहां पर इन्सपैक्शन हुई है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं पाई गई है। फिर भी अगर उसके बारे में माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो तो वहां पर हम सरप्राइज रेड डालकर उसकी मालूमात करेंगे।

अभी जो जांच हुई थी उसमें जो एमीशन्ज हैं , it is 235 mg which is normal under the rules. अगर फिर भी दुबारा माननीय सदस्य को कोई शिकायत होगी, तो हम दुबारा उसकी इन्सपैक्शन करवा देंगे।

08/12/2014/1400/MS/JT/2

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इस युनिट की लगातार दो-तीन दिन मॉनिटरिंग की जाए क्योंकि सुबह के वक्त उसमें ज्यादा धुआं निकलता है।

मुख्य मंत्रीः ठीक है, सुबह के वक्त वहां निरीक्षण करवा लेंगे।

प्रश्न समाप्त/

08/12/2014/1400/MS/JT/3

प्रश्न संख्याः 1346

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सूचना इन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में दी है, इसमें क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि जैसे मैंने पूछा था कि,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

8.12.2014/1405/जेके/जेटी/1

प्रश्न संख्याः ---1346......**जारी**......

श्री महेन्द्र सिंहः------**जारी**---------

मैंने पूछा था कि आपकी फेडरेशन के पास कितना दूध आता है ? उस दूध से कितना पनीर, कितना मक्खन और कितना घी निकाला गया है ? माननीय मंत्री जी आपने बहुत बड़ी डिटेल यहां पर दी है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि जितना आपके पास दूध आया है उस दूध में से कितना पनीर, मक्खनन, घी निकाला गया और फिर उसके बाद कितना दूध विक्रय किया?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि गत दो वर्षों में प्रदेश में कितनी मात्रा में किस-किस दरों से दूध क्रय किया गया ? दूसरे ख-भाग में आपने कहा है कि पनीर, मक्खन व लस्सी कितने-कितने वजन में तैयार कर के किस-किस मूल्य पर बेची जाती है। इस ख-भाग में कहा है कि हम इसको किस-किस रेट में बेच रहे हैं ? जहां तक आपने प्रश्न किया है कि मिल्क प्रॅक्योर कितना किया गया है ? आपने यहां पर वर्ष 2012-13 की बात की है। हमने मिल्क प्रॅक्योर 259 लाख लीटर किया है। मिल्क मार्केटिंग 95 लाख लीटर की है। घी के बारे में आप कह रहे हैं कि हम कितना प्रोडक्ट बनाते हैं ? हम इसको मार्किट के आधार पर देखते हैं। मिल्क फेडरेशन को मार्किट के आधार पर ही अपना प्रोडक्ट तैयार करना पड़ता है क्योंकि यदि हम ज्यादा प्रोडक्ट बना लें तो उससे हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। हम प्रोडक्ट उतना ही बनाते हैं जितना मार्किट में सेल हो सकता है। इस कम्पिटिशन के अन्दर हमारे प्रदेश में भी बाहर से प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं। हम इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि हमारा रेट बाहर के प्रोडक्ट से कम हो ताकि हमारा प्रोडक्ट आसानी से बिक सके। मिल्क प्रोडक्ट बनाने से मिल्क फेडरेशन को घाटा होता है। हम प्रयास करते हैं कि मिल्क

की मार्केटिंग बाहर भी की जाए। हम अपना सरप्लस दूध दिल्ली डेयरी को विक्रय करते हैं।

8.12.2014/1405/जेके/जेटी/2

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, यह जो स्पैसिफिक सूचना दी है कि जो दूध की मात्रा यहां पर 24923650.5 दर्शायी है उस बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस दूध में से कितना मक्खन निकाला, कितना घी निकाला, कितना पनीर निकाला और उसके बाद मार्किट में कितना दूध बेचा गया? जो दूध मार्किट में बेचा वह किस रेट में बेचा? क्योंकि मक्खन भी दूध से निकलेगा, घी भी दूध से ही निकलेगा और पनीर भी दूध से ही निकलेगा। जो ये तीन चीजें हैं यह कितनी-कितनी मात्रा में निकाली और उसके बाद कितना दूध मार्किट में बेचा गया?
अध्यक्षः माननीय मंत्री जी सूचना है तो दे दीजिए।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, हम प्रोडक्ट उतना ही निकालते हैं जितनी मार्किट में डिमाण्ड हो और उसके बाद जितना दूध बचता है उसको विक्रय कर देते हैं। हमने पहले मिल्क पाऊडर भी बनाया था लेकिन वह नहीं बिका। प्रोडक्ट मार्किट के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि पहले घी 300 रूपये किलो बेचा था लेकिन अब हम 400 रूपये किलो बेच रहे हैं। कई बार मार्किट घटती बढ़ती रहती है। इस कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए हम पैसे को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। आप यहां पर मिल्क को प्रक्योर करनी की बात कर रहे हैं उससे भी हमें बहुत लॉसिज होते हैं क्योंकि इसमें ट्रांस्पोर्टेशन लॉसिज भी आते हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

8.12.2014/1410/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1346 क्रमागत

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री क्रमागतः

और इसमें ट्रांसपोर्टेशन लॉस भी होता है। यदि आप पर लीटर की बात कर रहे हैं तो फैडरेशन को प्रॉफिट में चलाने के लिए इस बात को ध्यान में रखता जाता है कि हमें प्रोडक्ट में फायदा है या हमें ऐज़ ए लिक्विड फॉर्म में बचने में फायदा है। इन सब बातों को देखते हुए हम प्रयास करते हैं। जो प्रोडक्ट क्वांटिटी की बात है इसकी सूचना मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है वह पनीर,

घी सेल करने की है **लेकिन कितना बनाया उसकी जानकारी मैं विभाग से लेकर आपको दे दूंगा।**

श्री महेन्द्र सिंहः मंत्री जी, आपने जो दूध उत्पादक हैं, पशु पालक हैं, उनसे एवरेज में 17 रुपये पर लीटर में दूध क्रय किया। उस दूध में से इस पीरियड के बीच में आपने पनीर भी तैयार किया। आपने घी और मक्खन भी तैयार किया और लस्सी भी बेची। जो आपका रिप्लाई है उसके अनुसार आपने लस्सी 18 रुपये में बेची। जो दूध पैदा करता है आप उसका दूध 17 रुपये पर लीटर में ले रहे हैं। लेकिन जो आपकी लस्सी है जिसमें से सब कुछ निकाल लिया जाता है आप उसको 18 रुपये किलो में बेच रहे हैं। हमारी चिन्ता दूध उत्पादकों के बारे में है। आपने जो रिप्लाई दिया है यह महीनावार है। इस महीनावार में वर्ष 2012-13 में जितना आपने दूध कॉलैक्ट किया, उसमें वर्ष 2013-14 में गिरावट आई है। दूध की मात्रा 24923650 लीटर से कम होकर 21646723 लीटर आ गयी। हमारी चिन्ता है कि क्या सरकार या विभाग को यह फैडरेशन प्यारी है या आपको इस देश का दूध उत्पादक प्यारा है। आज मार्किट में दूध की कीमत 40, 45 या 50 रुपये प्रति लीटर है। क्या आप प्रदेश के दूध उत्पादकों और पशुपालकों के हितों का ध्यान रखते हुए दूध के मूल्य को बढ़ाने की सोच रखते हैं? कम-से-कम यह 30 रुपये प्रति लीटर हो जाए। अन्यथा मेरा मानना है कि यही वजह है कि आपके दूध की आवक घट रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इसके रेट को बढ़ायेंगे?

8.12.2014/1410/SS-AG/2

दूसरा, जो इस स्पैसिफिक पीरियड के बीच में आपने मक्खन, घी और पनीर बनाया क्या आप उसकी मात्रा बतायेंगे कि कितनी मात्रा तैयार की? अगर उस सारी कीमत को जोड़ दिया जाए तो दूध उत्पादकों का नुकसान है और आपकी फैडरेशन को फायदा हो रहा है। क्या आप इस बारे में अपना उत्तर देंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्य जो इस बात को कह रहे हैं कि हिमाचल सरकार, हिमाचल फैडरेशन दूध की कीमत कम दे रही है, सही नहीं है। मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यदि हम इसकी तुलना दूसरे प्रदेशों के साथ करें तो उस तुलना के हिसाब से हिमाचल में 3

परसैंट फैट और 7.7 परसैंट SNF के ऊपर जो हम रेट दे रहे हैं वह 16 रुपये 41 पैसे है। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यदि हम दूध के रेट की पंजाब के साथ तुलना करें, पंजाब में इसी फैट और SNF का दूध वहां की फैडरेशन 12 रुपये 40 पैसे में प्रॅक्योर कर रही है और हरियाणा में 10 रुपये 76 पैसे। इस प्रकार हिमाचल में दूध की कीमत पंजाब और हरियाणा से ज्यादा दे रहा है। एक बात आप लस्सी की कर रहे हैं। मैं आपको दूध से निकाले मिल्क प्रोडक्ट की बात बता रहा हूं कि दूध से पनीर बनता है और दूध से ही घी व लस्सी बनती है। मैं आपको एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि मिल्क फैडरेशन कहां घाटे में थी। आप इस बात को भी देखें। आप इस बात को भी देखें कि हमने पिछले सालों के अंदर मिल्क फैडरेशन को घाटे से बाहर निकाला है। यदि प्रॅक्योरमैंट कॉस्ट की बात है तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपकी एक सोसाइटी है जहां 70 लीटर दूध आता है और उसकी प्रॅक्योरमैंट कॉस्ट 18 रुपये प्रति लीटर है। अब आप बताईये कि हम 18 रुपये पर लीटर में प्रॅक्योरमैंट कर रहे हैं यदि हम उस सोसाइटी को बंद कर देते हैं तो आप खुद परेशान हो जायेंगे कि आपने सोसाइटी क्यों बंद कर दी। क्योंकि यहां पर 70 लीटर के लिए 18 रुपये पर लीटर प्रॅक्योरमैंट कॉस्ट दी जा रही है। हिमाचल सरकार उस दूध को भी उठा रही है जहां हमें ज्या◌ेदा कीमत देनी पड़ रही है। इसलिए यह कह देना गलत होगा कि हम फैडरेशन के माध्यम से कीमत कम दे रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले वर्ष में लगभग 28 करोड़ रुपये ग्रांट-इन-ऐड

8.12.2014/1410/SS-AG/3

बढ़ाई है। हमने फैडरेशन को घाटे से उभारने का प्रयास किया है और किसानों तथा जो मिल्क प्रोड्यूसर्ज़ हैं उनको अच्छी कीमत मिले..

जारी श्रीमती के0एस0

08-12-2014/1415/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 1346 जारी---

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी---

मिल्क प्रोड्यूसर को अच्छी कीमत मिले, यह मिल्क फैडरेशन की जिम्मेवारी बनती है, और हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को मिल्क फैडरेशन की चिन्ता ज्यादा है और प्रदेश की जनता की चिन्ता कम है? क्या आप इस मिल्क फैडरेशन को, जैसे कि आपने कहा कि दूध को इकट्ठा करने के लिए ट्रांस्पोर्टेशन हमें ज्यादा लॉसिज़ पहुंचा रहे हैं, क्या आप इस सारे को आऊट सोर्स करने के बारे में कुछ सोचेंगें ? दूसरे, आप जो हरियाणा और पंजाब आदि दूसरे राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं, मंत्री जी, हरियाणा और पंजाब से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो हिमाचल प्रदेश की जनता से मतलब है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट कर सके, क्या आप दूध की कीमत को बढ़ाने का प्रयास करेंगें?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मंत्री जी ने कह दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।

प्रश्न समाप्त

08-12-2014/1415/केएस/एजी/2

प्रश्न संख्याः 1347

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसमें दर्शाया गया है कि 31.8.2012 को राजकीय पोलिटैक्नीक कॉलेज कलोल, जिला बिलासपुर के भवन का शिलान्यास किया गया था। मु0 260.00 लाख रुपये की राशि इसके लिए जारी कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार को बने हुए दो वर्ष हो गए हैं । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि उसके एस्टिमेट के लिए प्रोसैस जारी है । इसी से नज़र आता है कि सरकार इस भवन के प्रति कितनी गम्भीर है । क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगें कि इसके नक्शे कब तक फाईनल कर दिए जाएंगें और और इस भवन का टैण्डर प्रोसैस कब तक पूरा कर दिया जाएगा? It shows the efficiency of the Government, यह मेरा इस माननीय सदन के अन्दर आरोप है अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में बतलाने की कृपा करेंगें?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है मगर विभाग को जमीन सितम्बर, 2014 में ट्रांसफर हुई है और वह भी अभी तक सिर्फ 12 बीघा हुई है । 18 बीघा जमीन का एफ.सी.ए.को केस बन कर गया है और अभी इसकी परमीशन आनी है। उसके बावजूद मैं खुद भी 15 अगस्त को बिलासपुर गया था, मैंने उस समय भी कहा
था कि हम जल्दी से जल्दी एफ.सी.ए. से क्लीयरैंस लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि नक्शा एक ही बार बने, भवन भव्य बने और 2 करोड़ 60 लाख रुपया हमने पी.डब्ल्यू.डी. को दे दिया है । पी.डब्ल्यू.डी. काम करेगा, नक्शे वगैरह के कार्य को हम फॉलो कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस काम को करवाने का प्रयास करेंगें।

08-12-2014/1415/केएस/एजी/3

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब शिलान्यास हुआ, तो जगह ट्रांसफर करने के बाद ही शिलान्यास होता है और 12 बीघा जमीन के बारे में जो ये बता रहे हैं, इसका एफ.सी.ए. का पैसा पिछली सरकार के समय में जमा हुआ था उसके बाद क्लीयरेंस मिली तब शिलान्यास हुआ तो मंत्री जी क्या उसके बारे में स्पष्ट करेंगें?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी इस भवन का शिलान्यास 31.08.2012 को किया गया था और इस संस्थान में जमीन तब तक ट्रांसफर नहीं हुई थी । कौंडल जी, आपने शिलान्यास कर दिया था । ***अब मैं कह रहा हूं कि एफ.सी.ए. की क्लीयरेंस करवाकर मैं जल्दी से जल्दी इस कार्य को करवा दूंगा।***

प्रश्न समाप्त

08-12-2014/1415/केएस/एजी/4

प्रश्न संख्याः 1348

श्री ईश्वर दास धीमानः अध्यक्ष महोदय, विभागीय उत्तर के अनुसार हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक सहकारी सभा को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 3 प्रतिशत सहकारी शिक्षा

निधि के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ को जमा करवाना पड़ता है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

08.12.2014/1420/jt-av/1

प्रश्न संख्या : 1348-------- क्रमागत

श्री ईश्वर दास धीमान------ जारी

जमा करवाना पड़ता है और यह नियमों के अधीन है। इसके बाद हिमकोफैड को सहकारी शिक्षा के लिए जिला सहकारी संघों को इसका 50 प्रतिशत देना पड़ता है। वह पैसा मिला नहीं और जवाब भी मैं समझता हूं कि अधूरा आया है। पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने आंशिक जवाब दिया है। आपने 6 जिलों का आंशिक जवाब दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी 6 जिलों की स्थिति क्या है? आपने केवल जिला कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, सोलन, बिलासपुर और सिरमौर जिलों के बारे में जवाब दिया है बाकी मण्डी, चम्बा, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पिति और किन्नौर जिलों के बारे में जवाब नहीं दिया है। इनकी स्थिति क्या है, मैं यह भी जानना चाहूंगा ? दूसरी बात, आपने कही कि इन 6 जिलों को इतना -इतना लाभांश का 50 प्रतिशत हिमकोफैड से मिला है। उस हिस्से में से शिक्षा के लिए डेढ़ प्रतिशत होना चाहिए था। लेकिन उसको भी हिमकोफैड अपने पास रख रहा है और उसमें से आंशिक रूप से पैसा सहकारी शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए रख रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनका कितना बनता है और जिला सहकारी संघों का हिस्सा कितना बनता है तथा हिमकोफैड से इनको कितना मिलता है ? अगर कम मिलता है तो क्यों कम मिलता है ? इनको ये सारा पैसा मिलना चाहिए। पैसे की कमी के कारण जहां तक सहकारी शिक्षा पहुंचनी चाहिए वह नहीं पहुंच पा रही है। एक तो सामान्य समितियों तक यह शिक्षा पहुंचनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसके प्रचार-प्रसार के साथ अघात हुआ है और यह सहकारी आन्दो लन से बेइन्साफी है। मैं कहना चाहता हूं कि यह पैसा थ्रू हिमकोफैड क्यों दिया जाए , यह सीधे जिला संघों को क्यों न दिया जाए। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय इस तरह का आश्वासन देंगे कि यह पैसा हिमकोफैड को जाने की बजाय सीधे जिला सहकारी संघों को जाए।

08.12.2014/1420/jt-av/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उत्तर दिया है वह काफी विस्तृत है। माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ जिलों को मिल रहा है और कुछ जिलों को नहीं मिल रहा है। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश में वर्तमान में 12 में से 8 जिलों में सहकारी समितियां काम कर रही है। 8 में से 6 को ऐजुकेशन फण्ड प्राप्त हुआ है। बाकी दो कुल्लू और मण्डी जिला में इनका हाल ही में गठन हुआ है। As and when HIMCOFED receives request from them, their cases will also be decided. और जो बाकी 4 जिलें चम्बा, लाहौल-स्पिति, किन्नौर और शिमला , they do not have registered level bodies. और मैं देख रहा हूं कि इस हिमकोफैड के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी गई है उस में से काफी ऐजुकेशन कैम्पस खुले हैं और उनमें काफी मात्रा में लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रश्न आपका यह है कि यह हिमकोफैड को क्यों दिया जा रहा है क्यों न डायरैक्ट सोसायटीज को दिया जाए , it is a suggestion for action. We will consider it. If found feasible, we will act on it. If we do not find it feasible, the status quo will be maintained.

समाप्त

श्री बी.जे.द्वारा जारी

08.12.2014/1425/negi/jt/1

प्रश्न संख्याः 1348.. जारी......

श्री ईश्वर दास धीमान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला सहकारी संघों को 3 परसेन्ट के हिसाब से कितना-कितना पैसा बनता है?और उन्हें आगे हिम को-ओपरेटिव फैडरेशन ने कितना-कितना पैसा दिया है, अगर कम दिया है तो क्यों दिया? जो पैसा कम दिया है क्या वो पैसा उनको मिलेगा ?

मुख्य मंत्रीः क्योकि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया था इसलिए मेरे पास सूचना नही है । यह सूचना मैं इकट्ठा करूंगा और माननीय सदस्य को भी इसके बारे में सूचित करूंगा।

समाप्त

08.12.2014/1425/negi/jt/2
प्रश्न संख्याः 1349.

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी है यह पूरा नही है क्योंकि मैंने तो 3 वर्षों का ब्यौरा मांगा था लेकिन आपने 2 वर्ष का ही ब्यौरा दिया है। इन दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं के लिए पैसा आया है। मण्डी विकास सहायता, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा भेड व ऊन सुधार स्कीम के लिए वर्ष 2012 -13 में 402.97 लाख रूपये और वर्ष 2013-14 में 366.70 लाख रूपये आया है। इस तरह से कुल मिला कर 7.69 करोड़ रूपये आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मदवार कितना -कितना पैसा, किस-किस योजना के लिए दिया गया और लोगों की पात्रता कैसे तय की गई ? क्या यह सहायता रजिस्टर्ड भेड़ पालकों को दी गई या जो केवल भेड़-पालक है और रजिस्टर्ड नही है उनको भी दिया गया ? दूसरा,उनको जो सामग्री वितरण की गई उसमें आपने कहा है कि किट दी गई और उनके लिए डिप टैंकों के लिए डिपिंग-ड्रेचिंग सामग्री दी गई और इसके अलावा भेड़ों की नस्ल सुधार के लिए कुछ मेंढ़े भी दिए गए। इसके अतिरिक्त भी क्या उनको अन्य कोई सामग्री भी दी गई थी? अगर दी गई थी तो क्या इस प्रकार के पात्र लोगों को आईटेन्टफिाई किया गया है? अगर किया गया है तो आईडेन्टिफिकेशन किस माध्यम से करवायी गई और फिर कितने भेड़-पालक आईडेन्टिफाई हुए ?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि दो साल की सूचना दी है। जब यह खुद 3 साल की सूचना पढ़ रहे हैं तो फिर दो साल की सूचना हमने कैसे दी है? यहां पर तो आपने 3 साल की सूचना पढ़ी है। ...व्यवधान.. जहां तक आपने कहा कि पैसा कहां से आया? उसका भी विस्तृत जानकारी आपको दी गई है , पहले साल वर्ष 2011-12 में किस मद से पैसा आया, वर्ष 2012-13 में किस मद से पैसा आया और वर्ष 2013-14 में किस-किस मद से पैसा आया। उसके बाद हमने आपको यह विस्तृत जानकारी दी है कि वर्ष 2011-12 के बाद इस पैसे को हमने कहां-कहां, किस तरीके से खर्च किया। इस बारे में भी

08.12.2014/1425/negi/jt/3

विस्तृत जानकारी है, यदि मैं इसको यहां पढ़ने लग जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा जबकि यह सूचना आपके पास है। दूसरा, आपने पूछा है कि भेड़-पालक कौन है? वही भेड़ पालक है जो रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड भेड़ पालक हैं उन्हीं को ही हम सहायता देते हैं। जहां तक आपने कहा है कि ज्यादातर हमारे घुमन्तु भेड़-पालक हैं, जिनका हम खासकर ध्यान रखते हैं जिनको हम इस तरह की सामग्री भी देते हैं। इन भेड़ पालकों की रजिस्ट्रेशन वैटरीनरी इंस्टीट्युशन्ज़ के द्वारा किए जाते हैं। जहां तक आपने सामग्री की बात की, उनको मोबाइल डिप टैंक, भेड़ नहलाने के लिए व अन्य बीमारियों से बचाव के लिए हम उनको पशु-औषधियां, पशु औषद्यालयों के माध्यम से देते हैं।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

08-12-2014/1430/**यूके**/**एजी**/1

प्रश्न संख्या-1349---**क्रमागत**----

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, 5 तारीख को भी इसी प्रकार का एक प्रश्न लगा था। जिसका उत्तर माननीय वन मंत्री जी ने दिया था और जिन्होंने उसमें सूचना दी है कि प्रदेश में कुल 2526 रजिस्टर्ड भेड़-पालक हैं। वैसे तो जिसके पास दो भेड़ है वह भी भेड़पालक है जिसके पास दस भेड़े हैं वे भी भेड़-पालक है। जो सुबह जंगल में जा कर शाम को आकर घर में सोता है वह भी भेड़-पालक है। तो मुझे लगता है कि यह तो उनको मिलनी चाहिए थी कि जो भेड़-पालक बहुत कम समय तक घर में रहते हैं। गर्मियां आती हैं तो ऊपर के पहाड़ों के जंगलों में चले जाते हैं और जब सर्दिया आती हैं तो वे मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। उसमें हस्तक्षेप करते हुए मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि जो तरपाल, टैंट, किट, जूते तथा लाइटें उनको दी जाती हैं वह सब उन्हीं रजिस्टर्ड लोगों को दी जानी चाहिएं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आपने इस लिस्ट का अनुपालन किया है। मैं मान्यवर मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से विभाग का पैसा देने की बजाय एक ही विभाग के नीचे यह सब दी जाएं तो ज्यादा उचित रहेगा। माननीय मंत्री महोदय ने कल जवाब देते हुए यह कहा था कि यह पैसा ट्राईबल एक्शन प्लान के अन्तर्गत पशु-पालन विभाग बांटता है। तो जब पशु-पालन विभाग ने जवाब दिया तो इन्होंने टैंट इत्यादि का कोई ब्योरा नहीं दिया अर्थात् नहीं दिए जा रहे। जब कि कल मुख्य मंत्री जी का कहना था कि यह पशु-पालन विभाग दे रहा है।

तो मैं इसमें सत्यता जानना चाहूंगा कि क्या है? और इसमें वूल फैडरेशन जो सामान दे रही है वह कौन-कौनसा सामान है, क्योंकि देने वाली ऐजेंसी कई हैं और यदि पात्रता कोई नहीं देखेगा तो यह सामान यूं ही खत्म हो जायेगा। इसमें भी क्या माननीय मुख्य मंत्री जी हस्तक्षेप करके इसका निराकरण करेंगे ?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया है, यह सही है कि जो भी सुविधाएं, खासकर छाता, बरसाती तथा तम्बू है, यह इन्हीं के लिए है

08-12-2014/1430/यूके/एजी/2

जो कि वास्तव में भेड़ बकरी के साथ कंडे में जाते हैं, वापिस आते हैं। जिनको हमारी भाषा में फवाल कहते हैं यह फवालों के लिए है वह दूसरों के लिए नहीं है और इसको इसी के लिए सीमित किया जाना चाहिए। इसके बारे में सम्बन्धित विभाग को स्पष्टीकरण दिया जायेगा।

श्री महेश्वर सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय मैं जानना चाहा था कि क्या ये सभी सुविधाएं जो प्रदान की जाती हैं वह एक विभाग द्वारा दी जाएं तो ज्यादा उचित रहेगा। यदि इसको विभिन्न विभाग देंगे तो कहीं डुप्लीकेसी भी आ जायेगी।

Chief Minister: I will look into in this matter.

08-12-2014/1430/यूके/एजी/3

प्रश्न संख्या- 1350

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने माना है कि जो गुम्मा पॉवर हाऊस चिड़गांव में स्थित है, 3.0 मेगावाट का है और यह दो साल, 29-10-2012 से बन्द पड़ा है और इसमें लगभग 31 कर्मचारी वहां पर तैनात किए गए हैं और दो साल से उनको भी मुफ्त की तनख्वाह दी जा रही है। जबकि यह प्रोजेक्ट बन्द पड़ा है। इन्होंने अपने डिटेल्ड रिप्लाई में कहा है कि हम इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कमिशन करेंगे। मेरा माननीय मंत्री महोदय से

आग्रह है कि विभाग को आदेश दिए जाएं कि इसके कमिशन के कार्य को और ज्यादा ऐक्सपीडाईटड किया जाए तथा इन दोनों डेढ़-डेढ़ मेगावाट के यूनिट को जल्दी से जल्दी शुरु किया जाए।

बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी , आदेश दे दिए जाएंगे।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी ----

08.12.2014/1435/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 1351

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हम केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आभारी हैं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पांच महत्वूपर्ण बाईपासिज के निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इनमें से दो बाईपासिज, जोगिन्द्रनगर बाईपास और ठियोग बाईपास, के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए मामले को चीफ इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश पी. डब्ल्यू. डी. नेशनल हाईवे डिविजन बार-बार भारत सरकार के मंत्रालय से उठाते रहे हैं। जहां तक जोगिन्द्रनगर बाईपास की बात है, इसकी प्रिलिमनरी प्रोजैक्ट रिपोर्ट 2010 में स्वीकृत हो गई थी। नेशनल हाईवे के लैंड एक्युजीशन पेपर्ज़ की नोटिफिकेशन भी हो गई है। 03 मार्च को यह सारे पेपर्ज़, जिनका विवरण माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी दिया है कि यह ऐस्टिमेट 11.16 करोड़ रुपये का है, यह पेपर्ज़ पिछले तीन वर्षों से मंत्रालय में लंबित पड़े हैं। तीन वर्ष हो चुके हैं और चौथा वर्ष अब शुरू हो रहा है। अगर यह स्वीकृतियां इसी हिसाब से भारत सरकार से आने लगीं तो यह पांच बाईपास 50 सालों में भी नहीं बन पाएंगे। क्या हिमाचल प्रदेश सरकार प्राथमिकता के आधार पर कम -से-कम यह दो बाईपास, जिनकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को भेजी गई है , जो जोगिन्द्रनगर बाईपास और ठियोग बाईपास हैं, इनके लिए प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार से लैंड ऐक्युजीशन और कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे का अनुरोध करेंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि कुल मिलाकर छः बाईपासिज हैं जिनके बारे में केंद्र सरकार कदम उठा रही है। इस साल के बजट में जोगिन्द्रनगर बाईपास के लिए 11.15 करोड़ रुपये का ऐस्टिमेट दिया गया था और उसमें शायद 9.00 करोड़ रुपया लैंड ऐक्युजिशन के लिए आया है। इस बाईपास हेतु

लैंड ऐक्युजीशन के लिए के लिए 9.00 करोड़ रुपया आया है जिसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण कार्य किया जाएगा। ठियोग बाईपास के लिए भी पैसा आया है। जोगिन्द्रनगर बाईपास का ऐस्टिमेट 11.15 करोड़ रुपया था और it has been now revised and for this year for Jogindernagar bypass Rs. 9 crores has been kept for land acquisition.

जारी..गर्ग जी

08/12/2014/1440/RG/JT/1
प्रश्न सं. 1351-----क्रमागत
मुख्य मंत्री-------------क्रमागत

जहां तक ठियोग बाई पास की बात है, **तो उसके लैण्ड ऐक्वीजिशन के कागज़ात भारत सरकार के पास लम्बित हैं और जैसे ही वहां से अप्रूवल आएगी, लैण्ड ऐक्वीजिशन की प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाएगी।** बाकी जो पाई पासिज़ हैं उनके लिए अभी कोई फण्डिंग नहीं हुई है , **हम इस बारे में बार-बार मंत्रालय का ध्यान दिला रहे हैं, लेकिन अभी कोई धन की प्राप्ति नहीं हो पाई है।**

प्रश्न समाप्त

08/12/2014/1440/RG/JT/2

प्रश्न सं. 1352

श्री अनिरूद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं प्रश्न के उत्तर से बिल्कुल सन्तुष्ट हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि जो उपायुक्त कार्यालय, शिमला का कर्मचारी था जिसे दिल्ली में लक्वा मार गया और जब उसने कार्यालय आकर अपने मैडिकल के बिल्ज़ सबमिट किए, तो उसको कहा गया कि हास्पीटल ऐम्पैनल्ड नहीं है। उत्तर में भी यह बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि विभाग प्रतिपूर्ति हेतु प्रशासी विभाग स्वयं सक्षम है। तो एक ऑर्डर किया जाए कि पुनः ऐसे केस ध्यान में आएं या कर्मचारी लाएं , तो इसमें तुरन्त कार्रवाई की जाए।

Health & Family Welfare Minister : Mr. Speaker, Sir, every department has been authorized to give medical reimbursement to its employees. If in

an emergency case, some operation or some medical treatment is required outside the State, the department is competent. So, there is no such problem, and in Himachal Pradesh 74 private institutions are empanelled and outside the State, 29 institutions are empanelled for the medical reimbursement. और **जो इन्होंने कहा है , तो सभी डिपार्टमैंट्स को दुबारा निर्देश जारी कर देंगे।**

Speaker : I think, medical reimbursements are made as per the norms of the Government hospitals and not of the private hospitals.

Health & Family Welfare Minister : Sir, within the State, it is made in accordance with the rates which have been fixed by the Rogi Kalyan Samiti and outside the State, it is given under the Central Government Health Scheme. गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम के अन्तर्गत उनको रिइम्बर्स किया जाता है।

प्रश्न समाप्त

08/12/2014/1440/RG/JT/3

प्रश्न सं. 1353

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय कई वर्षों से प्रदेश में एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है और जब से यह सरकार सत्ता में आई है, तब से ज्यादा बन गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये प्रदेश में जहां भी दौरा करते हैं, हर जगह इस विषय पर इनकी एक नई स्टेटमैंट आ जाती है। इसलिए मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय के तथ्य यहां पर रखना चाहूंगा। एक तो यहां जो 'क' और 'ख' प्रश्न का उत्तर दिया गया है, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें या तो विभाग को पता नहीं होगा या माननीय मुख्य मंत्री जी को पता नहीं है। विश्वविद्यालय के नाम देहरा में रजिस्ट्री हो चुकी है। मैं इसके सारे आंकड़ें आपके सामने ले भी कर दूंगा और मैं उसके कागज़ात भी यहां लेकर आया हूं। लगभग 900 कनाल भूमि देहरा के साथ लगता गांव अमरपुरी है, 800 कनाल के लगभग वहां भूमि है और उसके साथ ही बाड़ी पंचायत लगती है जहां पर जखोलीटिका पड़ता है, वहां लगभग 78 कनाल भूमि वहां है। इसमें साफ तौर पर राजस्व विभाग में लिखा है-----------------------जारी

प्रश्न एम.एस. द्वारा जारी

08/12/2014/1445/MS/JT/1

प्रश्न संख्याः 1353 क्रमागत-----श्री रविन्द्र सिंह जारी----------

इसमें साफ तौर पर आपके राजस्व विभाग ने लिखा है कि मिनजानव सरकार हिमाचल प्रदेश वहक केन्द्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार वसूरत इन्द्राज जरीद स्वीकार है, सुनाया गया। इसका मतलब यह है कि इन्काल शेष है तथा भूमि केन्द्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के नाम हो चुकी है। जो इन कागजों में अच्छा पढ़ा जा रहा है। मैं इसकी एक प्रति इस माननीय सदन में ले भी करता हूं और साथ में मुख्य मंत्री महोदय से एक निवेदन भी करता हूं कि जहां 900 कनाल भूमि दे दी गई है, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम रजिस्ट्री हो चुकी है, वहां उसका शुभारम्भ करवाएं। आप जब हमीरपुर आते हैं तो वहां कुछ और स्टेटमैंट दे रहे हैं, देहरा में कुछ और , धर्मशाला में कुछ और तथा प्रदेश के अन्य भागों में कुछ और ही स्टेटमैंट दे रहे हैं। दूसरे, जो मुख्य मंत्री जी ने यहां सभी विश्वविद्यालयों की प्रति ले की है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि प्रतिलिपि ले की जाए, वह प्रति पूरे देश के लिए जो 12 विश्वविद्यालय दिए, उन 12 विश्वविद्यालयों की प्रतिलिपि आपने ले की है। हिमाचल प्रदेश को जो विश्वविद्यालय दिया गया, उसकी सही मायने में जो नोटिफिकेशन हुई, वह 23 अप्रैल, 2010 को हुई। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निदेशक आर0जी0 सहाय है, उनके द्वारा यह पत्र यहां प्रदेश सरकार को लिखा गया है। उस समय के हमारे सचिव शिक्षा जोकि वर्तमान में वित्त सचिव हैं, उनको यह चिट्ठी लिखी गई है। उन्होंने लिखा है कि Subject: Establishment of Central University of Himachal Pradesh. I am directed to refer to the visit of the Site Selection Committee for the establishment of Central University of Himachal Pradesh and to say that having considered the report of the Committee, the Central Government has approved the establishment of the Central University of Himachal Pradesh with its headquarters and temporary campus at Dharamsala and two distinct campuses on the sites offered by the Govt. of Himachal Pradesh in Dehra and Dharamsala in

08/12/2014/1445/MS/JT/2

Kangra district. 2. While the main campus of the university will be located at Dehra, the other campus at Dharamsala will have such other schools

and departments which do not require massive infrastructures, as recommended by the Committee. 3. The State Government would ensure immediate handing over the lands free of any encumbrances for two campuses simultaneously after obtaining all approvals/clearances from the Environmental Department so that the temporary campus of the university would be started at Dharamsala from the building, जो आगे चली हुई है और जहां भी चली है, उसका लिखा हुआ है।

मुख्य मंत्रीः आप डिबेट कर रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं? मुझे सब पता है। आप प्रश्न पूछिए।

श्री रविन्द्र सिंहः सही मायने में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की यह नोटिफिकेशन हुई है।

अध्यक्षः आप पत्र का रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? आप प्रश्न पूछिए। Don't speak too long.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, सच्चाई सामने आनी चाहिए।

अध्यक्षः अगर आप कागज पढ़ते जाएंगे तो प्रश्नकाल का समय समाप्त हो जाएगा।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय से बड़ा यहां पर क्या काम है? केन्द्रीय विश्वविद्यालय यहां स्थापित किया जा रहा है, उसके बारे में अपनी बात रखने का हमें मौका दिया जाना चाहिए।

अध्यक्षः यह प्रश्नकाल है न की डिस्कशन आवर है। It is Question Hour and you make a question.

08/12/2014/1445/MS/JT/3

रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, अगला मेरा यह प्रश्न है कि क्या यह सही नहीं है कि साइट सलैक्शन कमेटी द्वारा समय-समय पर प्रदेश का दौरा किया जाता रहा? मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देहरा में जो सारा कैम्पस है, वहां पर उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसकी चर्चा मैं यहां कर रहा हूं। उस कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार को क्या दी गई? वहां जो फॉरैस्ट लैंड आई है, वह कितनी है? क्या वह माकूल लैंड है? उन्होंने जो सारी रिपोर्ट दी और फिर बाद प्रदेश में आपकी सरकार आई तो उसके बाद जो यहां कमेटियां बनती रहीं और उनको जो यहां पर गुमराह

करने की कोशिश की जाती रही, मैं जानना चाहता हूं कि कितनी बार साइट सलैक्शन कमेटी ने प्रदेश का भूमि के चयन हेतु दौरा किया? आपके समक्ष जो उस कमेटी के ब्योरे की रिपोर्ट्स समय-समय पर आई, क्या उसकी प्रति यहां सदन में ले करेंगे?

अध्यक्षः ठीक है, आपने प्रश्न पूछ लिया है और फिर दुबारा प्रश्न पूछ लेना। आपने इतना लम्बा प्रश्न पूछ लिया है, इसका जवाब मुख्य मंत्री जी जवाब कैसे देंगे?

Chief Minister: Speaker, Sir, instead of asking question, Hon. Member resorts to accusations and aspersions which is not parliamentary. He should confine his question to the issue he wants to raise through this question.

Contd...by..ag/js

8.12.2014/1450/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 1353-------जारी-------

Chief Minister Continued . . .

He should confine to what he wants to raise by trimming this question. I would like to say that the permission under Forest (Conservation) Act, 1980 has not been received for diversion of forest land for Dehra and Dharamshala campus of the Central University till today. ...(Interruption)... Let me finish. The Ministry of Environment and Forest has only informed that Forest Advisory Committee has recommended diversion of 81.7918 hectares of land of Dehra Campus and requested revised proposal pertaining to Dharamshala Campus area of 156.6620 hectares. The matter is being further pursued. Now, I am not a person who indulges in any politics on location of educational institution. What was decided was that one Central University will be opened in District Kangra and we stand by it. Now, after the decision, tussle started. Some said that it should be at Dharamshala and some said that it should be at Dehra. Some said that it should be at two places. I fail to understand how one University can have two parts, that is 40 kms apart. What are you fighting for? This is something absurd. Whether it is opened in

Dharamshala; whether it is opened in some other place in Kangra District; we are not going to play dirty politics and dissidence politics on this issue. We will decide this matter on the merit of the case.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत ऊंचे आदर्श की बात की है। सारा रिकॉर्ड सरकार के पास है । मैं जानना चाहूंगा कि किसने सजैस्ट किया कि दो केम्पस होने चाहिए? हमारी सरकार के समय में यह अप्रूव हुआ और साईट सलैक्शन कमेटी भारत सरकार की आई। हमने कहा कि बैजनाथ से लेकर जस्सूर तक सारा कांगड़ा एक है। जहां पर भी जगह मिले वहां पर बना लो, लेकिन वे 7 हजार कनाल जगह चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, भाषण देने से कुछ नहीं होता है। रवि जी बात कनाल में कर रहे थे और माननीय मुख्य मंत्री जी एकड़ में कर रहे थे। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने 8.78 पढ़ा वह 87 8 कनाल ही होता है। Don't confuse. Our Government never suggested two campuses. It was the Government of India that proposed these two campuses because of Dharamshala being the district headquarters. वहां पर

8.12.2014/1450/जेके/एजी/2

भाषा,कला एवं संस्कृति विभाग का एक हॉल था उसमें सत्र शुरू हुआ लेकिन केम्पस बहुत बड़ा चाहिए था। वह सेन्ट्रल सलैक्शन कमेटी के माध्यम से ही साइट सलैक्शन हुआ। आप कभी किसी एम0पी0 का नाम ले लेते है कि वह इसमें कुछ ऐसा कर रहा है। आप ज्वालामुखी में कुछ और बोलते हैं और हमीरपुर में कुछ और ही बोलते हैं। यदि कृपा करके आप इसमें सचमुच कुछ चाहते है कि सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी यहां बने , यदि यह बाहर चली गई तो प्रदेश के बच्चे बाहर पढ़ने चले जाएंगे। यह हमारे प्रदेश में कांगड़ा जिला की बात है , जहां जगह मिले वहां पर इसको खोलो। उस बारे में इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या प्रदेश सरकार ने दो केम्पस बनाने की बात कही है लेकिन भारत सरकार की कमेटी ने ही यह सजैस्ट किया है?

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

8.12.2014/1455/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1353 क्रमागत

मुख्य मंत्रीः जब मैं मुख्य मंत्री था उसी वक्त सैंट्रल युनिवर्सिटी की घोषणा हुई रिज के मैदान के ऊपर प्रधान मंत्री की ओर से। तत्कालीन वित्त मंत्री आए और उन्होंने यह घोषणा की कि one Central University will be opened in Himachal Pradesh. I said that कि सैंट्रल युनिवर्सिटी कांगड़ा में खुलेगी I said it. I could have said somewhere else also. But I say Kangra deserves it. Now, it should be opened only at one place. I have not seen any University having 3-4 different campuses. Therefore, whatever is suitable, we will decide it. Don't try to politicise this issue. I don't want to say something more which may hurt many people. But the fact is that dirty politics should not be played on the location of the Universities and it will not be made an election issue. Whereas it was made an election issue. It should have been left to the decision of experts and availability of suitable land for this purpose. I know in the last elections this was the issue at many places, not by our Party.

Speaker: University should be set up at a suitable place. There is no point arguing on it.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, तथ्य जो हैं वे इसके विपरीत हैं। खुद माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि 2009 में नोटिफिकेशन हुई। तब आप मुख्य मंत्री कहां थे? मैं कहना नहीं चाहता था कि उस समय जो माननीय सदस्या केन्द्र में राजस्थान से चुनी गई थीं उन्होंने इस मामले को कंफ्यूज किया अदरवाइज़ सारी बात सैटल्ड थी। कपिल सिब्बल जी इसकी फाऊंडेशन के लिए तैयार थे। --(व्यवधान)--

Chief Minister: Kindly don't take credit. At least go by history. ...(Interruption)...

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ज़रूर अक्तूबर, 2007 में आए। उन्होंने एनाऊंसमैंट की। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से इंस्टिट्यूशन्ज़ की दो लिस्टें निकलीं, जिसमें हिमाचल का कहीं नाम नहीं था। बाद में जब हमारी सरकार ने टेक अप किया तो 2009 में नोटिफिकेशन हुई। यह तो बड़ी क्लीयर बात है कि ई0एस0आई0 मेडिकल कॉलेज और आई0आई0टी0 हमारे टाइम में स्थापित हुआ।

8.12.2014/1455/SS-AG/2

Chief Minister: What I am saying, I am saying with hundred per cent truth. It is in public knowledge. It is documented that in the function at Ridge the Prime Minister of India was to come, he could not come. In his place, Shri P. Chidambram, the then Union Finance Minister came. He made an announcement that the Central University will be set up in Himachal Pradesh and one I.I.T. There and then Cabinet discussed this matter that the Central University will be opened in Kangra district. After our Government, your Government came into power and only then the trouble started कि यहां पर भेजो, वहां भी भेजो। उत्तर भेजो, पश्चिम भेजो, दक्षिण भेजो otherwise it was only meant for Kangra.

Speaker: Let the University be established at a suitable place. ...(Interruption)... रवि जी, प्लीज आप बैठिये। ...(Interruption)... If University is established, लोगों के लिए फायदा है।

श्री रविन्द्र सिंह: क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो साइट सिलैक्शन कमेटी वहां पर दौरा करके गई है। ---(व्यवधान)---

अध्यक्ष: कोई स्यूटेबल प्लेस देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है।

Chief Minister: I don't want to say just now where it will be opened. But it will be opened in Kangra district. I stick to that. That's all. I am not party to any location and I don't want to divide Kangra in pieces as you want. ...(Interruption)...

प्रश्नकाल समाप्त

जारी श्रीमती के0एस0

08-12-2014/1500/केएस/जेटी/1

(व्यवधान) के बाद-----

Speaker: Order please. Mr. Kanwar, don't stand without the permission of the Chair. Why are you speaking? You can't speak without permission. ..(interruption) ..

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची के बारे में वक्तव्य देंगें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं मान्य सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार हैः-

सोमवार 8 दिसम्बर, 2014 शासकीय/विधायी कार्य।
मंगलवार 9 दिसम्बर, 2014 शासकीय/विधायी कार्य।
बुधवार 10 दिसम्बर, 2014 शासकीय/विधायी कार्य।
वीरवार 11 दिसम्बर, 2014 (1)शासकीय/विधायी कार्य;
(2) गैर-सरकारी सदस्य कार्य।
शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2014 शासकीय/विधायी कार्य।

08-12-2014/1500/केएस/जेटी/2

कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5;

(ii) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्राम कंसलटेशन) अट्ठाईसवां अमेंडमेंट रेगुलेशनज़ , 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)ए(3)2/2014 दिनांक

13.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2014 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के प्रक्रिया और संचालन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)डी(3)-4/2001 दिनांक 13.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2014 को प्रकाशित;

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित, अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के गठन की बाबत अधिसूचना के पैरा 2 का संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)बी(1)-1/98-III दिनांक 13.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2014 को प्रकाशित;

08-12-2014/1500/केएस/जेटी/3

(vi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन , वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित);

(vii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 4 2वां वार्षिक प्रतिवेदन , वर्ष 2012-13;

(viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग-I(राजपत्रित) और संविदा भर्ती और प्रोन्न्ति (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0डी0एन0-ए0-ख(3)5/1999-लूज-III दिनांक 24.07.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.08.2014 को प्रकाशित; और

(ix) जल (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम , 1974 की धारा 40(7) तथा वायु (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वार्षिक लेखे , वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित)।

08-12-2014/1500/केएस/जेटी/4

अध्यक्षः अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2010 की धारा 50(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का वार्षिक लेखा तथा बेलेंस शीट (Balance Sheet), वर्ष 2010-11;

(ii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) अधिनियम , 2010 की धारा 50(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का वार्षिक लेखा तथा बेलेंस शीट (Balance Sheet), वर्ष 2011-12;

(iii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) अधिनियम , 2010 की धारा 50(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का वार्षिक लेखा तथा बेलेंस शीट (Balance Sheet), वर्ष 2012-13; और

(iii) बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 35 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 ।

08-12-2014/1500/केएस/जेटी/5

अध्यक्षः अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की वार्षिक परीक्षित लेखा, वर्ष 2008-09;

(ii) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय , पालमपुर की वार्षिक परीक्षित रिपोर्ट, वर्ष 2007-08;

(iii) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की वार्षिक लेखा रिपोर्ट, वर्ष 2007-08;

(iv) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय , पालमपुर की वार्षिक परीक्षित रिपोर्ट, वर्ष 2008-09; और

(v) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय , पालमपुर की वार्षिक रिपोर्ट , वर्ष 2009-10 ।

08-12-2014/1500/केएस/जेटी/6

अध्यक्षः अब माननीय वन मन्त्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

वन मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग,मत्स्यजीवी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः-फिश-ए(3)-7/2005 दिनांक 01.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.11.2014 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

08-12-2014/1500/केएस/जेटी/7

(माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी किसी हिन्दी अखबार की प्रति हिलाते हुए अपने स्थान पर खड़े हो गए)

Speaker: You can't display this. आप बैठ जाएं, यह सब्जैक्ट बाद में हैं। Please don't display anything now without permission. You can place it on the Table of the House.

Chief Minister: Sir, I want to make a submission. जो इन्होंने इश्यू रेज़ किया है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं।

Speaker, Sir, Shri Suresh Bhardwaj has given notice of the adjournment of business of the House under Rule 67. You are aware that under Rule 67 motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker.

On the same subject discussion has already taken place on notice given by Shri Ravinder Singh under Rule 130 which allows a motion for taking into consideration a particular situation.

I would draw attention to Rule 69 (5) whereby the motion shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same Session.

Since the discussion has already taken place on this subject in this Session itself, hence the motion for adjournment cannot be allowed to take place.

08-12-2014/1500/केएस/जेटी/8

अध्यक्ष: आप मेहरबानी करके अगर एक-एक करके अपनी बात कहेंगें तब तो मेरी समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं लेकिन अगर आप शोर मचाएंगें तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। श्री सुरेश भारद्वाज जी आप कहिए।

श्री सुरेश भारद्वाज जी अ0व0 की बारी में----

08.12.2014/1505/jt-av/1

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, 5 तारीख को मैंने नियम 67 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। पीठ ने उस दिन रूलिंग दी थी कि वह कार्य स्थगन प्रस्ताव सरकार को कमैंट्स के लिए भेज दिया गया है। फिर 6 तारीख को मैंने इसी मुद्दे को रेज़ किया था। उस दिन भी आपने यह कहा था कि यह कार्य स्थगन प्रस्ताव विभिन्न विभागों को कमैंट्स के लिए भेज दिया गया है और कमैंट्स आने के बाद आपकी रूलिंग आयेगी। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना जवाब दिया है। कमैंट्स तो आपके पास रिटन आने चाहिए थे , उस हिसाब से यहां मुख्य मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। अब इस बात का निर्णय आपने करना है , हमने जो नियम 67 के अंतर्गत नोटिस दिया है वह इसलिए दिया है कि हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आजकल जोरों पर अवैध कटान चला हुआ है। इस सदन में माननीय वन मंत्री जी ने जो अपना जवाब भी दिया है उसमें भी सदन को मिसलीड किया गया है। आज के ही समाचार पत्रों में यह खबर छपी है और यह आपकी ही सूचना है। सरकार ने कहा है कि इनके ही जिला चम्बा के क्षेत्र में 10 पेड़ नहीं बल्कि 101 पेड़ की एफ.आई.आर. कल ही दर्ज हुई है। सारे प्रदेश में इसी प्रकार जंगल कट रहे हैं। उनके बारे में इस सदन को जानने का अधिकार है और इस सदन में उस पर चर्चा होनी चाहिए। खासकर तारादेवी और चम्बा के जंगलों के बारे में जो हमने सूचना दी थी उसके ऊपर प्रोपर चर्चा हो। यहां पर जो सी.डी. माननीय रविन्द्र सिंह जी ने रखी है आपने उसके ऊपर निर्णय देना था। वह आपको यहां सदन में ऑथेंटिकेट करके दी गई है। हम उसके ऊपर आपकी रूलिंग चाहते हैं। चम्बा जिला में तो एक ही ब्लॉक ऑफिसर को रेंज ऑफिसर के अधिकार दे दिए गए हैं। जो अधिकार मिड हिमालयन प्रोजैक्ट के ए.सी.एफ. को होने चाहिए थे वह भी उसी व्यक्ति को दे दिए गये। चम्बा जिला में जिस प्रकार से जंगलों का अन्धाधुन्ध कटान हो रहा है इस सदन को उस पर निर्णय करना है और आपको भी उस पर अपना निर्णय देना है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो 67 का नोटिस पैंडिंग रखा था उसके ऊपर आपकी रूलिंग आए और सदन में इस पर व्यापक चर्चा हो। उस सी.डी. को सबको दिखाया जाए ताकि दूध-का-दूध और पानी-का-पानी हो जाए। क्योंकि हमारी बात उठाने के

08.12.2014/1505/jt-av/2

बाद ऐविडैंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। वहां जंगलों में प्रोपर इनक्वायरी नहीं हो रही है। बल्कि ऐविडैंस को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको खत्म करने के स्थान पर उसकी प्रोपर जांच हो और प्रोपर जांच के लिए हमें आपकी रूलिंग की आवश्यकता है; यही मेरा प्वाईंट है।

समाप्त

08.12.2014/1505/jt-av/3

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने अपना विषय रखा है, यह कार्य स्थगन प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत हम दोनों ने यहां पर दिए थे। जो माननीय सदस्य ने कह दिया मैं उस पर न जाते हुए जैसे मैंने बार-बार आपसे अनुरोध किया और सी.डी. व पैन ड्राइव आपको दिखाया। विशेषकर चम्बा में जो अवैध कटान हुआ है उसके लिए सरकार मानी है कि वह सितम्बर और अक्तूबर माह में हुआ है। लेकिन उसकी एफ.आई.आर. आज दर्ज हो रही है। वह भी इस विषय को माननीय सदन में उठाने के बाद हुई है। मंत्री के जवाब में यहां पर 10 पेड़ बताये गये थे जबकि मौके पर जाकर इन्होंने अब 101 पेड़ बताये हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वहां पर कुल 1016 सूखे पेड़ों की मार्किंग की गई थी। मगर जो कटान किया गया उसके बारे में मैंने आपको पैन ड्राइव तथा सी.डी. दी है और उसको मैंने आपके लैप टॉप पर डाउन लोड कर दिया है। 1016 पेड़ों के बाद माह जून, 2013 में जो वहां पर कटान किया गया वह शुभकरण व्यक्ति के नाम से परमिट जारी किया गया था। वहां 2200 बिल्कुल हरे पेड़ काट दिए। ये तो केवलमात्र 101 पेड़ की बात कर रहे हैं मगर 2200 पेड़ काट दिए गए। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जैसे आपने कहा था मैंने वह सी.डी. और पैन ड्राइव; दोनों ही आपके लैप टॉप में आपके समक्ष हाजिर कर दिए हैं। यहां पर सारे अधिकारी बैठे हैं। मुख्य मंत्री, मंत्री, विधायक और सारा प्रैस मीडिया यहां पर बैठा है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि उस सी.डी. और पैन ड्राइव को यहां पर दिखाया जाए।

समाप्त

अध्यक्ष श्री बी.जे.द्वारा जारी

08.12.2014/1510/नेगी/ए.जी./1

अध्यक्षः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो सी.डी. और पैन-ड्राईव आपके पास है, आपको मैंने कल भी कहा था कि आप इन दोनों चीजों को इस माननीय सदन में रखिए। I will study and then I will decide whether it is to be displayed or not. आप उसको पहले सदन के पटल पर रखिए। ....(व्यवधान)... Let me speak. आप (हंस राज जी) बैठ जाइये प्लीज़ । हंस राज जी आप मेरी बात सुनिये। अगर आप बिना परमिशन से बोलेंगे तो फिर मैं आपके खिलाफ ऐक्शन लूंगा। आप बिना परमिशन उठ जाते हैं। ऐसे ही किसी चीज़ का कोई समाधान थोड़ी होगा। एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। ..(व्यवधान)..

Chief Minister: We are not afraid of this discussion. एक बात सुनिए।....(व्यवधान)... नहीं, क्या, Can this House be run by rule or law or by *dhusli.* ____(व्यवधान)... This matter has already been discussed on the Motion moved by Shri Ravinder Singh under Rule 130. Same issue has come here. Can it now be again discussed under Rule 67? और मैं आपको बता दूं। ये वे लोग हैं जिनके वक्त में बेतहाशा जंगल कटे हैं । बैम्लोई में पेड़ कटे, चीफ मिनिस्टर के घर के नीचे , उसका क्या हुआ है ? हमारे पास रूल और भी है।..(व्यवधान).. I can hit you back. मगर मैं यह कह सकता हूं I welcome any disclosure. अगर कोई गलत काम हुआ है Government can take notice of that and take action. We have already taken action. और यह बात नही है। मुझे पता है आपके पास पैन ड्राईव वगैरह कहां से आया है ? I know it. I know it is not yours. आपने तो जंगलों की शक्ल ही नहीं देखी है । ..(व्यवधान).. आपने तो आजतक जंगलों की शक्ल ही नहीं देखी है। I know who has provided it to you. I know it. ...(Interruption)...

अध्यक्षः प्लीज़ सुनिए। Please keep quiet. ..(व्यवधान).. ....(व्यवधान).. रवि जी एक मिनट बैठ जाइये। ....(**व्यवधान**).. Let me speak.

08.12.2014/1510/नेगी/ए.जी./2

मुख्य मंत्री : श्रीमती आशा कुमारी जी के परिवार का जो जंगल है, वह प्राईवेट जंगल है। And if any exploitation has been done then they are responsible for it. The owners are responsible for that, not the Government.

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान).. नियम-67 के अन्तर्गत जो इन्होंने नोटिस दिया है उसका हमने आपको जवाब दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, अब आप उसपर अपनी रूलिंग दें।

अध्यक्षः मेरी बात सुनिए। आपने मुझसे क्वैश्चन किया है। भारद्वाज़ जी ने जो रूल-67 के बारे में कहा है , उसका जवाब तो मुझे देने दें। अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो फिर सॉल्युशन कैसे निकलेगा? पहले आप मेरी बात सुनिए , उसके बाद फिर आप जो कहना चाहते हैं, कहिये। लेकिन मुझे पहले कहने दीजिए। शनिवार को श्री रविन्द्र सिंह रवि तथा श्री सुरेश भारद्वाज़ , माननीय सदस्यों ने नियम-67 के अंतर्गत जो स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए थे , उस संबंध में आज सरकार से विस्तृत टिप्पणी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसके पूर्व भी दिनांक 05.12.2014 को नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा का उत्तर देते हुए माननीय मुख्य मंत्री एवं माननीय वन मंत्री ने जिला शिमला व जिला चम्बा में अवैध वन कटान के बारे में सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई करके सदन को अवगत करवाया गया था। मुझे याद है कि जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय दिल्ली जा रहे थे तो उससे पहले आप सबको विस्तृत रूप से बता दिया था कि what action he is taking. उसके बाद आज जो टिप्पणी माननीय वन मंत्री जी से प्राप्त हुई है जिसमें उस मामले से संबंधित तथ्यों एवं सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इस संदर्भ में, मुझे हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अन्तर्गत नियम-69(5) में प्रावधानों बारे सूचित करना है कि जिस विषय पर सत्र के दौरान किसी भी नियम के तहत चर्चा हो चुकी हो , उसी सत्र के दौरान किसी अन्य नियम के तहत ऐसे विषय को चर्चा के लिए नही उठाया जा सकता इसलिए अब वह नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का औचित्य नही है। यह मेरा कहना है। दूसरी बात, मैं यह कहना

08.12.2014/1510/नेगी/ए.जी./3

चाहता हूं कि I have rejected the Motion under Rule 67. क्योंकि इसपर चर्चा हो चुकी है। अब जो तथ्य सामने आए , मैंने रिपोर्ट सरकार को इसलिए भेजी थी कि

जो तथ्य हैं उसपर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। सरकार ने यह लिखा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और 3-4 व्यक्ति इसमें सस्पैंड भी हो चुके हैं और उसके ऊपर ऐक्शन भी ले रहे हैं।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी..

08-12-2014/1515/यूके/एजी/1

अध्यक्ष ---जारी ----

और उन पर ऐक्शन ले रहे हैं। उसमें सख्त से सख्त सजा दी जायेगी ऐसी माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐश्योरेंस भी दी है और हाऊस में ऐश्योरेंस देने का मतलब है कि that means something from the Chief Minister. कि इस पर सख्ती से अपील करेंगे और किसी को स्पेयर नहीं करूंगा। आपको इस चीज में (व्यवधान) Government has put all the resources at the disposal to find out this case. जिसने भी ऐसा किया होगा उसको सजा दी जायेगी।

श्री बी0के0 चौहान : फॉरेस्ट कोरपोरेशन के माध्यम से स्मगलिंग हो रही है और अवैद्य कटान हो रहे हैं

अध्यक्षः आप उस पर ऐक्शन चाहते है? सरकार ने ऐश्योर किया है कि हम उस पर सख्त से सख्त ऐक्शन लेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, आपने सही निर्णय दिया कि जिस विषय पर चर्चा हो गयी हो उस पर आप उसी सत्र में दोबारा चर्चा अलाऊ नहीं कर सकते। लेकिन क्या इसके कारण यह अवैद्य कटान जारी रहेगा ? जो नये तथ्य सामने आ रहे हैं उन पर यह सदन चर्चा नहीं करेगा ? इसी प्रदेश में अवैद्य कटान का जब मामला उठा था तो एक मुख्य मंत्री बदले गए थे। दोषारोपण से कुछ नहीं होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तैश में आकर कहा कि बैमलोई में कटे, वहां कटे। आपकी सरकार है तो जहां-जहां कटे हैं आप वहां कार्रवाई करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बाकी

मुख्य मंत्रीः हम कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री प्रेम कुमार धूमलः क्योंकि ऐसा है अगर आप परसनली कमेंट ऐसे करेंगे तो विपक्ष को तो बहुत खुली छूट होती है। मैं तथ्य ही सामने ला रहा हूं। आपने कहा कि प्राईवेट जंगल है आशा कुमारी जी का, मैने टी0एन0 गोदावरमन की एक जजमेंट

08-12-2014/1515/यूके/एजी/2

परसों भी कोट की थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि चाहे प्राईवेट हो चाहे पब्लिक फॉरेस्ट हो अगर वहां डैंस्ड फॉरेस्ट है 50 प्रतिशत से ज्यादा का और इससे ज्यादा बैनीफिशरी , आपसे ज्यादा फॉरेस्ट की जानकारी कोई नहीं रखते हैं। 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट के बारे में आप से ज्यादा कौन जानता है, आप मुख्य मंत्री 1983 में तभी बने थे। तो उसमें स्पष्ट कहा है कि अगर उसमें वृक्ष काटने हो तो भी हाई पॉवर कमेटी की परमिशन की जरूरत है। यहां तक कि वहां सॉ मिल भी उनकी परमिशन के बिना नहीं लग सकती है और यदि लग रही है तो भी वह रुकेगी और पिछले टर्म में इस सरकार ने वह रोकी भी थी। जो बाद में हमने परमिशन सुप्रीम कोर्ट से ली थी। अध्यक्ष महोदय, यह सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा? जैसे भारद्वाज जी ने कहा कि एक ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर के पास 4 ब्लॉक का जिम्मा दिया गया है। आपके ध्यान में भी यह बात होगी कि 4 ब्लॉक का ठयोग रेंज में रेंजर लगे हैं, डिप्टी रेंजर लगे हैं , डी0एफ0ओ0 लगे है। डैमेज रिपोर्ट के 2 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं हुए हैं। चम्बा की रिपोर्ट दी है और इसमें डेमेज़ रिपोर्ट हुई और उसमें जो जुर्माना लगा वह सरकारी खजाने में जमा नहीं हुआ है। वह कहां गया ?

Chief Minister: Are you allowing discussion on this matter. प्वाइंट ऑफ आर्डर था। आपने ऑलरेडी रूलिंग दे दी है कि This matter cannot be raised again. Why again he is raising this issue?

अध्यक्षः ये और बात कर रहे है , इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ...व्यवधान....एक मिनट, जहां तक मेरा अध्यक्ष के नाते सम्बन्ध है, नियम 67 तथा नियम 130 के अन्तर्गत कोई नोटिस मेरे पास आता है तो उस पर मैंने डिसीजन देना है। मैंने नियम 67 के बारे में स्टेटमेंट दे कर आपको कह दिया है कि उसको मैने रिजैक्ट कर दिया है। अब उसके बाद जो आपके मुद्दे हैं, उनको आप टेकअप कर सकते हैं But there is a time for this. उसके लिए आप टाईम लीजिए। वह किसी नियम के

08-12-2014/1515/यूके/एजी/3

अन्तर्गत तो हो सकता है लेकिन अभी जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि this is not the time to discuss things.

एस0एल0एस0 द्वारा जारी ----

08.12.2014/1520/SLS-JT-1

अध्यक्ष ....जारी

This is not the time to discuss things. मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसे किसी और नियम के अंतर्गत उठाना चाहते हैं , कोई ऐक्शन लेने की बात कहना चाहते हैं तो ठीक है। मेरे ख़याल में सरकार ने जो स्टेटमैंट दी है, जो मुझे भेजी है उसमें हर कोशिश की गई है कि ऐसे मामलों से सख्ती -से-सख्ती बरत कर निपटा जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। जो हो गया है, सरकार उन मामलों में दोषियों पर कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन अगर आप बहस करें और चाहें कि मैंने इस सब को रोकना है, वैसी बात नहीं है। वह आपको ही रोकना पड़ेगा। मैंने नियमों के अनुसार स्थिति आपको बता दी है। जहां तक चर्चा करवाने की बात है, आप रूल के अनुसार चर्चा मांगे। अगर रूल में होगा तो चर्चा कर लेंगे।

Chief Minister: Sir, I want to clarify certain things.

Prof. Prem Kumar Dhumal: I am already on my legs.

Chief Minister: I have every right to stand. He (Hon. Speaker) has already given his ruling. You should sit down. I want to make a submission.

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात आपके ध्यान में ला रहा हूं कि पहले दिन से यह मामला जितना ध्यान में आया , उसके बाद लगातार यह चर्चा चल रही है। 'दुर्लभ परिंदों के अण्डों में सुई चुभोने से हड़कंप ' और यह रिपोर्ट चर्चा के दौरान आ रही है। लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हम इन मामलों को यहां उठाएं। नियम हाऊस की मरज़ी से ही चलते हैं। हाऊस किसी भी नियम में छूट दे सकता है, House is supreme. आपकी अध्यक्षता में किसी भी इसू पर चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष : लेकिन चर्चा नियमों के अंतर्गत ही हो सकती है।

08.12.2014/1520/SLS-JT-2

श्री प्रेम कुमार धूमल : मैंने कहा कि नियम भी हैं लेकिन हाउस की कन्वैंशन्ज भी होती हैं। अगर हाऊस चाहता है कि वन कटान न हो, हाऊस चाहता है कि अवैध कटान न हो, हाऊस चाहता है कि ऐसी इलीगल कार्रवाई बंद हो, हाऊस चाहता है कि दुर्लभ परिंदों के अण्डों में सुइयां न चुभोई जाएं, अगर हाऊस चाहता है कि डैमेज रिपोर्ट के पैसे सरकारी खजाने में आएं तो फिर अवश्य उस पर चर्चा की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमने तो सी. डी. अथैंटिकेट करके आपके पास दे दी है, आप उसको दिखाएं। आप उसे जल्दी दिखाएं ताकि सारा सत्तापक्ष भी देखे। अगर उनको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक है तो आप मैजोरिटी में हैं , ठीक है, लेकिन इस तरह से इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को दबाया नहीं जा सकता। मेरा निवेदन यह है कि इसमें रास्ता निकाला जाए और प्रैस को भी , सारे मैंबर्ज़ और ऑफिसर्ज़ को भी सी.डी. दिखाई जाए क्योंकि मीडिया में भी यह रिपोर्ट थी कि आपने कहा कि वह प्राईवेट फोरैस्ट है, हमें कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। यह तो प्रिंसीपल सैक्रेटरी ने ऑर्डर किया कि कार्रवाई की जाए और तब जाकर एफ . आई. आर. दर्ज़ हुई है। वह भी कितने दिनों के बाद हुई ? इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे स्पष्ट है (व्यवधान)

वन मंत्री : भारद्वाज जी ने कहा है कि उसमें मिड हिमालय का भी दे दिया था जबकि मिड हिमालय का उसमें उल्लेख नहीं है। शुरू में जब यह स्टार्ट हुआ था तब दिया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष : वन मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री प्रेम कुमार धूमल : मैं केवल तारादेवी फोरैस्ट की बात कर रहा हूं जिसकी चर्चा सारे अख़बारों की हैडलाइंज में थी कि पहले एफ . आई. आर. दर्ज़ नहीं हो रही थी , बड़े अधिकारियों के कहने पर एफ. आई. आर. दर्ज़ हुई है। मेरे कहने का भाव यह है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके कारण सारे प्रदेश और देश में बदनामी हो नही है। इसलिए इसमें चर्चा कराएं, सी . डी. दिखाएं और उसमें कुछ ठीक लगता है तो चर्चा करवाएं। धन्यवाद।

08.12.2014/1520/SLS-JT-3

अध्यक्ष : मुझे सरकार की ओर से जो कागज़ आए हैं, उनमें माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं आश्वासन दिया है कि हम उसमें पूरी कार्रवाई करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जैसे लगता है कि सरकार इस विषय पर चर्चा होने नहीं देना चाहती। ऐसी बात नहीं है। कल इसी बात को लेकर सुरेश भारद्वाज जी ने अंडर रूल 67 एक एडजर्नमैंट नोटिस दिया था जो आपके ज़ेरे गौर था। उसके बाद इसी विषय को लेकर रविन्द्र सिंह जी ने यही मामला नियम-130 के अंतर्गत उठाया और बाकायदा उसके ऊपर इस हाऊस के अंदर कार्रवाई हुई है।

जारी ..गर्ग जी

08/12/2014/1525/RG/JT/1
मुख्य मंत्री----क्रमागत

और बाकायदा सदन में उसके ऊपर कार्यवाही हुई है। Who wants to stop it? Same thing which you want to raise under Rule 67 has been raised by Shri Ravinder Singh and others under Rule 130. तो यह बात आ गई है और यह सिलसिला खत्म हो गया। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं ---------(व्यवधान)-----

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं-----(व्यवधान)-----

Speaker: That is something else. Rule 67 cannot be revived once you have spoken on the issue under Rule 130.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, विषय खत्म थोड़े ही हो गया।

मुख्य मंत्री : अच्छा, आप ऐसा करो, आप बाहर मैदान में कैम्प लगाओ, सबको दिखाओ। **मै भी आ जाऊंगा** , आप एक दिखाएंगे, हम आपकी 20 सी.डी. दिखाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि कल जो चर्चा हुई, उसका

जवाब आ गया है। उसके बाद अब जो और मामले उठाए गए थे। अध्यक्ष महोदय, ये जो चम्बा के जंगल के बारे में जो सवाल उठ रहा है उसमें एक है लॉट नंबर 1/14 -15 (सीकरी तथा रूपानी RF), मसरूंद रेंज, चम्बा के बारे में है। इसमें लॉट नंबर 1/14-15 दिसम्बर महीने में वन निगम के मण्डलीय प्रबन्धक, चम्बा को दिया गया। लॉट में 978 सूख तथा गिरे पड़े पेड़ थे। वन परिक्षेत्र अधिकारी दिनांक 27-11-2014 को लॉट की निरीक्षण हेतु मौके पर पहुंचा जिसमें पड़तल (Spruce) के 78 पेड़ अवैध रूप से काटे हुए पाए गए। दिनांक 3-12-2014 को वन निगम मण्डलीय प्रबन्धक, चम्बा तथा परिक्षेत्र अधिकारी भी इस लॉट के निरीक्षण के लिए गए और 29 देवदार के हरे पेड़ अवैध रूप से काटे हुए पाए गए। लेकिन यह जो जंगल है यह वन निगम को extraction के लिए दिया गया। दिनांक 4-12-2014 को डी.एफ.ओ., चम्बा ने वन मण्डलीय प्रबन्धक को क्षति बिल 100 प्रतिशत जुर्माना सहित मु. 82 लाख, 35 हजार, 56 रुपये का दिया। दिनांक 5-12-2014 को मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज

08/12/2014/1525/RG/JT/2

करवाई गई है। मामले की एफ.आई.आर. 142/14 पुलिस द्वारा दिनांक 7-12-2014 को दर्ज की। दिनांक 6-12-2014 को तत्कालीन वन रक्षक एवं उप-वन रजक (DR) को कारण बताओ नोटिस दिया गया और **आगामी कार्रवाई जारी है।**

अध्यक्ष महोदय, दूसरा जंगल एलमी लॉट, एलमी जंगल का नाम है, तो एलमी लॉट 1/2013-15, अपर चम्बा रेंज का है। लॉट का विस्तार 3840 हैक्टेयर में है। लॉट की मार्किंग नवम्बर, 2012 में हुई। लॉट सड़क से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर और दुर्गम क्षेत्र में है। दिनांक 15-11-2014 को वन विभाग तथा वन निगम ने मिलकर निरीक्षण में 12 पेड़ अवैध रूप से काटे पाए जिसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी है। क्षति बिल वन निगम को दे दिया गया है। दिनांक 25 से 27 नवम्बर, 2014 तक एक और संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया और 88 पेड़ कटे हुए पाए गए। इसकी भी पुलिस में सूचना दर्ज कराई गई जिसका क्षति बिल भी वन निगम को दे दिया गया है। वन निगम को दोनों लॉट इसलिए दिए गए थे। They have been handed over to the Forest Corporation for extracting of timber. और जो सूखा दरख्त है उसको ऐक्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया। **वन विभाग द्वारा एक वन परिक्षेत्र अधिकारी को**

ससपैंड किया गया तथा वन रक्षक को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है---------------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

08/12/2014/1530/MS/ag/1

मुख्य मंत्री जारी-----

वन विभाग द्वारा एक वन परिक्षेत्र अधिकरी को सस्पैंड किया तथा एक वन रक्षक को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वन निगम ने भी एक फिल्डमैन व एक डिप्टी रैंजर को दिनांक 19-11-2014 को सस्पैंड कर दिया है।

अभी भी इस वक्त मौके पर वन विभाग और वन निगम की संयुक्त टीम निरीक्षण कर रही है और वास्तविक स्थिति से अवगत करवाएगी और दोषियों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह होता है, जहां वनों की रक्षा के लिए पूरे कदम उठाए जाते हैं, कई असुरक्षित जगहों पर, जैसे चम्बा तो बहुत असुरक्षित और दूर-दराज़ क्षेत्र है, वहां पर वैध तरीके से लीगली the forest was handed over to Forest Corporation for exploitation. अगर उसमें कोई मार्क्स ट्रीज के अलावा कोई अन्य पेड़ कटे हैं तो उसके लिए फॉरैस्ट कारपोरेशन and all the employees of the Forest Corporation who are working there and the Forest Department के जो वहां निरीक्षक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री रविन्द्र सिंहः बड़ी-बड़ी मछलियां खा रही है और छोटी-छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं। मुख्य मंत्री जी एक्शन तो लेना पड़ेगा।

मुख्य मंत्रीः एक बात सुनिए। वह हम करेंगे। Let the inquiry report come to me. I can assure this House. . ...(Interruption)... रिपोर्ट्स मेरे पास आएगी। Hundred percent I fought my entire political life fighting against the forest mafia. I am not going to allow any forest mafia to go and prosper in the State. I can say you that. But let us not hang on anybody because facts are before us. Let the facts come i.e. who are guilty and who are not

08/12/2014/1530/MS/ag/2

guilty. Let us not throw aspersion on anybody. Matter is being investigated vigorously and action will be taken very soon as soon as the results are coming to us. But one thing is that जो चम्बा के दो जंगलों का जिक्र किया गया है , उनको वन निगम को सौंपा गया है, for exploitation. उनके ठेकेदार को सूखे हुए मार्क ट्रीज को काटना था। उसके अलावा वहां कुछ अधिक दरख्त काटे हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

श्री रविन्द्र सिंहः मुख्य मंत्री जी 2200 पेड़ काटे गए हैं।

मुख्य मंत्रीः जितने भी हैं। एक है या 2200 है I will get to have the final figure. I will take strict action against them. I have got zero tolerance so far as cutting of the trees is concerned. It is not to be allowed.

श्री रविन्द्र सिंहः आप जैसा कह रहे हैं, आप दिखा दो जीरो टॉलरैंस।

मुख्य मंत्रीः आप भी मुझे दिखा देना। हम बैठकर अवलोकन करेंगे, देखेंगे। मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आप वहां खुद नहीं गए हैं इसकी जानकारी आपको किसने दी है, यह भी मुझे पता है।

Speaker: I request the Hon'ble Chief Minister that this is a very serious matter and action must be taken against the culprits. It is very important. (व्यवधान)

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, नियम 67 का नोटिस रिजैक्ट कर दिया गया है। नियम 130 की चर्चा खत्म हो गई थी। आज मुख्य मंत्री जी ने नये तथ्यों के साथ सुओ-मोटो स्टेटमैंट इस सदन में रख दी है। मेरा निवेदन केवल इतना है कि इस स्टेटमैंट के ऊपर सदन चर्चा कर ले। सर, इस सुओ -मोटो उत्तर पर क्लैरिफिकेशन तो मानी जा सकती है।

08/12/2014/1530/MS/ag/3

Speaker: I request the Government to take very stringent action against the culprits. किसी को छोड़ा न जाए, यह मेरा निवेदन है। सब पर एक्शन लिया जाए।

श्री रविन्द्र सिंह श्री जे0के0 द्वारा-----

8.12.2014/1535/जेके/एजी/1

श्री रविन्द्र रविः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत बड़ा गम्भीर विषय इस माननीय सदन में लाना चाहता हूं। आजकल पूरे प्रदेश में खेलों का सीज़न शुरू हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह विभाग भी आपके पास है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे बच्चों में टेलैंट बहुत है औ अभी-अभी हाल ही में इस तरह की घटनाएं पहले भी घटती रही हैं। जिस लड़की का मैं यहां पर उल्लेख कर रहा हूं यह पूजा बेदी, सुपुत्री श्री जगीदश राम , तहसील अम्ब, जिला ऊना से है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसका कालिंग अटैंशन 5 तारीख का दिया हुआ है। आज तारीख 8 हो गई और चार दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक नहीं लगा है। टीमों की सलैक्शन हो रही है लेकिन इस लड़की को रिजैक्ट कर लिया गया है। मुख्य मंत्री महोदय किसी के भविष्य का यह प्रश्न है, बच्चे के भविष्य का प्रश्न है।

अध्यक्षः इसकी सलैक्शन टेक्निकल बॉडी ने करनी है।

श्री रविन्द्र रविः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस लड़की के सर्टिफिकेट देखिये।

अध्यक्षः इस मैटर पर माननीय मुख्य मंत्री जी बोलना चाह रहे हैं। माननीय सदस्य आप प्लीज बैठ जाएं।

Chief Minister: I am not a Member of the Selection Committee.अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई है **I will look into it. हम इसकी जांच करवाएंगे। है। अगर अन्याय हुआ। I will see that justice is done.**

8.12.2014/1535/जेके/एजी/2

सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

अध्यक्षः अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति (वर्ष 2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का 64वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा परिवहन विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 65वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 66वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 253वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का 67वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 223वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति का 68वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 58वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में

8.12.2014/1535/जेके/एजी/3

अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित है; और

(vi) समिति का 69वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 7वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्षः अब श्री अनिरूद्ध सिंह, सदस्य, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15), के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08(वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्याः4.12 के स्वयंमेव उत्तरों की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 26वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15), जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 200 6-07(वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्याः 2.1 पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री संजय रतन , सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति, ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

8.12.2014/1535/जेके/एजी/4

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति , (वर्ष 2014-15), समिति का नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के प्रथम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन्य जीवन विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

8.12.2014/1535/जेके/एजी/5

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापनाः

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार। अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरः स्थापित करेंगे।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

8.12.2014/1540/SS-JT/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-7) को पुरःस्थापित करेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-7) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-7) पुरःस्थापित हुआ।

8.12.2014/1540/SS-JT/2

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-9) को पुरःस्थापित करेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-9) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-9) पुरःस्थापित हुआ।

8.12.2014/1540/SS-JT/3

अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-13) को पुरःस्थापित करेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-13) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-13) पुरःस्थापित हुआ।

8.12.2014/1540/SS-JT/4

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

आबकारी एवं कराधान मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-8) को पुरःस्थापित करेंगे।

आबकारी एवं कराधान मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-8) को पुरःस्थापित करता हूं।

8.12.2014/1540/SS-JT/5

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-8) पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

आबकारी एवं कराधान मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

जारी श्रीमती के0एस0

08-12-2014/1545/केएस/जेटी/1

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधयेक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमती दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधयेक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमती दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अनुमति दी गई।

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधयेक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करेंगें।

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधयेक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधयेक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 11) पुरःस्थापित हुआ।

08-12-2014/1545/केएस/जेटी/2

अध्यक्षः अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अनुमति दी गई।

अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)को पुरःस्थापित करेंगें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)पुरःस्थापित हुआ।

08-12-2014/1545/केएस/जेटी/3

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम 130 के अन्तर्गत प्रस्ताव होगा। अब श्री महेश्वर सिंह जी नियम 130 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें ।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 130 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं किः

" प्रदेश में बन्दरों, आवारा कुत्तों व पशुओं की बढ़ती संख्या एवं आतंक से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करें।"

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि " प्रदेश में बन्दरों, आवारा कुत्तों व पशुओं की बढ़ती संख्या एवं आतंक से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करें। " इस विषय पर माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज से भी सूचना प्राप्त है । वे चर्चा में भाग ले सकते हैं । इस पर कोई मतदान नहीं होगा तथा माननीय वन मंत्री जी के उत्तर के साथ ही चर्चा को समाप्त कर दिया जाएगा। मैं अब श्री महेश्वर सिंह जी से कहूंगा कि अपने प्रस्ताव को आरम्भ करें।

08-12-2014/1545/केएस/जेटी/4

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से प्रदेश भर में बन्दरों, आवारा कुत्तों और आवारा पशुओं की बढ़ती हुई संख्या अकस्मात बढ़ गई है उससे सचमुच किसानों और बागवानों का ही नहीं बल्कि अब तो शहरों में रहने वाले सभी निवासियों का भी दिन का चैन खो गया है और दूसरी ओर रात के समय में सूअर, नील गाय इत्यादि अनेकों ऐसे जंगली जानवर हैं जिनके आतंक के कारण अनेकों किसानों ने

फसल बीजना छोड़ दिया है और विशेषकर कांगड़ा, हमीरपुर ऊना आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया है।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, धीरे-धीरे अब यह बीमारी जिला सिरमौर और शिमला में भी फैल गई है। यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया कि आज राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस प्रकार के वचन देने पड़े कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इस समस्या का समाधान करेंगें और इससे निजात दिलाएंगें। इस समस्या के चलते हुए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

08.12.2014/1550/ag-av/1

श्री महेश्वर सिंह ------ जारी

इस समस्या के चलते हुए पूर्व सरकार ने प्रयास किए लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। माननीय मंत्री जी को भी प्रयास करते हुए दो वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक कोई ठोस सफलता प्राप्त नहीं हुई है। केवल बंदरों के नसबंदी केंद्र खोलने से तथा उनकी अब और 2 संख्या बढ़ाने से इस समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा; यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जानवरों की संख्या बढ़ रही है तो यह इसका समाधान नहीं है अपितु इसके लिए कुछ और कठिन-से-कठिन पग उठाने पड़ेंगे। यहां तो एक कहावत चरितार्थ होती है कि 'ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज़ बढ़ता गया।' आप जितनी दवा कर रहे हैं यह मर्ज़ उतना ही बढ़ता जा रहा है। इसके लिए सरकार निश्चित रूप से कोई ठोस कदम उठाये, हम आपके साथ हैं। (---व्यवधान---) मैं सुझाव दूंगा, सर (माननीय मुख्य मंत्री जी को कहा।) मैं सजैशन्ज दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि आज किसानों ने खेती करना छोड़ दी है। सारे जानवर इतने खूंखार हो गये हैं कि अब वे डरते भी नहीं। इनमें विशेषकर बंदर जिस प्रकार से लोगों पर अटैक कर रहे हैं वह सब आपके सामने हैं। गत मानसून सत्र में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि शिमला स्थित रिपन अस्पताल में अकेले एक माह में 100 बंदर बाईट के केस आये थे। बाद में यह संख्या बढ़कर ढाई-तीन सौ तक पहुंच गई। आज शिमला में कुल मिलाकर इसकी संख्या करीब 2000 तक पहुंच गई है। गत वर्ष मण्डी में आई.आर.डी.पी. परिवार की एक लड़की ; जिसका मैंने उल्लेख भी किया था। उसको बंदर ने खदेड़ा। वह जमा दो में पढ़ती थी

और नौकरी लगने वाली थी। वह अपनी मां का एकमात्र सहारा है मगर वह आज अपंगता का जीवन व्यतीत कर रही है। मैंने सरकार से आग्रह किया कि उसकी भरपूर मदद की जाए लेकिन सरकार ने केवल 8 हजार रुपये देकर छुटकारा पा लिया। उसके बाद लोगों ने चन्दा डालकर उसका इलाज करवाया। इसके अतिरिक्त दिनांक 4.11.2014 को शिमला मिडिल बाजार में 35

08.12.2014/1550/ag-av/2

वर्षीय महिला बंदर के खौफ के कारण अपने घर की बालकनी से गिरी और उसकी मौत हो गई। उसे विभाग ने मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक कोई मदद नहीं दी है। ऐसी ही घटना कुछ समय पहले हमीरपुर जिले में भी घटी। वहां जिलाधीश कार्यालय के समीप 71 वर्षीय एक महिला को बंदरों ने खदेड़ा और घर में उसके ऊपर चिमनी गिर गई। आज वह घायल अवस्था में आई.जी.एम.सी. अस्पताल (शिमला) में उपचाराधीन है। गत मौनसून सैशन से पूर्व रामपुर में एक पागल कुत्ते ने 18 लोगों को काटा। वह कुत्ता पागल साबित हो गया। लोगों को डॉक्टरों ने सलाह दी कि आपको पागल कुत्ते ने काटा है, इसके लिए कसौली में वैक्सीन बनती है और आपको वही इंजैक्शन लगाना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि उस इंजैक्शन की कीमत 25 हजार रुपये से लेकर 32 हजार रुपये तक है।

मुख्य मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस वैक्सीन की वर्तमान में क्या कीमत है यह मुझे अभी पता नहीं है। मगर मुझे यह मालूम है कि इसकी कीमत 24000रुपये या 25000 रुपये नहीं है।

श्री महेश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैं स्वयं एक मरीज को देखने अस्पताल गया था। उन्होंने मुझे बताया था कि 23,000/- रुपये का इंजैक्शन लगेगा और इसकी कीमत इससे भी ज्यादा हो सकती है। इसकी छानबीन की जा सकती है। अगर गलत सूचना होगी तो मैं अपने शब्द वापिस ले सकता हूं मगर पहले आप कनफर्म कर लें। प्रश्न यह है कि जब आप इन चीजों को पालेंगे तो फिर आपको लोगों को राहत के पैसे भी देने होंगे। कुत्ते और बंदर विशेषकर आपके पाले हुए हैं तो आप इनके लिए खर्च भी करें। बंदर का तो मैं समझ ---

श्री बी.जे.द्वारा जारी

08.12.2014/1555/नेगी /जे.टी./1-
श्री महेश्वर सिंह जारी....

बन्दर का तो मैं समझ गया था , थोड़ा इसमें धार्मिक भावना है । लेकिन अब कुत्तों से आपको क्यों प्यार हो गया , यह मेरी समझ से बाहर है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भालू भी पीछे नही है। आनी क्षेत्र के कराणा पंचायत में भालुओं ने टीन की छत उतार दी और 4 घरों के दरवाज़े तोड़ दिए। उन 4 घरों में लोगों ने जितना सेब इकट्ठा करके रखा था , वो सारा खा गए। शुक्र है , भालू उस कमरे में नहीं गए जहां आदमी थे। अब उस सेब की भारपाई कौन करेगा? उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। इसी तरह से आनी में एक अन्य पंचायत है , वहां पर 5.12.2014 को भालू ने छत तोड़ी, कमरे में गया और गाय को बुरी तरह से नोच दिया। दूसरी घटना उसी गांव में घटी है कि भालू छत तोड़ कर अन्दर गया और गऊशाला में गाय का बछड़ा मार दिया और साथ में दो बछड़ों को और घायल कर दिया। फिर लोगों ने डी.एफ.ओ. , लूहरी को इस चीज़ की रिपोर्ट दी, डी.एफ.ओ. ने कहा कि हम पिंजरे भेजेंगे और भालू पकड़ेंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि कितने भालू पकड़े गए? उन दिनों उस पंचायत के गांवों में जगह-जगह घायल और मरे हुए पालतु पशु पाये गए। महोदय, मेरा कहना यह है , मेरा एक प्रश्न लगा था, उसके जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने यह कहा, वैसे प्रश्न तो मैंने आपसे पूछा था, उन्होंने यह सूचना दी कि जंगली जानवर जिनको खाते हैं/ काटते हैं अगर उनका उपचार करना पड़े तो मैक्सिमम राशि 10,000/- रूपये दी जाती है । इसके अतिरिक्त और फालतू राशि लगेगी तो उसके लिए कोई जिम्मेवार नही है । आपकी तरफ से तो केवल 10 हजार रूपये दी जाती है। प्रश्न यह है कि यह राशि भी क्या समय पर दी जा रही है या नहीं दी जा रही है ? वैसे यह बात मैं आगे कहूंगा। लेकिन महोदय, एक बात निश्चित है कि जब इंजैक्शन में इतने खर्च हो जाएंगे या उसकी ऐसी हालत है कि वह अपंग हो जाता है और वह सारा जीवन अपंगता में व्यतीत करेगा तो आप क्या करेंगे ? क्या आप उसको स्पैशल पैंशन लगवाएंगे? आप उसको कहेंगे कि कल्याण विभाग में चले जाओ। क्या उससे उनका गुज़ारा पूरा होने वाला है?

08.12.2014/1555/नेगी /जे.टी./2-

अध्यक्ष महोदय, एक केस मैं आपके पालमपुर तहसील का बताना चाहूंगा,गत वर्ष एक भालू ने एक व्यक्ति को अटैक किया। मैं डी.एफ.ओ. साहब के पास उसको ले गया। मैं उसके सारे बिल ले गया, उनसे कहा कि इतना खर्च हो गया और अभी दोबारा इसका ऑपरेशन होगा क्योंकि इसकी टांग सारी चबा दी है, वह अपंग हो गया है। उन्होंने कहा हम इसका इलाज़ कर देंगे। इलाज़ किया गया लेकिन पैसे नहीं दिए। 5 हजार का सैंक्शंड बिल इसलिए नहीं दे पाये क्योंकि आज पालमपुर में उनके पास 95 केसिज़ ऐसे हैं जिनके लिए लगभग 4 लाख रूपये दिया जाना है और उसमें यह 5 हजार रूपये भी सम्मिलित है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात की छानबीन करें और कम से कम तुरन्त इस पैसे को दें। आप कह देते हैं कि हम इलाज़ करवा देते हैं। अगर वर्ष भर तक पैसा नहीं मिलेगा तो आपका उस इलाज़ करवाना किस तरीके से काम आएगा और गरीब कैसे बचेगा ? इसपर आप विचार करिये। जहां तक बन्दरों की संख्या की बात है, कहां से ये आंकड़े आते हैं मुझे समय में नहीं आता। किस-किस को अधिकार है घोषणा करने का यह भी समझ में नहीं आता। एक दिन हमीरपुर से आपको फोरेस्ट कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष महोदय ने भी संख्या दी है। वह संख्या और आपकी संख्या , आपस में मेल नहीं खाती। ये कहां से आते हैं? रात को स्वप्न देख करके ये संख्या दी जाती है। फिर आपके जो वाइल्ड लाईफ के चीफ कंज़र्वेटर हैं उन्होंने भी एक दिन इस प्रकार की संख्या दी। कहा गया कि कुल 87546 बन्दरों के ऑपरेशन हुए और साथ में यह भी कहा कि पहले बन्दरों की संख्या बहुत अधिक थी। यह संख्या केवल सिंह पठानिया जी ने बताया है और कहा कि बन्दरों की समस्या केवल कांगड़ा...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

08-12-2014/1600/**यूके/एजी**/1

श्री महेश्वर सिंह ---**जारी** ----

केवल कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और सिरमौर में है। शिमला और मंडी को भूल गए है। जहां ये सारे इन्सिडैंट हुए उनका नाम इन्होंने नहीं लिया। इसलिए कौन इस प्रकार के बयान देता है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करिए। कौन-कौन अधिकृत है। (व्यवधान) जहां तक बन्दरों की कुल संख्या का प्रश्न है। आप तो इतने आगे चले गये, आपने यह बताने में भी सफल हो गए हैं कि कितने बन्दर और कितनी बन्दरिया हैं। यह

आपने कैसे किया यह एक विचित्र बात है। आपके अधिकारी महोदय ने कहा कि बन्दरों की संख्या पहले ज्यादा थी। 2004 में 3,17,500 बन्दर थे। यह उनकी प्रैस वार्ता छपी हुई है। अगर आप देखना चाहें तो वर्ष 1-12- 2014 की अखबार उठा कर देख सकते हैं और कहते हैं कि वह संख्या घट कर 2 ,26,086 हो गयी है। अब यह समझ नहीं आया कि ये बन्दर कहां चले गये क्योंकि आपकी संख्या पहले 2004 की दी फिर 2007 की दी फिर इसके मुताबिक को 91,436 बन्दर कम हो गए। व्यवधान तो वह तो आपने 87,000 कहा। यह 91 कहां से हो गया। आप पढ़िए इन अखबारों को उठा कर। केवल लोगों को संख्या दे कर गुमराह कर रहे हैं। इसलिए सही संख्या दीजिए। यह अनाप शनाप बोलना बन्द करिए। इसके लिए तो हमारे यहां कहते हैं रागो भूली रागनी गाए आल बताल। इस प्रकार के आंकड़े कहां से आप लाते हैं। फिर एक और बात कही कि अब इसके लिए 200 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हो गयी है। आपके उपाध्यक्ष कहते हैं कि योजना स्वीकृत हो गयी है और चरणबद्ध तरीके से 5 वर्षों में हम बन्दरों के लिए एरिया बनाएंगे वहां फैंसिंग करेंगे। तो जितने करना हार सिंगार तितणे फुकणा सारा बजार। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है कौन 5 सालों तक इंतजार करेगा ? और इसको कौन करता है ? आपके प्रिंसिपल चीफ महोदय, वाईल्ड लाईफ वे कहते हैं कि वह योजना रद्द हो गयी। इसमें कौनसी सत्यता है आप हमें बताना। क्या सचमुच कोई योजना है या नहीं। (व्यवधान) सरकार की योजना ठंडे बस्ते में पड़ गयी। अखबार में हैं, मैं नहीं कह रहा । जहां आपने कहा है कि यदि कोई बन्दर को पकड़ कर लायेगा। तो 500 रुपए देंगे। यदि उसी बन्दर ने काट दिया ? तो सारी उम्र आपको कोसेगा। आप 500 रुपए

08-12-2014/1600/यूके/एजी/2

भी पता नहीं कब देंगे लेकिन उसके हजारों खर्च हो जाएंगे। इसलिए इस काम को बन्द करिए। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सुझाव दो। अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मंत्री जी, आप सुनिए। सुझाव के बारे में कहा गया तो सबसे पहले मेरा सुझाव यह है कि आप इनको 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का काम बन्द करिए। आज युग बदल गया है। आप के पास ट्रेनकुलाईज़र गन है। वह बाजार में मिलती है। आप उपलब्ध करवा सकते हैं। ताकि उससे तो इंजैक्शन निकलता है वह जानवर को बेहोश कर देता है। यह काम आप क्यों नहीं करते। क्यों आप लोगों को बेकार में प्रोत्साहित कर बन्दरों से कटवा रहे हैं। इस काम को बन्द कर के गन से काम

करिए। यह भी सिद्ध हो गया है जिस बन्दर की आप नसबंदी करते हैं उससे उसकी जो शक्ति बढ़ती है । वह खूंखार हो जाता है । यह प्रकृति का नियम है नहीं तो आप बताइए बैलों की नसबन्दी क्यों की जाती है? ताकि वह ताकतवर रहे और हल के काम आए । बन्दर का भी वहीं सवाल है कि जब शक्ति बढ़ेगी तो उसके साथ उसका नेचर बदलता है और आप देख लीजिए कि जितने अधिकांश लोग बताते हैं वह उन्हीं बन्दरों के द्वारा काटे गए होते हैं । वे उस शक्ति के कारण इतने बड़े-बड़े दूत बन गए हैं ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी ----

08.12.2014/1605/SLS- JT -1
श्री महेश्वर सिंह ...जारी

इनको इस प्रकार से खुले मत छोड़िए। आप एनक्लोजर्ज बनाइए और बड़ी जगह पर इनको बंद करिए। फैंसिंग ऐसी करिए जिसमें करंट छोड़ा गया हो ताकि अगर बंदर उसके साथ छूएगा तो वापिस चला जाएगा, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। (व्यवधान) कब करेंगे ? इसको आप जितनी जल्दी कर सकें, करिए। ऐसा करने पर पता लगेगा कि असल में कितने बंदरों की आपने नशबंदी की है। यह सार्थक काम आप करिए और बंदरों को एनक्लोजर्ज में बंद करिए ताकि कम-से-कम वह लोगों को तो न काटें , आतंक न फैला सकें। इस काम को जितना जल्दी करोगे, उतना अच्छा रहेगा। इसके साथ है, लांग टर्म के लिए, जंगलों में जो फल होते हैं, जो इस प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें जंगली फल होते हैं, उनको लगाइए। लेकिन तुरंत उसमें बंदर मत छोड़िए क्योंकि वह उन्हें जड़ से उखाड़ देगा, फिर फल कहां से लगेंगे। इनको पहले वहां छोड़िए जहां वन संपदा में यह चीजें पहले से ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और जब तक उनको वहां रहने की आदत न पड़े तब तक उनको वहां पर खान-पान देते रहिए।

एक समाचार-पत्र मुझे पढ़ने को मिला था - खुला पत्र। यह माननीय शांता कुमार जी ने मुख्य मंत्री जी के नाम पर दिया था। शायद आपको भी प्रति भेजी होगी। उन्होंने कहा था कि बंदरों के निर्यात की अनुमति पर जो प्रतिबंध लगा है, उसको हटा दें। मैंने उनको खुला पत्र लिखा और आपको भी प्रति भेजी कि यह कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं कर पाएगी। हिमाचल सरकार प्रस्ताव पारित कर भेज सकती है लेकिन यह अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार का है जहां वह स्वयं बैठे हैं तथा वहां हमारे और भी माननीय सांसद हैं। इसके अतिरिक्त शायद यह समस्या

उतराखण्ड में भी हो। इसलिए अगर सभी इकट्ठे होकर इस प्रकार का प्रस्ताव वहां लाते हैं तो निश्चित रूप से यह अनुमति मिल सकती है।

आज आप किसानों को कह रहे हैं कि तुम मुकाबला करो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मानो कि कोई भालू हम पर या आप पर हमला कर दे तो हम क्या

08.12.2014/1605/SLS- JT-2

अहिंसा परमो धर्मः का जाप करेंगे ? उसका मुकाबला कैसे करेंगे ? क्या निहत्थे इन जीवों का मुकाबला हो सकता है ? कोई कानून नहीं रोकता कि अगर वह आप पर आक्रमण करे और हम हाथ खड़े कर दें। तो फिर आपव गन लाइसैंसिज क्यों नहीं देते? आप सभी किसानों को यह क्यों नहीं देते? कम-से-कम क्रॉप प्रोटैक्शन के लिए और ऐसी स्थिति में अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उसके पास क्या हथियार है। वह फसल की रक्षा कैसे करे ? अगर आप शिमला में बंदरों को थोड़ा रौब दो तो आपको भागना पड़ता है और कमरे में छुपकर जान बचानी पड़ती है। फिर बेचारा किसान क्या करेगा? इसलिए जितना जल्दी हो सके, यह लाइसैंस दिया जाए। आगे एक कंडिशन है कि जहां पर वाइल्ड लाईफ सैंचुरी हैं वहां पर लाइसैंस बिल्कुल मत दो। अर्थात वहां आत्महत्या कर लो और अंदर घुस जाओ। क्या ऐसा करें ? वहां पर तो ज्यादा ज़रूरत है। जो-जो लोग वाईल्ड लाईफ सैंक्चुरीज में रह रहे हैं , जिनके घर नजदीक हैं, इसमें आपने 10 किलोमीटर का रेडियस रखा है। अगर उस 10 किलोमीटर की रेडियस में वाईल्ड लाईफ सैंक्चुरी है, उसका जो क्लीयर डिसटैंस होगा, जैसे कि कुल्लू 10 किलोमीटर है, फिर लाईसैंस किसको मिलेगा? मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं लेकिन इतना सा काम करवाने में भी आप, मंत्री जी, असफल रहे हैं। इसको करिए। केवल सिर हिलाने से बात नहीं बनेगी। दृढ़-संकल्प लेकर इस समस्या से निजात दिलाइए। मेरा एक और सुझाव है। प्रदेश के हाईकोर्ट ने आपसे जानना चाहा है क्योंकि किसी ने पी आई एल की है। संभवतः सिरमौर में बंदर मारे गए और उसके ऊपर किसी ने पी आई एल कर दी कि बंदरों की हत्या कर दी गई। इसमें धार्मिक भावना जुड़ी हुई है। हाईकोर्ट ने सरकार ने जवाब चाहा था कि आपका क्या कहना है। मुझे मालूम नहीं कि अब क्या जवाब दिया होगा लेकिन चार महीनों तक आपका कोई जवाब नहीं था। क्यों चुप्पी साधे बैठे रहे ? मुख्य मंत्री जी ने स्वयं एक बैठक में कहा था कि तुरंत जवाब दीजिए। और हम इस पक्ष में है कि जो

नुकसान करता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। जहां तक धार्मिक भावनाओं की बात है, यह सत्यता है कि आजकल का इंसान न तो उस प्रकार का राम भक्त

08.12.2014/1605/SLS- JT-3

रहा जैसा था और न ही ये बंदर हनुमान भक्त हैं। यह कलियुक का असर है। युगांतर हो गया है।

जारी ..गर्ग जी

08/12/2014/1610/RG/AG/1

श्री महेश्वर सिंह-------------क्रमागत

युगान्तर हो गए। अब कोई भी इस प्रकार से नहीं रह रहे। आज का बन्दर तो मांसाहारी हो गया है। क्या हनुमानजी की सेना मांसाहारी थी ? ये तो दुकान से उठाकर अण्डे खा जाते हैं और होटल में मीट भी खा जाते हैं। अब कहां की यह उस प्रकार की धार्मिक आस्था रही? उपाध्यक्ष महोदय, रामायण में एक प्रसंग आता है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वैसे आपको जानकारी होगी कि क्या बाली और सुग्रीव दोनों बन्दर जाति से नहीं थे और जब बाली दुराचारी हो गया , तो उसको किसने धोखे से मारा ? अगर भगवान राम ने उसको मार दिया , यदि कोई दुराचारी बन्दर है और उसको आप मार देंगे, तो कौन सा पाप हो जाएगा? एक उदाहरण और मैं इस माननीय सदन में देना चाहूंगा। महाराजा अशोक जिन्होंने 'अहिंसा परमोधर्मा' का पालन किया , उनके राज में क्या सजा थी कि अगर कोई चोरी करेगा, तो हाथ काट दिए जाएंगे ताकि उसको देखकर चोरी का कोई दूसरा मामला सामने न आए। तो इससे कुछ सीखना होगा। मैं जानता हूं कि यह एक बहुत कठोर निर्णय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां एक सुझाव रखना चाहूंगा। यदि आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं , तो इस माननीय सदन की एक उप-समिति बनाइए और वह 15 दिन या एक महीने में इन सुझावों पर विचार करे। और भी सुझाव आते हैं, जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा , तो सभी सुझावों पर एक मुश्त निर्णय लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, सुजान सिंह जी शायद उस समय सर्विस में होते थे या शायद उसके बाद सर्विस में लगे होंगे। उस समय हमारा कांगड़ा जिला एक था, हम लोग जब इस जिले में थे, तो कुल्ले में सबसे ज्यादा समस्या चमगादड़ों

की आई। मैंने एक दिन मंत्री जी को भी यह बताया था। चमगादड़ों की इतनी समस्या आ गई कि सारे बगीचे खाली हो गए, कोई फल नहीं रहा और तत्कालीन सरकार ने पंजाब से आदेश भेजा कि कुल्लू में पता करो, कितने लाइसैंस होल्डर्ज हैं, उस समय वहां असिसटैंट कमिश्नर बैठते थे, सभी को वहां असिसटैंट कमिश्नर के कार्यालय में बुलाया और मेरी आयु उस समय लगभग 8-10 साल की थी , लेकिन मुझे अभी भी याद है कि असिसटैंट कमिश्नर के यहां सभी बन्दूक होल्डर्ज आए। एक-एक बन्दूकधारी को 25 cartridges का डिब्बा दिया गया और जिनको टोपीदार बोलते हैं, उनको बारूद और टोपी इतनी दी गई कि कम-से-कम 25 चमगादड़ मारे जाएं।

08/12/2014/1610/RG/AG/2

इसमें सबकी डियुटी लगाई और एक शर्त रखी कि उस चमगादड़ का राइट पंजा लाकर जमा करना होगा जो प्रमाणित करेगा कि इसने 25 चमगादड़ मारे हैं। सबने यह काम किया जिससे आज तक हमको उनसे निजात मिली हुई है। अब धीरे-धीरे संख्या बढ़ रही है , मेरी भगवान से प्रार्थना है कि कम-से-कम आपके नेतृत्व में तो न बढ़े, आपने कहना कि इनको न मारो और हमारा भी सत्यानाश हो जाए। एक दिन उनको मारना पड़ेगा। इसी प्रकार से कुछ विचार करिए। ऐसे ही काम नहीं चलने वाला। इसके अतिरिक्त जो आप स्टरलाईजेशन कर रहे हैं इसके लिए भी ये 5 केन्द्र या 7 केन्द्र, इतने केन्द्र बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यह देखिए कि जितनी उस केन्द्र की क्षमता है क्या उसने उतने ऑपरेशन वे कर रहे हैं ? जब आप बोलेंगे, तो इस पर मैं आपका उत्तर भी चाहूंगा । यदि वह उतने ऑपरेशन नहीं कर रहा है , तो फिर आप इसके लिए ड्राईव क्यों नहीं चलाते ? जैसे शिमला में आज सबसे बड़ी समस्या हम सबके सामने है कि ये लोगों पर अटैक कर रहे हैं , कहीं और अटैक कर रहे हें। सब लोगों को जो ट्रेंड हैं , उनको बुलाइए या फिर ये गन्ज़ मंगाइए और इनको इकट्ठा करिए, कहीं तो साबित कर दीजिए कि इस जगह पर इनसे निजात मिल गई। आज आप कहते हैं कि हमने 87,000 बन्दरों की नसबन्दी की और जो 87,000 बाहर रहे, पता नहीं उन्होंने कितने बच्चे पैदा कर दिए होंगे। यदि साल में दो बार दो ने कर दिए, तो चार बच्चे एक ही के हो गए। अब पता नहीं दो बार बच्चे देते हैं या चार बार, यह तो इनको ज्यादा पता होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ , यहां जो मैंने अपनी बात रखी है , मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि आप भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दृढ़ता से राजधर्म निभाइए ताकि लोगों को इनसे निजात मिले अन्यथा इस प्रकार के बेकार के स्टेटमेंट देने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया , मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

समाप्त

अगले वक्ता एम.एस. द्वारा शुरू

08/12/2014/1615/MS/JT/1

उपाध्यक्षः अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी भाग लेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महेश्वर सिंह जी ने नियम 130 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसकी चर्चा के लिए मैंने भी नोटिस दिया था और मैं इस चर्चा में अपने आपको शामिल करता हूं।

उपाध्यक्ष जी, मुख्य रूप से शिमला जिला का जिक्र यहां बार-बार किया गया है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और किसी समय यह ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यह पर्यटन स्थल है और आज जिस प्रकार से यहां पर बंदरों के कारण आतंक की स्थिति पैदा हो गई है, उसके कारण स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटक भी बहुत परेशान हैं।

इसके साथ-साथ आवारा कुत्तों का भी यही हाल है। म्युनिसिपल कारपोरेशन शिमला से पूर्व यहां म्युनिसिपल काउंसिल होती थी। म्युनिसिपल कमेटी की टीम जब कुत्तों को मारने के लिए जाती थी तो वे दही इत्यादि में उनको दवाई देते थे , जिसको खाकर कुत्ते मर जाते थे। कुत्ते भी कई बार टीम को ही पहचान लेते थे और भाग जाते थे। लेकिन अब उनको मारने पर भी बैन है और अब आवारा कुत्ते पूरी-की-पूरी टीम बनाकर सारे शिमला में घूमते हैं।

इसके अतिरिक्त भेड़िए भी शिमला के अलग-अलग स्थानों पर लोगों को मिल रहे हैं। यहां पर बैठे अधिकांश लोग तो गाड़ियों में चलते हैं। रात के समय यदि किसी आम आदमी को पैदल चलना पड़े या सुबह के समय किसी को कहीं जाने के लिए यदि बस पकड़नी हो तो उसको चलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। वह

सोचता है कि अगर वह अकेला जाएगा तो उसे बंदर और आवारा कुत्ते तो मिलेंगे ही परन्तु कहीं भेड़िया न मिल जाए। पहले शिमला के ऊपरी एरिया में जहां सेब के बगीचे हैं, वहां बहुत कम बंदर हुआ करते थे। लेकिन आजकल बगीचों को बचाना भी

08/12/2014/1615/MS/JT/2

मुश्किल हो रहा है। यह सारी समस्या इतनी गम्भीर हो गई है कि इसके कारण शिमला के मालरोड पर भी चलना मुश्किल हो गया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारी बातें माननीय महेश्वर जी ने यहां कही हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। उन्होंने ज्यादातर उदाहरण शिमला के ही दिए हैं लेकिन स्थिति इतनी भयंकर हो गई है कि अब बच्चे स्कूल तक जाने से डरते हैं। जिन लोगों के पास तो गाड़ियां हैं और जिनके बच्चे कॉन्वैंट स्कूलों में पढ़ते हैं , वे तो गाड़ियों में अपने बच्चों को स्कूल छोड़ देते हैं लेकिन गरीब बच्चे जिनके माता-पिता दोनों कामकाजी हैं, वे अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं छोड़ पाते हैं। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको गाड़ियों में छोड़ने वाला कोई नहीं होता है। उनका इन जानवरों की वजह से रास्ते में चलना दूभर हो जाता है।

उपाध्यक्ष जी, इस समस्या के बढ़ने में मैं समझता हूं कि एक कारण हम भी हैं। हम तीन-चार दिन से यहां चर्चा कर रहे हैं कि पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है। यह कटान अगर इसी तरह से होता रहेगा तो इन जानवरों का जो नेचुरल हैबिटेट है, जहां पर ये रहते थे, उन स्थानों को हमने समाप्त कर दिया है। हमने पेड़ समाप्त कर दिए हैं और वहां पर कंकरीट के बड़े-बड़े जंगल बना दिए हैं। शिमला के जाखू के क्षेत्र में पहले भी बंदर हुआ करते थे लेकिन वे बंदर खूंखार नहीं होते थे। उस समय जब लोग मंदिर जाते थे तो वे बड़े आराम से लोगों की ऐनक वगैरह उतार लेते थे और यदि महिला है तो उसका पर्स ले लेते थे लेकिन आजकल वे आदमियों पर झपटते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग बंदरों को चने इत्यादि देते हैं, जिसके कारण जो बाकी लोग भी वहां जाते हैं , वे उन पर भी झपटते हैं। लेकिन पहले वहां पर घने जंगल हुआ करते थे इसलिए वे अधिकतर जंगलों में ही रहते थे। कहा भी जाता है कि वे झुंडों में रहते हैं और उनके अपने नेता होते हैं। लेकिन जब जंगलों की जगह मकान बन जाएंगे और जंगलों में पेड़ कट जाएंगे या पेड़ों को रसायन डालकर सूखा

08/12/2014/1615/MS/JT/3

दिया जाएगा तो ये जंगली जानवर कहां जाएंगे? नेचुरल कोर्स में ये शहरों में ही आएंगे, चाहे ये मरने के लिए आएं। आज ये मर नहीं रहे हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

8.12.2014/1620/**जेके/जेटी**/1

श्री सुरेश भारद्वाजः----**जारी**------

आज ये मर नहीं रहे हैं। आज स्थिति यह आ गई है कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए। इनके जो कुदरती स्थान थे, जहां पर यह रहा करते थे उनको मनुष्यों ने समाप्त कर दिया है। अब ये उस स्थान को छोड़ करके शहरों में मानव के बीच में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पर कुछ न कुछ तो करेंगे ही। पहले दिल्ली में कई दफ्तरों में लंगूर को एक्वायर किया जाता था और बाकायदा उनकी तन्ख्वाह लगी होती थी, क्योंकि वह बंदरों को डराता था और बन्दर उसके डर से नहीं आ पाते थे। अगर आज आप शिमला में देखें तो आपको बन्दर भी वहीं मिलेंगे,लंगूर भी साथ मिलेंगे और साथ-साथ आवारा कुत्ते भी मिलेंगे। कुत्तों से बन्दर डरते थे। लेकिन आज तो कुत्ते, बन्दर और लंगूर सब साथ-साथ रह रहे हैं। उनकी अब अपनी पार्टी बन गई है। आवारा कुत्ते भी उनके साथ हो गए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी तो बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बन्दर तो जाखू के एरिया में ही हुआ करते थे। यदि जाखू के एरिया में कंकरीट के मकान बन जाएंगे तो बन्दर कहां जाएंगे? अब वह जंगल खत्म हो रहे हैं और बन्दर नीचे की ओर आ रहे हैं । अब रात को जब थोड़ी-थोड़ी आवाज होती है तो बन्दरों की आवाजें शुरू हो जाती है। जब भेड़िया शहर की तरफ आता है तो उस डर से बन्दर ज्यादा डरता है और बन्दर के जो बच्चे होते हैं उनको बचाने के लिए वह शहर के मकानों की छतों पर बैठे होते हैं।

मुख्य मंत्रीः बन्दरों और आवारा कुत्तों की समस्या है, लेकिन इसका समाधान क्या है? ये जो आवारा पशु और कुत्ते हैं इनका क्या समाधान है ? What is the way out and what should we do, इस बारे में सुझाव दीजिए।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर ठीक कहा है और माननीय महेश्वर सिंह जी ने भी यहां पर कुछ सुझाव दिए हैं। लेकिन यह जो समस्या है यह क्यों हुई है और इस समस्या को रोकने की जरूरत है। पहला मेरा सुझाव यही है कि जंगलों से पेड़ों के कटान पर बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा करके इसमें सख्ती

8.12.2014/1620/जेके/जेटी/2

से निपटा जाए, ताकि ये बन्दर अपने-अपने हेबिटेट में रहें और जहां पर मानव रहता है उस ओर ये न आएं। शिमला में हाई कोर्ट की इन्टरवेंशन थी और वहां पर एक कुत्ता घर टूटीकण्डी में बना दिया गया था, लेकिन उनको वहां पर पूरा अनाज़ नहीं मिलता था और न ही रोटी मिलती थी इस कारण से वह योजना भी समाप्त हो गई। इसी तरह से बन्दरों के लिए तारादेवी के निकट एक स्थान बना दिया गया था, लेकिन वहां पर भी कोई फेंसिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई और वह योजना थी समाप्त हो गई। यदि बन्दरों को एक जगह में पकड़ कर रखना चाहते हैं तो कोई भी जानवर पिंजरे में नहीं रहना चाहता है , भले ही आप उनको रखने की कोशिश करें। यदि आप इस तरह से उनको रखना चाहते हैं तो फिर उनकी फेंसिंग का प्रबन्ध भी उसी तरह से करना पड़ेगा, जिससे वे बाहर न जा सकें। उनको खाने-पीने की पूरी व्यवस्था सरकार और समाज को करनी होगी।

दूसरा मेरा सुझाव यह भी है कि सेन्ट्रल ऐनिमल बोर्ड की मीटिंग बहुत सालों से नहीं हो पा रही है, जो कि मेरी सूचना है। प्रदेश के मुख्य मंत्री और अन्य माननीय भी उसके मेम्बर होते हैं। यदि उस बोर्ड की मीटिंग बुला ली जाए तो कुछ समाधान हो सकता है। क्योंकि वह गवर्नमैंट को रिकोमैंड करता है कि इन जानवरों को किस प्रकार से रोका जा सकता है। उसके लिए मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मीटिंग को बुलाने के लिए सेन्ट्रल ऐनिमल बोर्ड से आग्रह करें। क्योंकि बहुत सारी एन0जी0ओज़0 और कानून सेन्ट्रल लैवल पर वे ऑप्रेट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बन्दरों को मारने की छूट दे दी गई थी, लेकिन किसी एन0जी0ओ0 ने हाई कोर्ट में पी0आई0एल0 कर दी और उसके बाद उनको मारने पर पाबन्दी लगा दी गई। उसमें धार्मिक भावना हो सकती है और अंधविश्वास के आधार पर हो सकती है। जैसे कि यहां पर श्री महेश्वर सिंह जी कह रहे थे कि बाली बन्दर था। बाली और सुग्रीव बन्दर नहीं थे वह वानर जाती थी। वे बन्दर कोई पशु के रूप में नहीं थे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

8.12.2014/1625/SS-JT/1

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः

उनको मारना , राम के साथ इक्वेट करना , एक बहुत अलग -सी स्थिति है। मैं समझता हूं कि हम बन्दर के साथ हनुमान जी को इक्वेट करके ठीक बात नहीं कर रहे। खास करके जो रघुनाथ जी के महाकारदार हों और वे इस प्रकार की बात करें तो मुझे उचित नहीं लगता है। इसलिए इस पर हमको प्लान तैयार करना पड़ेगा। इस वक्त स्टरलाईजेशन के कैम्पस बहुत कम हैं। पहले वह शिमला में ही था। लेकिन देखा यह गया है कि उसमें स्टरलाईजेशन इफैक्टिव नहीं है। उसका कारण क्या है ? स्टरलाईजेशन एक्चुअली होती है या नहीं होती है इस पर विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि हमने इतने बन्दर स्टरलाईज़ कर दिए हैं लेकिन वास्तव में वे स्टरलाईज़ होते नहीं हैं। शिमला में तो बन्दरों की स्टरलाईजेशन का केन्द्र काफी सालों से है लेकिन उसके बावजूद वहां पर बन्दर काफी बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि जो मादा बन्दरी होती है उसके साथ 4-4 या 5-5 बच्चे होते हैं। उसके साथ ज्यादा संख्या में बच्चे दिखाई देते हैं। अब हो सकता है कि वह शायद प्रोटैक्शन के लिए करती होगी लेकिन इस प्रकार से बहुत सारे बन्दर दिखाई देते हैं। हम प्रदेश के विभिन्न एरियाज़ में स्टरलाईजेशन के ज्यासदा -से-ज्याशदा सैंटर बनाएं। आवारा जानवरों को जैसे कुत्तों के लिए पहले म्युनिसिपल कमेटी थी, पहले कुत्तों को कुछ खिलाकर मार दिया जाता था, मैं समझता हूं कि इससे उनको सद्गति प्राप्त होगी। उसके लिए अगर केन्द्र सरकार का कोई नियम या कानून है अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो उसके लिए प्रयत्न किया जा सकता है अथवा प्रदेश सरकार को कोई नियम या कानून बनाना है तो यहां पर कोई राजनीति की बात नहीं है। यह सारे प्रदेश की समस्या है। आम लोगों की समस्या है। अब यह सड़क पर चलने वालों की समस्या हो गई है। किसानों की समस्या तो है ही लेकिन अब यह सब की समस्या हो गई है। इसलिए हम सब को मिल कर इसके लिए कदम उठाना चाहिए। केन्द्रीय स्तर पर हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी ने संसद में कुछ दिन पहले बहुत जोर-शोर से इस विषय पर चर्चा लाई थी। इस विषय को उठाया था। लेकिन प्रदेश स्तर पर हम केन्द्र सरकार से इस पर कार्रवाई करने का आग्रह करें। उनसे नियम या कानून

8.12.2014/1625/SS-JT/2

बनाने के लिए रिक्वैस्ट करें। या फिर इसकी बहुत सारे बाहर के देशों में रिसर्च इत्यादि के लिए आवश्यकता होती है। ऐसा कहा जाता है, मुझे जानकारी नहीं है लेकिन हम ऐसा पढ़ते और सुनते थे कि बन्दरों को बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था। परन्तु अब शायद वह बन्द हो गया है। यह सारी समस्या बता कर अगर उसको पुनः खोलने के लिए प्रयत्न किया जायेगा तो उससे कुछ समस्या कम हो सकेगी। इस प्रकार से हम सब को मिलकर इस समस्या पर बड़ी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम गम्भीरता से सब मिलकर कोई निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हम इस समस्या से निजात पा सकेंगे। इससे निजात पाना बहुत आवश्यक है। आजकल बहुत सारे किसानों ने अपनी फसल को इसीलिए बोना बंद कर दिया है क्योंकि जब फसल बीजते हैं तो उसके बाद बन्दरों का पूरे-का-पूरा झुंड आ जाता था। पहले किसी जमाने में एक -आध बन्दर आता था लेकिन अब वे पूरे-के-पूरे झुंड में चलते हैं और सारा खेत एक बार में ही साफ हो जाता है। उसको रोकने के लिए प्रयत्न किये जाएं। अगर उसमें मारने के लिए या डराने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे महेश्वर सिंह जी ने एक अच्छा सुझाव दिया कि कोई नशे की बुलेट टाइप की बन्दूक हो और उसको सब को दे दिया जाए तो वह भी एक अच्छा सुझाव हो सकता है। अगर बन्दरों को मारने की दिशा में कुछ लम्बा समय लगता है तो इन उपायों का इस्तेमाल करेंगे। निश्चित रूप से चाहे इसकी कलिंग हो, चाहे इसके लिए एक्सपोर्ट हो अथवा इनकी स्टरलाईजेशन हो लेकिन इस कार्य को वार लेवल पर उठाने की आवश्यकता है। तभी मैं समझता हूं कि हम प्रदेश के किसानों की और प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की रक्षा कर सकेंगे और प्रदेश में जो स्कूलों या कॉलेजों में बच्चे जाते हैं, वे वहां आराम से जा सकेंगे। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

08-12-2014/1630/**केएस/एजी**/1

श्री कुलदीप कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, श्री महेश्वर सिंह जी और श्री सुरेश भारद्वाज जी ने जो नियम 130 के अन्तर्गत प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखा है, आपने उस पर मुझे भी बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। जैसे कि उक्त दोनों माननीय

सदस्यों ने भी कहा और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी चिन्ता व्यक्त की है, उसी पर मैं भी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हिमाचल प्रदेश खेती पर आधारित बाहुल्य क्षेत्र है और यहां पर लगभग 90 प्रतिशत किसान है। चाहे उनके पास थोड़ी जमीन है या बहुत जमीन है। आजकल किसान बन्दरों और आवारा पशुओं तथा अन्य जंगली जानवरों के आतंक से बहुत परेशान है । लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वे अपनी खेती की बंदरों से रक्षा करें या अपने घर में रखी चीजों की रक्षा करें। जिस तरीके से हमारे बॉर्डर पर आतंकवादियों का आतंक बढ़ रहा है उसी तरह से यहां पर बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है । आतंकवादियों को तो गोली से मार सकते हैं लेकिन बंदरों को गोली से नहीं मार सकते। जहां तक स्टैरिलाईजेशन सैंटर्ज़ खोलने की बात आई, मुझे भी ऑफर मिली की इस तरह का एक सैंटर आपके एरिया में भी खोल देते हैं, वीरेन्द्र कंवर जी के एरिया में भी खुला हुआ है। मैंने वहां पर लोगों से पूछा कि क्या वहां पर स्टैरिलाईजेशन सैंटर खोल दें ताकि फसलों का बंदरों से बचाव हो सके तो लोग हाथ जोड़ने लगे कि यह बीमारी यहां मत लाना क्योंकि यहां-वहां से बंदरों को इकट्ठा करके इन सैंटरों में लाया जाता है, वहां स्टैरिलाईजेशन होती है या नहीं, यह शंका तो अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने जाहिर की लेकिन स्टैरिलाईजेशन करने के बाद बंदरों को वहीं पर छोड़ देते हैं और वहां बंदरों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ जाती है। मेरे चुनाव क्षेत्र में उक्त सैंटर को खोलने के लिए माननीय वन मंत्री जी ने मुझे कहा था लेकिन मैंने मना कर दिया कि इसके खुलने से तो बीमारी हमारे गले पड़ जाएगी। बंदरों का इतना आतंक है कि बंदर किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते। यदि लोगों ने गंदम बीजी हो तो बंदर अपनी ऊंगलियों से उसको उखाड़कर खा जाते है । उनकी पूरी फौज खेतों में आ कर उसको तबाह कर देती है।

08-12-2014/1630/केएस/एजी/2

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में एक एग्रिकल्चर की लिफ्ट इरिगेशन का शिलान्यास किया । वह गांव एक पहाड़ी क्षेत्र में था। वहां पर जब मैंने कहा कि आपको मैंने एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम दे दी है। यहां पर इरिगेशन होगी, आप सब्जियां बीजेंगें, बाकी फसल उगा सकेंगें और अब यहां के नौजवानों को नौकरी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लेकिन जब मैं यह बातें कर रहा था तो सारे लोग मुझसे कहने लगे कि पहले बन्दरों का ईलाज़ कर लो तब

इरिगेशन का फायदा होगा। लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम का कोइ फायदा नहीं है क्योंकि किसान जो कुछ भी खेतों में उगाता है, बंदर उसको तबाह कर देते हैं। आजकल किसानों ने फसल उगाना बन्द कर दिया है। सारे खेत बंजर हो गए हैं । यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

08.12.2014/1635/ag-av/1

श्री कुलदीप कुमार------ जारी

यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ये इस बारे में चिन्तित हैं तथा यह हमारी कांग्रेस पार्टी के मेनिफैस्टो में भी है। पूरा सदन इस बारे में एकमत है। पिछली सरकार ने भी इस बारे में उपाय किए थे। पिछली सरकार के समय में कहा गया था कि एक बंदर पकड़ कर लाओ , उसकी जगह 500 रुपये मिलेंगे। मगर वह स्कीम भी फेल हुई। आज 500 रुपये क्या यदि किसी व्यक्ति को बंदर काट जाए तो उसका इंजैक्शन भी बहुत महंगा है , इस करके वह स्कीम फेल हो गई। यहां पर आवारा पशुओं की बात की गई। लोग अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं। इन आवारा पशुओं का सारा-का-सारा झुण्ड किसानों के खेतों में घुसकर फसल तो बरबाद करता ही है मगर आजकल इनकी वजह से सड़कों पर ऐक्सिडैंट हो रहे हैं। सड़कों पर आवारा पशुओं के झुण्ड-के-झुण्ड खड़े रहते हैं और उनकी वजह से ट्रेफिक जाम हो रहा है। हमारी तरफ बाघ का एक और आतंक है। कभी एक गांव से, कभी किसी दूसरे गांव से आवाज आ रही होती है कि बाघ हमारी भेड़ खा गया, हमारी बकरी खा गया, हमारा पशु खा गया, हमारा बैल खा गया। पीछे शिमला में विधान सभा के पास ही बाघ आ गया था। हमारे वहां एक गांव में बाघ का आतंक होने पर मैंने जब डी.एफ.ओ. से टेलिफोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एक ही पिंजरा है। वह पिंजरा मैंने बंगाणा की तरफ लगाया हुआ है, अब दूसरा पिंजरा मैं कहां से लाऊं। जब बंगाणा वाला बाघ पकड़ा जायेगा तो मैं उस पिंजरे को आपके क्षेत्र में लगा दूंगा। मेहरबानी कीजिए, आपने (माननीय वन मंत्री जी को कहा।) इतने बाघ छोड़ दिए तो कम-से-कम पिंजरों की संख्या तो बढ़ा दीजिए। (---व्यवधान---) बाघ आपके (श्री बिक्रम सिंह जी को कहा।) ही आते हैं और बंदर भी आपके ही आते हैं, हम पड़ोसी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पिंजरों की संख्या बढ़ायें ताकि वहां पर बाघों को पकड़ा जा सके और लोगों का नुकसान होने से बचे। यह बहुत गम्भीर मसला है और आप इस मसले को केंद्र सरकार से उठाइये। केंद्र सरकार बंदरों के ऐक्सपोर्ट की परमिशन दें। यह बात भी सही है कि कइयों को

08.12.2014/1635/ag-av/2

बंदर बहुत स्वाद लगते हैं। हमारे वहां ऊना और अम्ब सड़क बनाने के लिए एक चाइनिज कम्पनी आई। वहां कोई कुत्ता नहीं बचा। उस कम्पनी के लोग वहां के सारे कुत्तों को खा गये। अगर आप उनको बंदर देंगे तो उनके लिए यह बहुत बढ़िया होगा। वे लोग उनकी सब्जी बनाकर खा जायेंगे। इस करके आप इस मसले को केंद्र सरकार से उठाइए। अगर बंदर ऐक्सपोर्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहां कहा गया कि अगर लोगों को सबसिडी पर ट्रेंक्विलाइजर गन दे दी जाए तो वे इनको बंदर भगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बंदर को बेहोश करने पर बाकी खुद डर कर भाग जाते हैं। अतः यह किसानों की एक गम्भीर समस्या है तथा यह मसला हर सत्र में उठता है। इस सदन के सभी माननीय सदस्य इसके प्रति गम्भीर है। हम सभी को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए ताकि ----------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

08.12.2014/1640/ **नेगी/ए.जी./1**

श्री कुलदीप कुमार... जारी...

ताकि यह जो मसला है इसका हल निकाला जा सके। अंत में, इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया , मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद।

समाप्त

08.12.2014/1640/ **नेगी/ए.जी./2**

उपाध्यक्षः अब श्री वीरेन्द्र कंवर जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय उपाध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण चर्चा नियम 130 के अन्तर्गत आज सदन में लायी है और पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तृत रूप से इस पर चर्चा भी की है। मुझे लगता है कि जब भी सदन लगता है तो हर वर्ष यह चर्चा आती है। लेकिन इसके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है, ज़रा इस पर भी हमें थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। यह मज़ाक का विषय नहीं है कि आज जहां प्रदेश में बन्दरों के कारण, आवारा कुत्तों के कारण और आवारा पशुओं के कारण, विशेषकर गाय को जो छोड़ दिया जाता है जिससे आम आदमी और किसान परेशान है। हमें एक ठोस नीति इस सदन में बनानी चाहिए क्योंकि कभी यह विषय नियम- 101 के अन्तर्गत आ जाता है और कभी नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा के लिए आ जाता है । हम सुझाव भी देते हैं। पिछली सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास किया था। वैसे तो हम गाय को गऊ-माता

कहते हैं, अब हम उसको आवारा कैसे कह सकत है , यह थोड़ा विचित्र विषय है । बरसात के दिनों में गाड़ियों की गाडियां गऊओं से भर कर सड़कों पर छोड़ देते हैं। अभी कुलदीप कुमार जी ने ठीक कहा, हमारे यहां हर वर्ष 8-10 एक्सीडैंट्स गाय के कारण होती हैं। यहां तक कि बैलों को भी लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया है। पिछली बार सरकार ने बड़ी एक्सर्साइज़ की। पशु-पालन विभाग ने उनकी नम्बरिंग भी की और उसके ऊपर सदन में कानून भी लाया । लेकिन उस कानून को इम्पलीमैन्ट नहीं किया। विषय यह है कि उसको इम्प्लीमैन्ट किया जाए। कम से कम हम यह भी थोड़ा रिसर्च/स्टडी करें कि गऊओं को लोग छोड़ते क्यों हैं? हिमाचल प्रदेश के अन्दर सरकार की और पशु-पालन विभाग की पॉलिसी है कि हम जरसी गाय और उच्च्तम नस्ल के गायों को बढ़ावा दें। अब हमारी गाय उस श्रेणी में आती है या नहीं लेकिन आज न गाय को अपने मालिक से लगाव है और न ही मालिक को गाय से लगाव है । दूध ज्यादा देने के कारण वह हाईब्रिड गाय 4 या 5 बार सूने के बाद बेकार हो जाती है । उसका जो बछड़ा है वह भी किसी काम नहीं आता। उसकी भी मार्किट वैल्यू शून्य है । उसको भी हल जोतने के काम में नहीं लाया जाता है। इसके कारण लोगों की भी यह समस्या पैदा हो गई है । यहां पर पशु-पालन विभाग के मंत्री बैठे हैं, आप

08.12.2014/1640/ **नेगी/ए.जी./3**

इसके ऊपर एक रिसर्च/ स्टडी करवाएं। जितनी भी हमारी वैटरीनरी डिस्पैंसरीज़/हॉस्पिटल्ज़ हैं वहां पर जो ऑर्टिफिशियल इन -सेमिनेशन की जाती है उसमें जरसी और एच.एफ. कैटेगरीज़ का ही बढ़ावा देते हैं। हमारी अपनी देसी गऊ है, पहाड़ी गऊ है और हिन्दुस्तान की अलग-अलग गऊओं की नस्लें हैं।आज विदेशों में जहां 8 लीटर से 60 लीटर तक दूध देने वाली गऊओं को पहुचा दिया गया है । आप यह रिसर्च हिन्दुस्तान में क्यों नहीं करते? वह इतना बढ़िया है कि उसका अपने मालिक से भी लगाव होता है । हमारे यहां बैल जोतते थे और जब बैल बूढ़ा हो जाता था तब भी हम उसको मरने तक अपने घर में रखते थे। ऐसे ही हम गाय का भी इन्तज़ाम करते थे। लेकिन इस तरह की जो ब्रिड है इससे बांझपन बढ़ा है और उसके कारण न इसके बैल काम आते है। और न ही बाद में गाय काम की रहती है ।इस करके मेरा सरकार से यह निवेदन रहेगा कि जहां जो एक्सर्साइज़ आपने पहले की है ...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी..

08-12-2014/1645/यूके/एजी/1

श्री विरेन्द्र कुमार ---जारी ----

जो ऐक्सरसाईज़ आपने पहले की है। कानून आप इस विधान सभा के अन्दर ले कर आए हैं। आप उस कानून की इम्पलीमैंटेशन सख्ती से कराइए। इनकी नम्बरिंग कराइए कि कौन उनको छोड़ता है। कौन बेचता है।बरसात के दिनों में सारे बैल और गायें रास्तों में छोड़ जाते हैं और जैसे ही फसल का समय होता है वे उन बेलों को ले कर चले जाते हैं। इसमें जो दोषी पाया जाए उसको सजा होनी चाहिए। इसी तरह से जर्सी गायों को बढ़ावा देने की जो हमारी वैटरनरी की जो पॉलिसी है हमको उसके ऊपर भी गहराई से विचार करना होगा।

मेरा तीसरा निवेदन है कि बन्दरों के ऊपर हम हर बार चर्चा करते हैं। हम क्यों नहीं एक नेश्नल कम्पेन शुरु करते हैं बजाय इसके कि हमने एक स्टरलाईजेशन सेंटर बना दिया लेकिन एक साल से वहां पर एक भी डॉक्टर नहीं। वहां पर उनको पिंजरों में पकड़ कर लाते हैं। अभी श्री कुलदीप कुमार जी यहां पर ठीक कह रहे थे कि बन्दरों को पकड़ कर जिस जगह छोड़ना है यदि हम वहां पर नहीं छोड़ कर वहीं आसपास छोड़ देते हैं जिससे यह समस्या और भयानक कहो गयी है। अगर हमारे पास बहुत से सैंन्टर है उनमें इतनी केपेसिटी है, तो यदि हम उनको नहीं पकड़ पाते हैं तो जैसे कहा गया है उनको गन से बेहोश करके उनकी स्टरलाइजेशन किया जाए ताकि उनकी संख्या कम हो सके। और भी कई उपाय किए जा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि वहां पर बड़ी बाढ़ लगानी है तो मैं तो यह कहूंगा कि श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के चुनाव क्षेत्र मे एक खाली जगह है पहले से भी बहुत सारे बन्दर वहां पर हैं तो हमारे पूरे एरिए के बन्दरों को पकड़ कर वहां पर छोड़ दो और वहां पर बाढ़ कर लगा दो। ताकि हमारे एरिया की समस्या का भी समाधान हो सके। इन सैंटरों की ऐवरेज भी दे दी है कि एक साल में इन सैंटर में इतने बन्दर स्टरलाईज किए हैं। लेकिन वहां कुछ नहीं हो रहा है। कभी कहते हैं कि बजट नहीं है, कभी कहते हैं कि डॉक्टर नहीं है। वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं खुद वहां सैंटर में गया हूं। सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को प्रयास

08-12-2014/1645/यूके/एजी/2

करना चाहिए। पिछली धूमल जी की सरकार थी तो हमने इस के लिए बार-बार प्रयास किए यह ठीक है कि हम उन प्रयासों के बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए।

लेकिन प्रयास तो किए हैं । मेरा यही निवेदन है कि हम बार-बार इस मुद्दे को चर्चा में लाएं, हम जो यह चर्चा ले कर आए हैं इस पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए । नहीं तो जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता पूछती है कि इस विषय पर आप क्या कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम इस पर चर्चा ला रहे हैं । लेकिन जनता कहती चर्चा तो ला रहे हैं लकिन इस पर काम क्या हो रहा है ? तो आज इस बात की जरूरत है कि इस विषय पर कोई न कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए । आवारा कुत्तों और बन्दरों के स्टरलाईजेशन के ऊपर भी हम सिर्फ चर्चा करते हैं प्रयास नहीं करते । जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा । तो माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सरकार से यही निवेदन रहेगा कि इस के ऊपर गंभीरता से विचार करे ताकि इस समस्या का समाधान जनता को मिल सके । आपका धन्यवाद । जयहिन्द ।

08-12-2014/1645/**यूके**/**एजी**/3

उपाध्यक्ष : अब श्री बलवीर सिंह वर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे ।

श्री बलबीर सिंह वर्मा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अर्न्तगत जो प्रस्ताव माननीय श्री महेशवर सिंह जी और श्री सुरेश भारद्वाज जी ने लाया है , उस पर मैं बोलने के लिए उठा हूं । आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बन्दरों, आवारा कुत्तों और पशुओं की समस्या है, यह पूरे प्रदेश में हैं । सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण क्षेत्र में आ रही है । ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग किसान हैं, फसलें उगाते हैं ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी ----

08.12.2014/1650/SLS-AG-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा...जारी

वह फसलें उगाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। किसी भी फसल के लिए वह 6-8 महीने मेहनत करते हैं। हमारे क्षेत्र में जो मक्की निकलती है, जिसे सुखाने के लिए लोग उसे छत पर रखते हैं, उसे सूखने के लिए 10-15 दिन लगते हैं पर बंदर अब छत से भी फसल उड़ा रहे हैं। अब तो यह स्थिति हो गई है कि हमारे घर के ऊपर जो छत है, वहां भी फसलें सुरक्षित नहीं हैं। यह बहुत गंभीर समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, इस समस्या से वह दिन में कई बार जूझ रहे हैं। बंदरों की

टोली आती है, छत पर जो फसल सुखाने के लिए लगाई जाती है , वह चाहे मक्की हो, दालें हों ; बंदर उसे 10 मिनट में नष्ट कर देते हैं। किसानों की नौ महीनों की मेहनत अब छत पर भी सुरक्षित नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा इस सदन में कई बार हुई लेकिन अभी तक इसका कोई ऐसा ठोस हल नहीं निकला जो गांवों में किसानों तक पहुंचा हो। बंदरों के नुकसान से बचने के लिए माननीय सदस्यों ने बहुत सारे सुझाव दिए। मेरा यह सुझाव है कि इसके लिए कोई स्पैशल एरिया डिमार्केट किया जाए। उसमें फलदार पौधे लगाए जाएं। उसके चारों ओर फैंसिंग हो। फैंसिंग में करंट दिया जाता है। मैंने यह न्यूजीलैंड में देखा था। कोई भी जानवर करंट के कारण उस फैंसिंग के नजदीक नहीं जा सकता। वह पहले ही उसे दूरे भगा देती है। अगर इस तरह का कोई प्रावधान हमारे यहां भी हो , तो अच्छा होगा। किसी बड़े जंगल में चारों ओर से फैंसिंग हो तो उसमें बंदरों को रखा जा सकता है। अगर माननीय मंत्री महोदय इस समस्या को जल्दी हल नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में किसान फसलें बीजना बंद कर देंगे और इसका खमियाज़ा वहां के जन-प्रतिनिधि को भुगतना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी समस्या आवारा पशुओं की है। आवारा पशुओं के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में भी प्रावधान रखा था लेकिन अभी तक भी ग्रामीण क्षेत्रों तक उसका असर नहीं पहुंचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक भी पशुओं के लिए कोई ऐसे शैड नहीं बनें। मेरी यह विनती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो

08.12.2014/1650/SLS-AG-2

पशु हैं उनके लिए भी उन क्षेत्रों में कोई प्रावधान किया जाए, उनके लिए शैड बनें, उसकी रजिस्ट्रेशन हो, सरकार उसके लिए ज़मीन उपलब्ध करवाए और उनमें जो कर्मचारी लगाए जाएं उनके लिए वेतन निर्धारित हो। पशुओं से और बंदरों से किसानों की फसल को बचाने के लिए सरकार की ओर से ठोस कदम उठेंगे तभी गांवों में किसान फसलें उगाएंगे। गांव में जो फसल उगती हैं वह आर्गेनिक होती है। उनमें न तो कोई खाद होती है, न कोई स्प्रे होता है। हम-सब उसका लाभ उठा सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विनती है कि सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि शहरी क्षेत्रों से बंदरों को उठाकर ग्रामीण क्षेत्रों में न छोड़ा जाए। आज की तारीख में बहुत सारे बंदर ग्रामीण क्षेत्रों में छतों पर भी फसलों को सुरक्षित नहीं रहने देते।

जारी ..गर्ग जी

08/12/2014/1655/RG/AG/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा-----------क्रमागत

आज की तारीख में बहुत सारे बन्दर छतों पर चले जाते हैं इसलिए छतों पर भी हम फसलें नहीं उगा पाते। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों से जो बन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़े जाते हैं उनकी वजह से भी बहुत समस्या आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि बन्दरों की इस बढ़ती आबादी पर एक बहुत गहन चिन्तन करने की आवश्यकता है। यदि यह चिन्तन नहीं किया गया, तो आने वाले समय में हम सबको बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ग्रामीण स्तर पर इसके लिए बहुत बड़े-बड़े आंदोलन होंगे और हम सबको उनका सामना करना पड़ेगा। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

धन्यवाद

08/12/2014/1655/RG/AG/2

उपाध्यक्ष : अब श्री सतपाल सिंह सत्ती जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत श्री महेश्वर सिंह जी एवं श्री सुरेश भारद्वाज जी ने जो प्रस्ताव चर्चा के लिए यहां पर रखा है , वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मुझसे पूर्व काफी वक्ताओं ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मेरा आग्रह बन्दर, सुअर, आवारा कुत्ते या आवारा पशुओं सभी के बारे में है। इस विषय पर यहां विस्तार से चर्चा की गई है , मुझसे पूर्व श्री वीरेन्द्र कंवर जी ने भी कहा है कि अनेक बार इस विषय पर सदन में चर्चा हो चुकी है , चर्चा करने वाले लोग बदल जाते हैं और कार्रवाई करने वाले लोग अलग होते हैं। क्योंकि पिछले 12 वर्षों से तो हम भी देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इस विषय पर हर सत्र में चर्चा होती है। लेकिन अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है, जब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे, तो उनको इस बारे में पिछला ब्योरा अवश्य देना चाहिए। इसमें राजनीतिक दृष्टि से विषय को न रखते हुए किस सरकार ने इसमें क्या किया और किस सरकार ने क्या नहीं किया। जैसा श्री कुलदीप कुमार जी बोल रहे थे कि जहां इरीगेशन होती है, इरीगेटिड लैण्ड है , उन क्षेत्रों में भी लोगों ने फसलें उगाना आज बन्द कर दी हैं। अनेक स्थान ऐसे हैं , यानि सैंकड़ों कनाल नहीं बल्कि हजारों कनाल जमीन हमारे

क्षेत्र की ऐसी है जिसको लोगों ने अब बीजना ही छोड़ दिया है। उसका कारण एक ही है कि आवारा पशु या फिर हमारे क्षेत्र में नील गाय बहुत हैं। हिमाचल प्रदेश का जो प्लेन एरिया है जहां ठण्ड कम पड़ती है उस क्षेत्र में नील गाय का बहुत प्रभाव है। इनके दो नुकसान हैं एक तो नील गाय फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और दूसरा इनके कारण दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। आज भी गांवों में अनेकों लोग ऐसे हैं जिनका इनके कारण ऐक्सीडेंट हुआ, कोई कौमा में चला गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई अपाहिज हो गया, कोई बैड पर पड़ा हुआ है। इन सब बातों पर ध्यान देकर हमें उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो आवारा कुत्ते हैं वे बड़े शहरों में बहुत हो गए हैं जैसे शिमला, धर्मशाला इत्यादि। शिमला में हमने भी देखा कि विधान सभा के बाहर दोनों गेटों के बाहर जब हम लोग सुबह निकलते हैं , तो 10-12 कुत्ते ऐसे ही बैठे होते हैं। हमने शिमला में देखा है कि प्रतिदिन सैर करने वाले लोग बिना लाठी या डण्डे लिए बाहर नहीं निकलते , लेकिन आम व्यक्ति जैसा श्री सुरेश भारद्वाज जी ने बताया कि यदि सुबह कोई व्यक्ति बस लेने के लिए पांच बजे निकले

08/12/2014/1655/RG/AG/3

और उसको कुत्ते पड़ जाएं, तो शायद उसको कोई छुड़ाने वाला भी नहीं मिलेगा क्योंकि सुबह कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं होगा। इसलिए कुत्तों के बारे में तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर हम उनकी स्टरलाइजेशन करेंगे, तो ठीक रहेगा। क्योंकि उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। इनका ऑपरेशन करके धीरे-धीरे इनकी संख्या कम की जा सकती है। इनकी उम्र भी 8 या 10 साल की होती है। यदि इनका स्टरलाइजेशन होगा, तो इनकी बढ़ती संख्या पर रोक लगाई जा सकती है। शिमला में पीछे इनके कारण काफी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, स्कूल जाते समय बच्चों को खाया है और इस बारे में समाचार-पत्रों में भी इस तरह के समाचार छपते रहते हैं। इसी तरह की दुर्घटनाएं अन्य स्थानों पर भी प्रायः सुनने को मिलती रहती हैं। आवारा पशुओं का मामला हमारे सीमा क्षेत्रों में बहुत अधिक है। पंजाब से बहुत लोग आकर गाड़िया-की-गाड़ियां हमारे क्षेत्र में छोड़ते हैं , हमने सीमा क्षेत्र में हमीरपुर से लेकर कालाअंब तक देखा है। गाय तो थीं ही, लेकिन अब बहुत बड़े-बड़े सांड़ भी आ गए हैं और उनके कारण पिछले एक-डेढ वर्ष में लोगों के कई ऐक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मैहतपुर क्षेत्र में हमने देखा कि कारों के साथ उनके ऐक्सीडेंट्स हुए और उनको इतनी चोट लगी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते----------------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

08/12/2014/1700/MS/JT/1
श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी----------

मैंने तो अपने एरिया में देखा है कि कारों के साथ एक्सीडैंट हुए और कारों वालों को इतनी चोट लगी कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि यह व्यक्ति किसी पशु से टकराया है या पहाड़ी से टकराया है। यानी इस तरह का हाल उस एरिया में हुआ है और वे सांड प्रत्यक्ष रूप से भी लोगों को मारते हैं। उन सांडों के मारने से एक-दो लोगों की मौत तो अस्पताल में भी हुई है और कई लोगों की अपंग होकर जान बची है। इसलिए इस पर गम्भीरता से ध्यान देने की जरूरत है।

इसके अतिरिक्त जो आवारा गायें हैं, उनका हल गऊशाला हो सकता है क्योंकि हमारे प्रदेश में सौभाग्य से रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज्यादा है। चिन्तपूर्णी, नैनादेवी जी, ज्वाला जी और बाबा बालकनाथ मंदिर ऐसे हैं जिनकी इन्कम प्रतिवर्ष 15 करोड़ रूपये से लेकर 25 करोड़ रूपये है। जो इन्कम ध्यान में आती है बाकी उस में से चोरी कितनी होती है और लूट कितनी होती है , आप सब लोग जानते हैं कि वहां सारा क्या मामला चलता है। अगर उस पैसे को हम ठीक जगह पर लगाना चाहते हैं तो हमें ट्रस्टों को बाध्य करना चाहिए कि वे वहां पर गऊशालाएं खोलें। हम यह मानते हैं कि आज हम भावनात्मक बातें बहुत करते हैं कि इन पशुओं को लोग क्यों छोड़ देते हैं। आज तो हालत यहां तक पहुंच गई है कि लोग बुजुर्ग मां-बाप को खाना खिलाकर राजी नहीं है। जैसे कंवर जी ने अभी बताया कि पहले हम खेतों में बैलों द्वारा हल चलाते थे, जिसके कारण बैलों की इतनी रिस्पैक्ट होती थी कि जब गांव में किसी के पशु की मौत होती थी तो उस घर में आदमी के मरने जैसा मातम होता था। बच्चे और बुजुर्ग जिन्होंने उस पशु को पाला होता था वे रोते भी थे। लेकिन अब वह इमोशनल रिलेशन नहीं रहा है। वास्तव में अब बैल की जरूरत ही नहीं रही। हमने देखा है कि अब मशीनरी युग आ गया है और अब मशीनों को रोका नहीं जा सकता। हमारे एरिया में तो बड़े-बड़े ट्रैक्टर्ज पहले से चलते हैं लेकिन मैंने पहाड़ों में भी ऐसा ही देखा है। अभी हाल ही में मैं रोहडू गया था। वहां मैंने छोटे-छोटे ट्रैक्टर्ज देखे।

08/12/2014/1700/MS/JT/2

वहां एक व्यक्ति हाथ से पकड़कर ट्रैक्टर को चलाए जा रहा था। उसके आगे छोटा सा इंजन लगा हुआ था और छोटी सी एक डीजल की टंकी थी , वह उसी से हल चला रहा है। जब पहाड़ों में हल की जगह ट्रैक्टर आ गया तो बैल किस काम का रहा? गाय के लिए हमारी एक धार्मिक आस्था है। अगर भैंसों के मामले में भी यही धार्मिक भावना होती तो जो भैंसे दूध नहीं देती हैं, वे भी सड़कों में इतनी ही तादाद में होती। एक वर्ग ऐसा है जो भैंसों को मीट के रूप में प्रयोग कर लेता है उसके कारण भैंसें सड़कों पर नहीं है लेकिन गाय के मामले में हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाएं इसमें जुड़ी हुई है। खासकर उत्तर भारत या हिन्दी भाषी क्षेत्र में यह संभव ही नहीं है। यहां गाय का इस मामले में उपयोग नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस हेतु एक प्रैक्टिकल एप्रोच सरकार की ओर से होनी चाहिए। इसमें ऐसा करना चाहिए कि कुछ जगहें ट्रस्ट को दी जाए। वहां पर हम इतने सारे ट्यूबवैल इरीगेशन के लिए लगा रहे हैं तो इसके लिए भी चाहे हमें कुछ आर्थिक सहयोग भी करना पड़े, करना चाहिए। वैसे ट्रस्ट में काफी पैसा है। पिछले कल ही इस बारे में एक प्रश्न लगा था जिसमें मुताबिक क्विंटल के हिसाब से इन मंदिरों में सोना-चांदी है। शायद कुलदीप कुमार जी का इस बारे में प्रश्न लगा था। मैं अखबार में इस बारे में बड़ी लम्बी-चौड़ी खबर देख रहा था। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर ये गऊशालाएं खोलेंगे तो मेरे ख्याल में हिमाचल प्रदेश में कई ऐसी धार्मिक शख्सियतें हैं जो इसमें अपना योगदान देंगी लेकिन इसमें सरकार को मोटीवेट करना पड़ेगा। अगर मुख्य मंत्री जी के लैवल से लेकर मंत्री जी उनसे बात करेंगे, तो हो सकता है क्योंकि मोटिवेशन का विषय है। धार्मिक लोगों को लगता है कि कीर्तन करना और भागवत कथा करना ही हमारा काम है। वे लोगों से अपील करते हैं कि आप गायों को पालो लेकिन उन्होंने खुद कितनी गायें पाली हैं? उनसे जब हम बात करेंगे तब उनके ध्यान में आएगा कि हमारा भी यह फर्ज़ है। वे तो इसीलिए काम कर रहे हैं। वे कोई पारिवारिक व्यक्ति नहीं हैं। उनके पास पैसा भी है और सेवा करने वाले लोग भी हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे धार्मिक ट्रस्ट हैं अगर

08/12/2014/1700/MS/JT/3

हम उसके माध्यम से इसका कुछ हल ढूंढेंगे तो शायद इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी मिल सकती है। धार्मिक दृष्टि से लोग ऐसे काम करना भी चाहते हैं अन्यथा इस तरह

का एक आंकड़ा बार-बार आता है कि प्रदेश में इतनी आवारा गाय हैं , इतने बंदर हैं। हम इसमें न उलझे रहे लेकिन यह आंकड़ा बार-बार आता है कि 200 करोड़ और 500 करोड़ रूपये की फसलों का नुकसान हो गया। अगर सरकार बजट में से 10-20 करोड़ रूपया हर साल खर्च करे तो इस 400 करोड़ रूपये को बचाया जा सकता है। इससे हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता का भला भी होगा और फसलें भी बचेंगी। इससे गांवों में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोग बाहर भागना भी बन्द करेंगे। अन्यथा हर व्यक्ति ने आज फसल का काम करना छोड़ दिया है। वह मनरेगा में लगना चाहता है लेकिन फसल बीजना नहीं चाहता। वह 500 रूपये में वाटर कैरियर लगना चाहता है लेकिन जमीन पर काम नहीं करना चाहता। आप अगर किसी का भी इंटरव्यु लेकर देखेंगे तो पाएंगे कि हरेक व्यक्ति मनरेगा में काम करने को तैयार है। 500 रूपये में वाटर कैरियर का काम करने के लिए पूछेंगे तो भी तैयार रहेंगे। इसका कारण यह है कि आज जितनी भी खाद और गेहूं हम खेतों में डालते हैं, वह भी वापिस नहीं आती है जिसके कारण शायद हम पॉलिटिकल लोगों के ऊपर,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

8.12.2014/1705/जेके/जेटी/1

श्री सतपाल सिंह सत्तीः-----जारी-------

इस प्रदेश के प्रशासन पर लोग ऊंगली भी ऊठाते है कि कोई भी इसका हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इसमें कारगर कदम उठाए और कोई ऐसी नीति बने ताकि इसका प्रॉपर हल मिल सके। कोई भी सरकार हो और कोई भी सरकार आए वह कॉन्टिन्युटि में इस कार्य को करती रहे। इसमें विपक्ष में बैठे लोगों को भी लेकर एक कमेटी बनाए। कोई ऐसा न करो कि एक पार्टी ने इसको किया और जब दूसरी पार्टी सत्ता में आए तो वह उस योजना को समाप्त कर दें। हमने फील्ड में कई बार देखा है कि गऊशाला जब कोई खोलता है लकिन मैं इसमें राजनीति में नहीं जाना चाहता। उस विषय में कहा जाता है कि यह तो बे0जे0पी0 या हिन्दू परिषद् वाले होंगे। इसमें कोई अड़ंगा न डाले। जो भी कोई अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वह कोई भी व्यक्ति करे। यह सरकार करे या आने वाली सरकार करे उसका लाभ हम सबको होगा। फसलें बोना हम सबने बन्द कर दी है। आप लोगों ने भी की और हमने भी फसलें बोना बन्द की हैं। इसमें कोई कारगर नीति बना करके प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ राजनीतिक लोगों को भी इसमें डाला जाए। उस नीति की इम्पलिमेंटेशन हो तब जा करके हिमाचल प्रदेश के लोगों का भला हो सकता है। हमारे ऊपर जो नौकरी का

प्रैशर आता है वह आने वाले समय में भी आता रहेगा लेकिन लोगों का रुझान खेती-बाड़ी की तरफ जा सकता है। यहां पर जो मुद्दा श्री महेश्वर सिंह जी और श्री सुरेश भारद्वाज जी ने उठाया है उस पक्ष में बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

8.12.2014/1705/जेके/जेटी/2

उपाध्यक्षः अब श्री जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिव चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय वरिष्ठ माननीय सदस्य, श्री महेश्वर सिंह जी और श्री सुरेश भारद्वाज जी ने जो यहां पर प्रस्ताव लाया है उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात की कि बड़े -बड़े भाषण न दिए जाए बल्कि सुझाव दिए जाएं। सबसे पहले तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय में बन्दरों को मारने के आदेश दिए गए थे। एक एन0जी0ओ0 है जिसने हाई कोर्ट में पी0आई0एल0 करके स्टे लिया है। मेरा अनुरोध रहेगा कि सबसे पहले उसके ऊपर हाई कोर्ट में ज़वाब दिया जाए और जितना जल्दी हो उस स्टे को हटाने की कोशिश की जाए , क्योंकि इस समस्या से लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मेरे अनुभव के मुताबिक जो एन0जी0ओ0 है वह कोई फसल बीजने वाले नहीं है। वे लोग गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं और वे न ही बन्दरों से तंग आ चुके हैं। उनको आम किसान का कुछ भी पता नहीं होता है कि किसान को क्या तकलीफ है ? उस एन0जी0ओ0 में उस प्रकार के लोग है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें तुरन्त कार्रवाई करके हाई कोर्ट से जो स्टे लगा है उसको हटाया जाए। जहां तक यहां पर आवारा कुत्तों की बात की गई है उस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं वर्ष 1978 में प्रधान हुआ करता था। उस समय एक दवाई पी0एच0सी0 के माध्यम से आती थी। उसमें प्रधानों को विश्वास में लिया जाता था उनके साथ पंचायत का चौकीदार साथ जाता था और उन आवारा कुत्तों को वह दवाई पकौड़े में डाल कर खिलाई जाती थी। मरने के बाद उनको गड्डों में दबा दिया जाता था। हमारी जो केन्द्रीय मंत्री, आदरणीय मेनका गांधी जी हैं उन्होंने कोई एन0जी0ओ0 बना रखी है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

8.12.2014/1710/SS-AG/1

श्री जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

क्या है वह ? शायद कोई एन0जी0ओ0 है। मेरा ख्याल है कि मेनका गांधी जी को किसी पागल कुत्ते ने खाया नहीं होगा। अगर उनको किसी पागल कुत्ते या आम कुत्ते ने खाया होता तो वे वाकई कहतीं कि इनको मार दिया जाए। वह भी एक अनुभवहीनता की बात है। जो गांव में कुत्ते आवारा हैं , एक चिकनी दवाई आती थी, उसे दोबारा चालू किया जाए और यहां विधान सभा में कोई कठोर कानून पास किया जाए क्योंकि हम सब इस समस्या से परेशान हैं। एक कुत्ता पागल हो जाता है तो वह एक गांव से सीधा चलता हुआ कई गांवों में जाकर पशुओं को या जो भी उसके सामने आया काट देता है। उसके सामने कोई गाय, कुत्ता, बकरी या आदमी आ गया, वह सब को काटता चला जाता है और हम सब जन प्रतिनिधियों को फोन आने शुरू हो जाते हैं कि पागल कुत्ते ने काट दिया। हम बोलते हैं कि अस्पताल जाओ तो अस्पताल वाले बोलते हैं कि इसके पैसे लगेंगे। कई लोग उनमें से बी0पी0एल0 में हैं या कई अन्य गरीब फैमिलीज़ से संबंधित हैं। लोगों को परेशानी आती है। मेरे चुनाव क्षेत्र सुलह में एक व्यक्ति की मौत हो गई क्योंकि उस व्यक्ति को कुत्ते ने गर्दन के पास से काटा। यहां पर अगर कोई पागल कुत्ता काटता है तो उसकी मौत बहुत जल्दी हो जाती है। हमने उस व्यक्ति को सुलह होस्पिटल पहुंचा दिया और उसके बाद टांडा में भी ले गए लेकिन वह नहीं बच सका। उसके बहुत छोटे-छोटे बच्चे पीछे छूट गए। मैं उसके घर गया। उसकी घरवाली भी रो रही थी। यह अनुभव मेनका गांधी जी को नहीं है। अगर मेनका गांधी जी को यह बात दिखाई जाए तब वह कहेंगी कि ऐसे पागल कुत्तों को मार दें। --(व्यवधान)-- हमें अहसास है। विधान सभा में दोनों तरफ से इकट्ठे हो कर हम कानून पास करें। जिसने कुत्ता पालना है उसको लाइसैंस जारी हो चाहे पंचायत से हो या एस0डी0एम0 से हो। वह अपने कुत्ते को पागल न होने के पूरे इंजैक्शन लगवाए। उसे घर पर बांध कर रखे और उन्हें आवारा खुला न छोड़े तो कुत्ते अपने आप खत्म हो जायेंगे। हम यह बोल रहे हैं कि कोई चाईना वाले आयेंगे, कोई नागालैंड वाले आयेंगे, जिसके खिलाफ हम बोलते हैं वे धरना करते हैं। जैसे एक बार रवि जी को भुगतना पड़ा। पिछली बार इनकी जुबान फिसल गई थी और

8.12.2014/1710/SS-AG/2

इन्होंने किसी के बारे में कहा था तो लोग धर्मशाला में बाहर धरने पर बैठ गए थे। इसलिए क्यों हम ऐसी बातें करें। हम प्रैक्टिकल काम करें कि उनको छोड़ें न। कुत्तों

को स्टरलाईज़ करने की क्या ज़रूरत है ? हम क्यों ऐसी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें? उनको मारो। उनके साथ तो किसी की धार्मिक भावना नहीं है। जो उन्हें पालता है उन्हें लाइसैंस दो। वे कुत्तों को अपने घर ठीक से पाल कर रखें। हमारे मुख्य मंत्री महोदय के घर पर भी हैं। वे ठीक से पाल कर रखे हैं। उनका पूरा इलाज करवाते हैं। उन्हें इंजैक्शन लगवाते हैं। जिस किसी ने भी वे रखे हैं वे उन्हें आवारा न छोड़ें। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात को मजाक में न लिया जाए। मुख्य मंत्री जी आप कोई-न-कोई सख्त कानून बनाएं। पंचायत वालों को कहें, प्रधानों को पावरें दें तो वे काम को करेंगे। जहां तक आवारा पशुओं की बात है मैं इसके बारे में सुझाव दूंगा। यह सब को पता है, हमारे सामने इस विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है। मैं भी छठी बार इस चर्चा में हिस्सा ले रहा हूं। मैंने तो गम्भीर से गम्भीर यह भी कह दिया कि मेरे को एक दिन का मुख्य मंत्री बना दो तो हिमाचल प्रदेश के ये जो सारे बन्दर हैं --(व्यवधान)--

मुख्य मंत्रीः मैं आपको मुख्य मंत्री नहीं बना सकता लेकिन मैं आपको एक दिन के लिए इस चीज़ के लिए मुख्य मंत्री की पावर दे सकता हूं।

श्री जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिवः मेरी थोड़ी-सी जुबान फिसल गई। मैं यह कहना चाहता था कि बन्दरों, आवारा पशुओं और कुत्तों का मंत्री बना दिया जाए। मुख्य मंत्री बोलकर मेरी जुबान फिसल गई। मुख्य मंत्री वाली बात नहीं है लेकिन मैं मंत्री की बात कर रहा था। आपने सुझाव मांगें हैं, मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि अब हमें कठोर होने की ज़रूरत है। कठोर निर्णय लेने की ज़रूरत है। अब भाषणबाजी का समय खत्म हो गया। अब मैं सुझाव दे रहा हूं।

जारी श्रीमती के0एस0

08-12-2014/1715/**केएस/एजी**/1

श्री जगजीवन पाल जारी---

अब सुझाव देने और उसके ऊपर एक्शन लेने का समय है। जहां तक आवारा पशुओं की बात है। आवारा पशुओं के बारे में जैसे सत्ती जी ने कहा, मैं इनसे सहमत हूं। पहले बड़े-बड़े पावर ट्रिलर चले थे, फिर थोड़े छोटे आए और अब तो उससे भी छोटे आ गए हैं। 90 हजार का पावर ट्रिलर हमारी सरकार 40 हजार रुपये में दे रही है। उनसे खेतों को जोता जाता है। अब बैलों की जरूरत नहीं रहेगी। अब तो हिमाचल प्रदेश में नन्दी की पूजा करने के लिए भी हिमाचल प्रदेश में बैल नहीं मिलेगा क्योंकि पावर ट्रिलर का उपयोग ही अब लोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। बैलों को खरीदने वाला आज कोई नहीं है इसलिए लोग बैलों को आवारा छोड़ेंगें। श्री वीरेन्द्र कंवर जी ने

ठीक कहा कि जर्सी गाय से पैदा हुए बैल से खेत जोतना लोग पसन्द नहीं करते। लेकिन एक तरफ जब हम सबसिडि दे कर कह रहे हैं कि आप पावर ट्रिलर लो फिर अगर उन्होंने पावर ट्रिलर ले लिया तो वह बैल क्यों रखेगा ? तो उसके बैल को कहां भेजना है, वह हमारी चिन्ता है क्योंकि लोग अपने बैल को जंगलों में आवारा छोड़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले क्या होता था कि अगर कोई गाय या बैल मरता था तो उसका कारोबार करते थे। कारोबार करने वालों को उसका चमड़ा मिलता था, चर्बी मिलती थी जो कि पंजाब के लोग ले जाते थे। उसका मांस पंछी खाते थे, कुत्ते खाते थे और उनकी हड्डियों को व्यापारी आ कर ले जाते थे जो कि उद्योगों में काम आती थी। अब जब पशु मरता है तो लोग उसे दबा देते हैं। दबाने से उसके सारे अंग नाकाम हो जाते हैं। उसका समाज को कोई फायदा नहीं मिलता। जहां तक अभी यहां पर सुझाव दिया गया कि जैसे हमारे मंदिर है, चिन्तपूरनी माता का मंदिर है, हमीरपुर में बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है, ज्वाला माता का मंदिर है और अन्य भी बड़े-बड़े मंदिर है जहां बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है, आमदनी होती है। इनके आसपास गऊशालाओं का निर्माण करवाया जाए और इस सम्बन्ध में बड़े-बड़े उद्योगपतियों से सम्पर्क साधा जाए क्योंकि जो गऊशाला को

08-12-2014/1715/केएस/एजी/2

पैसा देता है उसको इन्कम टैक्स में रीबेट मिलती है। इसके अलावा अगर हम ऐसी गऊशालाएं खोलेंगें तो वहां पर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लोगों को पैसा मिलेगा तो वहां पर काम भी खुशी से करेंगें। दूसरी चीज है कि वह जो गोबर, जो आजकल केंचुआ खाद बन रही है वह जब 500-600 पशुओं का एन्क्लोज़र होगा, उनको ठहरने की व्यवस्था होगी उनका जो गोबर व गौमूत्र है, उससे जो केंचुआ खाद बन रही है, उससे इन्कम भी होगी। वहां एक ऑर्गेनिक खाद बनाने का प्रबन्ध किया जा सकता है और गौमूत्र का भी वहां पर एक छोटा सा कारखाना साथ में लग सकता है। वहां पर पशु मरेगा उसको दबाया नहीं जाए उसकी भी सारी चीजों को उपयोग में लाया जा सकता है। यह बहुत अच्छा सुझाव है और मेरा भी यही सुझाव है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बन्दरों की बात है, जब मैं पिछले टैन्योर में था मुख्य मंत्री जी ने उस समय फैसला लिया था कि सड़कों पर बन्दरों को ब्रैड और चने

नहीं डाले जाए लेकिन इसके बावजूद भी मैंने देखा है कि जब लोग पंजाब से हर शनिवार और रविवार को चिन्तपूरनी माता के दर्शनों के लिए आते हैं , वे बन्दरों को ब्रैड और चने डालते हैं। तो वहां चिन्तपूरनी से आगे एक जंगल है वहां बन्दरों के लिए एक बड़ा सा एनक्लोज़र बनाया जाए । उसको छोटे छेदों की जाली से बनाया जाए । लोग जो आते-जाते हैं वे दान देते रहेंगें। वहां एक-दो आदमियों को बिठा दो। तब उनको चने डालो , रोटी डालो, चाहे जो मर्जी डालो। ठीक है , लोग धार्मिक भावना के साथ जुड़े हुए हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा---

08.12.2014/1720/jt-av/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव)------ जारी

भावना से जुड़े हुए हैं। मगर जिनके मकान स्लेटों के हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर में तथा आप सभी लोगों के निर्वाचन क्षेत्रों में कई जगह स्लेटों के मकान हैं। ये बंदर उन स्लेटों के मकान के लिए बड़े खतरनाक साबित हो रहे हैं। लोगों की मजबूरी हो गई कि वे सी.जी.आई. डालें। वह इसलिए कि सी.जी.आई. में बंदर अंदर नहीं आ सकता। नहीं तो उनके साथ ऐसे होता है कि लोग खाना बनाकर अपने खेतों में जाते हैं। वापिस आने पर देखते हैं कि बंदर स्लेट हटाकर अंदर से खाने की चीजें ले जा चुके होते हैं। इसलिए इस बारे में कोई-न-कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनके लिए ऐनक्लोजर बनाने पड़ेंगे। पालमपुर में गोपालपुर नामक स्थान पर जानवरों के लिए ऐनक्लोजर बनाये हुए हैं। वहां भालुओं, चितों, शेरों, तेन्दुओं आदि सभी जानवरों के लिए अलग-अलग ऐनक्लोजर बने हुए हैं। वहां पर ही एक बहुत बड़ा ऐनक्लोजर बंदरों के लिए भी बनाया जाए। गोपालपुर में एक स्टैरिलाईजेशन सैंटर भी है। जिन बंदरों को पकड़ा जा रहा है उनको स्टैरिलाईजेशन के बाद वहीं ऐनक्लोजर में रखा जाए। उनको कहीं दूसरी जगह न छोड़ा जाए। अगर आहिस्ता-आहिस्ता इस तरीके से रखे जायेंगे तो जो आरोप हम कभी किसी पर या वन मंत्री पर लगा रहे हैं ; इन आंकड़ों में कमी आ सकती है। इस वक्त हमारे सामने यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। अगर हम चर्चाएं ही करते रहेंगे और इसके समाधान के लिए कुछ नहीं करेंगे तो यह समस्या और ज्यादा गम्भीर रूप ले लेगी। अभी यहां पर ऐक्सिडैंट की बात हुई कि आवारा पशुओं के कारण काफी ऐक्सिडैंट हो रहे हैं। यह सही बात है। रात को आवारा पशु सोने के लिए सूखी जगह ढूंढते हैं इसलिए सड़क के बीच में जाकर सो जाते हैं। लोग रात को जो ड्राइव करके आते हैं चाहे वे गाड़ी में हो या मोटरसाइकिल पर हो ; वे बहुत ज्यादा स्पीड से चले

होते हैं। मगर आगे आवारा पशु बैठा होता है और सीधे उसका ऐक्सिडैंट होता है। कई लोग इस तरह से ऐक्सिडैंट में मारे जा रहे हैं। इस विषय पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श न किया जाए बल्कि ऐक्शन लिये जाएं। (---व्यवधान---) आप लोग तो मजाक की बात कर रहे हैं लेकिन मैं आपके सामने

08.12.2014/1720/jt-av/2

असली बात कहना चाहता हूं। (---व्यवधान---) चर्चा पे चर्चा तो हम करते रहेंगे, यह कभी खत्म नहीं होगी। एक बार बंदरों पर चर्चा आई थी। मैं, बुटेल जी और धूमल जी इसी हाउस में बैठे थे। मैं उस बात को यहां बताना चाह रहा हूं। यहां पर हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी माननीय बुटेल साहब के ऊपर नाराज हो गये और कहने लगे कि क्या बंदरों को मार देना है ? बुटेल साहब ने कहा कि हां, मार देना है। मैं भी खड़ा हो गया और मैंने कहा कि मार देना है। आप समय की नज़ाकत देखिए, समय बदला और धूमल साहब भी मुख्य मंत्री बन गये। इनको बंदर मारने की इजाजत देनी पड़ी। हालात बदले तो मारने की इजाजत देनी पड़ी मगर बाद में उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। इसलिए इस पर काफी सोचने की जरुरत है और यह बहुत अच्छी पहल है। आप गांव में जितना बढ़िया काम कर दो, सड़क बना दो, कुआं बना दो; जो मर्जी अच्छे काम कर दो मगर लास्ट में एक-दो व्यक्ति खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि आपने बंदरों का क्या किया ? यह पूछने पर हम सबकी जुबान बंद हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

श्री प्रेम कुमार धूमल जी श्री बी.जे.द्वारा जारी

08.12.2014/1725/नेगी/ए.जी./1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री महेश्वर सिंह जी और श्री सुरेश भारद्वाज़ जी का इस महत्वपूर्ण चर्चा को प्रारम्भ करने पर धन्यवाद करता हूं। ठीक कहा गया कि जहां भी आप जाएंगे, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो और चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो , बन्दरों, आवारा कुत्तों व आवारा पशुओं की समस्या का समाधान की लोग अपेक्षा करते हैं कि आप कुछ कहें कि कैसे इसका समाधान हो। अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो इस समस्या का समाधान सम्भव नही है । समस्याएं क्या-क्या पैदा हो रही है, हम सब जानते हैं। बहुत सारे लोगों को

लगता है कि मनरेगा में दो दिहाड़ी लगा दो तो महीने का सस्सा राशन मिल जाता है और आवारा पशुओं से , बन्दरों से फसलों की रखवाली करने की आवश्यकता नही है। श्री कुलदीप कुमार जी जैसे कह रहे थे कि फसल व फल लगने के बाद ही नुकसान नहीं होता बल्कि जो बीज़ किसान बीजते हैं , उसको भी उखाड़ कर खा जाते हैं। समस्या इतनी भयंकर हो गई है । मैं समझता हूं कि इसका सामूहिक प्रयास करके हमें समाधान निकालना चाहिए। जहां तक गौ-वंश की बात है, इसके साथ सारे समाज की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। मैं तो अक्सर जहां सम्बोधित करता हूं वहां कहता भी हूं कि यह गौ-भक्ति भी क्या है , जब तक गाय दूध दे तब तक हमारी है, जब दूध देना बन्द कर दे, तब सरकारी है । गाय में भी हमें अन्तर करना होगा। जो विदेश से ज्यादा दूध के लिए इम्पोर्टिड गाय है , वह इस पूजा वाली कैटेगरी में नहीं आती । जो हमारी पहाड़ी गाय है जिसको हम बोलते हैं ठूंठ जिसके पीठ में होती है वह सूर्य की किरणों को आकर्षित करती है और परिणाम-स्वरूप उसका दूध, दही, मक्खन व घी पीला होता है । स्वर्ण के औषधीय गुण उसमें आ जाते हैं। जो विदेशी गाय हम रखते हैं उसका दूध और भैंस के दूध में कोई अन्तर नही है । विदेशों में इन गायों को तब तक पाला जाता है जब तक वह दूध देती है। विदेशों में गाय 2-3 बार बछड़ा देती है और दूध देती है और उसके बाद उसको काट कर उसका मांस खा जाते हैं। हमारी कुछ समस्याएं तो हमने बढ़ायी है। सतपाल सिंह सत्ती जी वैन गाय का जिक्र कर रहे थे। वह गाय की स्पिसिज़ में नही आती । चूंकि शब्द वैन-गाय है और इसमें गाय शब्द जुड़ गया है तो हम कहते हैं कि इसको नहीं मारना चाहिए। इस

08.12.2014/1725/नेगी/ए.जी./2

करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा । गाय के लिए मैं समझता हूं कि गौ-सदन या गौ-शालाएं अधिक से अधिक खोले जाएं। इसका जिक्र बहुत सारे माननीय सदस्यों ने किया है । गाय से जो आमदनी होती है वह केवल दूध से ही नही होती । मुझे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कैल्कुलेशन करके बताया था कि साल में इतना गोबर गाय देती है । इतना गौमूत्र होता है ।अगर गाय दूध नहीं भी देती है तो भी उसका गोबर और गौमूत्र कॉमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर बहुत बढ़िया है, जो आमदनी का साधन बन सकता है ।आज जितनी भी बीमारियां फर्टिलाइज़र के कारण हो रही है । हम जो रसायनिक खाद डालते हैं उसके कारण 30-40-50 दिन

तक सब्जियों, फलों व अनाज़ पर उसका असर रहता है। अब जब उसका उपभोग हम करते हैं तो उन दवाइयों का असर हमारे अन्दर भी जाता है।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

08-12-2014/1730/यूके/एजी/1

श्री प्रेम कुमार धूमल---जारी ----

तो वह दवाइयों का असर हमारे अन्दर भी जाता है । मैं तो अक्सर देखता हूं गांवों में जैसे हम मक्की बीजते हैं तो हम यूरिया खाद डालते हैं और 10-15 दिन के अन्दर मक्की का पौधा कितना बढ़ जाता है । तो कैमिकल मिट्टी में कितना रिऐक्ट करता होगा जिसके कारण एक पौधे में इतनी शक्ति आ जाती है, इतना बढ़ जाता है तो मानवीय शरीर में जब वह यूरिया चाहे वह किसी फल व सब्जी के माध्यम से जाए, चाहे दूध के माध्यम से जाए तो वह बिल्कुल वैसे ही इफैक्ट करता है वैसे ही एडवर्स इफैक्ट होता है और इस कर के बहुत सारे कैंसर तथा अन्य गंभीर बीमारियों के कारण बनते हैं । इसलिए आर्गैनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है । जो सब्जी मंडिया बनी हैं वहां पर आर्गेनिक बीज, जैविक बीज अलग से रखे जाएं । जैविक खाद का प्रावधान हो । लोगों को ऐजुकेट किया जाए कैमिकल फर्टिलाईज़र अगर इम्पोर्ट करना बन्द करेंगे तो हमारी ऐक्सेचेंज बचेगी और अगर हम जैविक खाद का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, इवन कीड़ामार दवाई की जगह गौ-मूत्र इस्तेमाल किया जा सकता है । उसका छिड़काव कर के कीड़े मरते हैं । तो यदि हम गौ-मूत्र का गौ अर्क से कर सकते हैं । मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ गौशालाएं चल रही हैं । कुछ अच्छे लोग स्वयंसेवी काम कर रहे हैं और उन्होंने गौ-मूत्र का अर्क लगाया है । कई टीम्ज़ भी आ कर देख कर गयी है । ऐलोवीरा वगैरहा भी पैदा करना शुरु कर रहे हैं तो हमने उनको कहा है वे भी ये सारी दवाइयां बनाना शुरु कर रहे हैं । लेकिन मैं अभी इसे हैल्थ तक ही सीमित रखना चाहूंगा कि एक महिला को कैंसर हो गया था और वह उसका ट्रीटमैंट दिल्ली में करवा रही थी । कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था । उसके बाद किसी ने कहा कि तुम गौ-मूत्र का अर्क लो । उसने नियमित तौर पर वह गौमूत्र अर्क लिया और कुछ महीनों के बाद जब वह दिल्ली चैकअप करवाने के लिए गयी तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी तो समस्या का हल हो गया, आपने किया क्या ? तो यदि सही मात्रा में सही ढंग से अर्क बनाया जाए तो गौ-मूत्र का अर्क बहुत बढ़िया औषधि के तौर पर भी काम कर सकता है और अगर आर्थिक तौर पर संभव होगा चाहे वह गौशाला में हो चाहे

08-12-2014/1730/यूके/एजी/2

व्यक्तिगत तौर पर हो अगर हम गौ का पालन करेंगे और केवल दूध पर ही निर्भर नहीं करेंगे केवल गौ-मूत्र और गोबर को भी कमर्शियली यूज़ करेंगे तो उसके कारण एक कमर्शियल ऐक्टिविटी बढ़ सकती है जिससे गौ संरक्षण ऑटोमैटिकली होगा। वह तो तब मर रही है जब उसके ऊपर खर्च करना पड़ रहा है और यह बात सतपाल जी कह रहे थे कि आज के युग में लोग मां-बाप को भी रोटी देने को तैयार नहीं है और वह इस कर के तैयार नहीं है कि उनको कोई पैंशन नहीं मिलती उनकी कोई आमदन नहीं है। जिस बुजुर्ग मां-बाप को कोई पैंशन लगी होगी उनकी सेवा करने के लिए सब तैयार होते हैं तो गाय को भी हम उस दृष्टि से विकसित करें और वह मानवीय दृष्टिकोण को बदलें, इन्सान उस नजरिये से देखे तो जहां तक गौ की बात हैं, उस समस्या को हल किया जा सकता है। बैलों के बारे में बात आयी है । अभी उत्तर प्रदेश में प्रयास किया गया जैसे घराट चलाते हैं, उससे बिजली पैदा हो जाती है वैसे जैसे कोल्हू के बैल का इस्तेमाल करते थे, वहां स्मॉल स्केल पर बिजली पैदा करने में सफलता पायी है। इन चीज़ों को स्टडी किया जाए। जो फिनाईल आप इस्तेमाल करते हैं वह गौ-मूत्र से भी बनती है। बद्दी में एक गौशाला खोलकर इस प्रकार का प्रयास किया गया था। वहां से फिनाईल बनाने का वह भी बड़ा इफैक्टिव था, प्रभावशाली था। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर भी जांच करे देखे अगर काम हो तो उसको और आगे बढ़ाया जाए। इसी प्रकार से आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने या उनकी नसबंदी करने का सुझाव आया, बहुत अच्छा है और जो एन0जी0ओज़ इस मामले में आवाज उठाते हैं उनको भी निमंत्रित किया जाए। शिमला के माल रोड पर घुमाया जाए।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी ----

08.12.2014/1735/SLS-AG-1

श्री प्रेम कुमार धूमल...जारी

जाखू में हनुमान जी के दर्शन करवाए जाएं। और हो सकता है कि एकाध अनुभव किसी-न- किसी को ऐसा हो जाए तो उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है। उनको कहा जाए कि इसका समाधान बताएं, सुझाव दें, और हम उसको ठीक ढंग से करेंगे। एक बात सरकार के ध्यान में भी आई होगी। जैसा कहा गया, बंदरों की नशबंदी के केंद्र खुले हैं। अगर वहां पर फुल कैपेसिटी में काम किया जाए और सारी शर्तों को लागू भी किया जाए तो समस्या का समाधान है। यहां वाईल्ड लाईफ के आफिसर्ज़

बैठे होंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे अपने जिले में एक सैंटर हैं, वहां पर आप्रेशन होने के बाद आपने बंदरों को छोड़ने का काम आऊटसोर्स कर रखा है। एक दिन गांव के लोग मेरे पास आए कि हमारे यहां पर बंदर नहीं थे, आज यहां भी आ गए ; कोई रात को छोड़ गया। मैंने कहा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। मैंने वाईल्ड लाईफ के आफिसर्ज़ को फोन किया और पूछा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम तो जहां से ऑप्रेशन के लिए बंदर लाते हैं, वहीं छोड़ते हैं क्योंकि इसमें कंडिशन है कि जहां से पकड़ कर लाओ, वहीं छोड़ो। लेकिन जब आप आऊटसोर्स करके अपने गले से उतार देते हैं कि अब यह उनका ही जिम्मा है तो जिसको आऊटसोर्स करते हो, उसको जहां पर छोड़ना होता है वह वहां न छोड़कर रात को जहां मौका लगता है, बंदरों को कहीं भी उतार देता है। खासकर वह आबादी के पास उतारता है। दूसरी बात, जो बात आप टैक्निकली कह रहे थे। मुझे बताया गया था कि जब मंकी को ह्यूमन टच होती है, बंदर को जब इंसान का हाथ लगता है तो उसको एक पर्टिकुलर समैल लग जाती है और फिर उसको दूसरे बंदर अपने समूह में शामिल नहीं करते। आप बंदर पकड़ कर लाए हो। जब उसका आप्रेशन किया गया, उसको हाथ लगा तो आपकी बॉडी की समैल उसको लग गई। फिर वह जिस भी ग्रुप में जाता है तो वह झगड़ते हैं और उसको अक्सैप्ट नहीं करते। जैसे महेश्वर सिंह जी कह रहे थे कि कई बंदर बहुत ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। शायद यह तभी होता है जब वह अपने ग्रुप में अक्सैप्टेबल नहीं है, वहां उसका झगड़ा होता है तो वह दूसरा ग्रुप बनाता है क्योंकि बंदर रहता ग्रुप्स में ही है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि नशबंदी केंद्र में उसके आप्रेशन के बाद , प्रावधान के अनुसार जहां से उसको लाया गया है, वहीं छोड़ा जाए। जहां बंदर को पकड़ने पर किसी व्यक्ति द्वारा 500 रुपया

08.12.2014/1605/SLS- JT -2

कमाने के चक्कर में अगर बंदर उसको काट दे और उसको 1000 रुपये के इंजैक्शन लगाने पड़ें, उसके बजाये यह बात बहुत अच्छी है अगर गन से ट्रांक्युलाइजर्ज के जरिये उसको बेहोश किया जा सकता है। यह अच्छी बात है जो अपनाई जानी चाहिए। अगर आऊटसोर्स करने वाला व्यक्ति बंदरों को छोड़ने का कार्य ठीक से नहीं करता तो विभाग एक व्यक्ति की जिम्मेबारी निश्चित करे। आपने आऊटसोर्स कर दिया। फिर नशबंदी के बाद यह कौन सुनिश्चित करता है कि बंदर को उसी

स्थान पर छोड़ा गया जहां से उठाया गया था। विभाग का केवल यह कहना कि हमारे विभाग की गाड़ी जिसे लाती है उसे हम अवश्य डैस्टिनेशन पर छोड़ते हैं, लेकिन किसी और ने वहां छोड़ दिया होगा, यह ठीक नहीं है। इसलिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

एक सुझाव जो आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हम भी अपने वक्त में प्रयास करते रहे कि सैंट्रल वाईल्ड लाईफ बोर्ड की मीटिंग हो। उसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं। पिछले 10 साल तक वह मीटिंग नहीं हुई और अब भी इन 6 महीनों में नहीं हुई है। इस मामले को सरकार भारत सरकार के साथ उठाए और समस्या की जो गंभीरता है, उसका ज़िक्र किया जाए कि यहां ऐसी समस्या आ गई है जिसके कारण जिंदगी ख़तरे में है। कई घटनाएं सुनाई गईं जहां बंदर ने किसी को दौड़ाया और व्यक्ति मर गया या जख्मी हो गया ; कोई अपंग हो गया। अगर वह मीटिंग होगी और इसे हम गंभीरता के साथ वहां रखेंगे तो समाधान निकल सकता है। अगर इनका एक्सपोर्ट अलाऊ किया जाता है , वह भी एक समाधान है। एक इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट है जो बहुत सारे बोर्डों में जाते हैं। उनसे पूछा गया था कि इन आवारा कुत्तों और बंदरों का हल क्या है? उन्होंने कहा कि culling is the only solution. उन्होंने कहा कि मैं साऊथ अफ्रीका गया था। वहां पर हाथियों की संख्या बढ़ी और उन्होंने फालतू हाथी मार दिए।

जारी ...गर्ग जी

08/12/2014/1740/RG/JT/1

प्रो. प्रेम कुमार धूमल------------क्रमागत

तो उन्होंने फालतू हाथी मार दिए। जगजीवन पाल जी कह रहे थे कि हमें भी मजबूरी में बन्दरों को मारने की इजाजत देनी पड़ी , उन्होंने कहा कि हम गुस्से हो गए, मैं गुस्सा नहीं हुआ होऊंगा , मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि क्या ऐसा करना चाहिए। लेकिन हमें इजाजत देने की जरूरत नहीं है, यह कानून में प्रावधान है, ऐक्ट में ही है और कुछ लोगों ने शिमला में हिम्मत की थी। उन्होंने कहा कि हम मारना चाहते है , हमने कहा कि ऐक्ट में इसकी अनुमति है। जो क्रॉप प्रोटैक्शन या सैल्फ प्रोटैक्शन के लिए जिक्र आया कि यदि आपके ऊपर अटैक हो जाए तब भी आप सैल्फ प्रोटैक्शन में मार सकते हैं, आपकी फसल को तबाह कर रहा है, तो भी मार सकते हैं। मगर इस पर कोर्ट में जब केस किया, तो कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध रहेगा कि इस मामले को सरकार गंभीरता के साथ टेक अप करे और कोर्ट से रिक्वैस्ट की जा सकती है कि इस मामले में शीघ्र

निर्णय दे। क्योंकि यह जन-समस्या पैदा हो गई है और लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझता हूं कि इसमें सारे समाज का सहयोग मिलेगा। क्योंकि आज लोग हा-हाकर कर रहे हैं और इनसे बहुत दुःखी हैं। सब लोग इस समस्या के जानकार हैं। जब अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि इस समस्या का क्या हल है ? आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद इस उम्मीद के साथ कि हम सब अगर गंभीर प्रयास करेंगे और जनमानस को इस बारे में और जानकारी देंगे और भारत सरकार से भी इस बात को सुनिश्चित करवाएंगे कि बन्दरों का ऐक्सपोर्ट शुरू हो जाए और लोग भी इसमें सहयोग करें , तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

समाप्त

08/12/2014/1740/RG/JT/2

उपाध्यक्ष : अब श्री किशोरी लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री किशोरी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, श्री महेश्वर सिंह जी एवं श्री सुरेश भारद्वाज जी ने नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखा कि "प्रदेश में बन्दरों , आवारा कुत्तों व पशुओं की बढ़ती संख्या एवं आतंक से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे। " प्रदेश में इनसे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है और आज प्रदेश इस स्थिति में है कि हमारे जनमानस को अपनी जिन्दगी की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करने होंगे। क्योंकि बढ़ती हुई बन्दरों की संख्या चिन्ता का विषय है। जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं वे भी इनसे बहुत भयभीत हैं , समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते , जो लोग दफ्तरों में काम करने के लिए जाते हैं वे भी इनके आतंक से बच नहीं पाते और जो किसान खेतीबाड़ी करता है वह भी इनसे बहुत परेशान है। इसलिए हमारे लिए यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। लेकिन बन्दर पहले भी हुआ करते थे और हमारी धार्मिक भावना से जुड़े हुए थे। जो हमारा वन विभाग है उसमें जो फल थे उनमें भी कमी आई है, वनों में फलदार पौधे कम हुए हैं। इससे बन्दरों ने अपना रुख शहरों की ओर कर दिया है क्योंकि उन्हें खाने के लिए जंगलों में कुछ नहीं मिलता। पहले प्राचीन युग थे, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, तो लोग मक्की और चने बन्दरों को खाने के लिए डालते थे और बन्दर उन्हें खाकर अपने स्थान तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब लोगों ने बन्दरों को मक्की और चने डालना बन्द कर दिया है इसके कारण बन्दर लोगों के घरों में झपट रहे हैं। कई जगह तो ऐसा भी देखने में आया है

कि बन्दर फ्रिज खोलकर भी खाने का सामान निकाल लेते हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा सुझाव रहेगा कि यदि जंगलों में फलदार पौधे लगाए जाएं , तो उचित रहेगा। मैंने तो प्रयास भी किया था जब मैं बैजनाथ में दधोल में पंचायत में कार्यरत था , तो मैंने बन्दरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ा भी , लेकिन समस्या वही आई , हम गाड़ी को भेजते थे, लेकिन गाड़ी वहां तक नहीं पहुंचती थी और उसको रास्ते में अनलोड कर दिया जाता था। फिर वही समस्या हमारे सामने आई। बैजनाथ से भी बंदर ऐक्सपोर्ट हुआ करते थे। आदरणीय धूमल जी ने ठीक कहा कि अगर मामला केन्द्र सरकार से उठाया जाए---------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

08/12/2014/1745/MS/JT/1

श्री किशोरी लाल जारी-------

धूमल जी ने ठीक कहा कि अगर मामला केन्द्र सरकार से उठाया जाए और बंदरों का एक्सपोर्ट हो तो इससे भी समस्या में काफी कमी आएगी।

इसी तरह से आवारा पशुओं की बात है। ये आवारा पशु किसके हैं? ये पशु हमारे ही हैं। हमारे पशु पालन विभाग में जो डॉक्टर कार्यरत्त हैं , वे जब पशु नया दूध देने वाला होता है तो उसे कई-कई बार इंजैक्शन लगाते हैं। क्या ऐसे कारण हैं कि जो पशु नया दूध नहीं देता यानी जब पशु का दूध सूख जाता है तो उसे आवारा छोड़ दिया जाता है। स्वाभाविक है कि आज तुड़ी का भाव 8-10 रूपये किलो है इसलिए आज किसान उनको छोड़ने को मजबूर है। इस प्रदेश में सरकार ने पूर्व में एक ऐसी स्कीम चलाई थी कि ऋण के माध्यम से जिनके पास दो खेत नहीं हैं , उनको भी गाय बांध दी। यही कारण है कि गऊएं अब आवारा रूप में आपके शहरों में हैं। गायों से समस्या कम है लेकिन जो सांड है, वे लोगों को मारते हैं और इस कारण से कई लोग मौत का ग्रास भी बने हैं। क्या यह सही नहीं है कि पावर ट्रैक्टर की वजह से भी लोग बैल नहीं पाल रहे हैं। लेकिन फिर भी बैल इतने अधिक नहीं है जितनी आवारा गऊएं हैं। इसलिए गायों के लिए गौ-सदन बनाए जाएं। हमने बैजनाथ में इस दिशा में प्रयास किया है। वहां हम चार नये गौ-सदन खोल रहे हैं। वहां का जो परिणाम आएगा, वह आप सब लोगों के सामने होगा। लोगों की इस बारे में काफी दिलचस्पी है। लोग गौ-सदन बनाना चाहते हैं। एक गौ-सदन हमने शिव मंदिर ट्रस्ट बैजनाथ में चलाया हुआ है और उसके अच्छे परिणाम आए हैं। एक और गौ-सदन हम वहां और खोलने वाले हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि जो मंदिर या ग्राम पंचायतें इसमें दिलचस्पी रखती हैं ,

वे गौ-सदन खोलें और किसान भी अगर एक-एक गाय को अपने घर में बांध ले तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जहां हम दो पशु पालते हैं वहां एक और पशु अगर हम पाल लें तो इससे प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या हल हो सकती है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा।

08/12/2014/1745/MS/JT/2

जहां तक आवारा कुत्तों की बात है। मैं भी पंचायत का प्रधान रहा हूं। उस समय भी आवारा कुत्ते हुआ करते थे। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमें गोलियां मिलती थीं। हम उन गोलियों को कुत्तों को देते थे। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसका समाधान निकल सकता है यदि स्वास्थ्य विभाग फिर से इन दवाइयों को शुरू करे। मैंने खुद ऐसा किया है। हम स्वास्थ्य विभाग से गोलियां लेकर बकरों की आंतड़ियों में डाल देते थे और कुत्तों को देते थे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसका समाधान हो सकता है।

इसके साथ ही जो आवारा कुत्ते हैं, ये किसके हैं? ये हमारे हैं। यदि स्वास्थ्य विभाग दवाइयां उपलब्ध करवा दे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। समस्या तब गम्भीर होती है जब कोई आवारा कुत्ता किसी दूध देने वाली गाय को काटता है और उस दूध को परिवार के सदस्य पी लेते हैं तो पूरे परिवार को इंजैक्शन लगवाने पड़ते हैं। उस वक्त जान बचानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि ये जो आवारा कुत्ते हैं इनको मारने के लिए फिर से दवाइयां उपलब्ध करवाई जाए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

08/12/2014/1745/MS/JT/3

उपाध्यक्षः अब चर्चा में डॉ0 राजीव सैजल जी भाग लेंगे।

डॉ0 राजीव सैजलः उपाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश की पूरे देश के शांत प्रदेशों में गणना होती है और यहां किसी प्रकार का कोई आतंक या ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की पसन्द है। अगर आज इस प्रदेश के अन्दर कहीं से चुनौती या मैं कहूं कि सबसे बड़ा खतरा है तो वह बंदरों के कारण और आवारा कुत्तों के कारण है। हम जानते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान

प्रदेश है और अगर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

8.12.2014/1750/जेके/जेटी/1

डा0 राजीव सैजलः------जारी------

नौकरी-पेशा में भी यहां से कम लोग है, सेना में भी कम लोग हैं और कृषि पर ही लोग अपनी आजीविका पर निर्भर हैं। आज बड़े पैमाने पर हमारे प्रदेश में बन्दर हैं। पहले तो यही सुनने को मिलता था कि पहाड़ी क्षेत्रों में ही बन्दर होते हैं, लेकिन अब तो मैदानी इलाकों में बन्दरों का आतंक पूरी तरी से व्याप्त है। बहुत ही सार्थक चर्चा इस मुद्दे पर इस माननीय सदन में हो रही है। यह चर्चा इस प्रकार से हो रही है कि केवलमात्र हम इसमें सहभागी नहीं है। आज पूरे प्रदेश के लोगों की और जीमीदारों की नज़रें हमारे ऊपर लगी हुई है कि हमारे प्रतिनिधि इस समस्या को कितनी गम्भीरता से सदन के अन्दर उठा रहे हैं। कल जब समाचार-पत्रों में यह चर्चा छपेगी तब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लोग समाचार-पत्रों के अन्दर देखेंगे कि हमारे प्रतिनिधि ने इस बात को सदन के अन्दर कितनी गम्भीरता से रखा है। एकमात्र ऐसा मुद्दा जिसमें पक्ष और विपक्ष एक कंठ से इसके महत्व की गम्भीरता को समझ रहे हैं। यह भी एक प्रकृति का हिस्सा है। पशु, पक्षी, हम और वनस्पिति हम सब प्रकृति का हिस्सा है। जब से ईश्वर ने यह प्रकृति बनाई है तब से सह-अस्तित्व सबका रहा है। लेकिन जब -जब इस सह-अस्तित्व को खतरा हुआ है और जब-जब चुनौति बनी है, इन-बेलैंस हुआ है, मैं समझता हूं कि यह समस्या हमारी ही बनाई हुई है। अगर इस समस्या का कोई जिम्मेदार है तो वह व्यक्ति है। जंगलों का हमने सफाया कर दिया। प्रकृति के प्रति हम जागरूक नहीं रहे। यह खतरा आगे क्या होने वाला है, इसका हमें भान नहीं था और इसका हमें ज्ञान नहीं था। आज जब यह समस्या मूंह बाय खड़ी है तो हम सभी लोग परेशान है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने देश व प्रदेश में इस तरह की समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है। इस तरह की समस्याएं विदेशों में भी आई हैं। आस्ट्रेलिया और न्युजिलैंड में कंगारू को राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव भी प्राप्त है। वहां पर भी इनसे इन-बेलैंस हुआ और वहां भी बहुत ज्यादा कंगारू हुए। वहां पर मेसिव कलिंग ऑफ कंगारुज का सरकार ने निर्णय लिया। हालांकि वह वहां का राष्ट्रीय पशु था लेकिन मेसिव कलिंग के बाद वह जो प्रोपोरशन उन्होंने तय किया है कि इतनी आबादी में इतने कंगारू होने चाहिए वे उस संख्या पर पहुंच करके

8.12.2014/1750/जेके/जेटी/2

उन्होंने उस समस्या को खत्म किया और आज वह समस्या वहां पर नहीं है। आज इस सदन में इस बारे में धार्मिक भावना का भी उल्लेख हुआ है। बन्दरों की तुलना सुग्रीव से, बाली से और हनुमान जी से होती है। यह चर्चा सुन कर मुझे भी थोड़ा सा दुख हुआ है। माननीय भारद्वाज जी ने कहा कि वह बन्दर नहीं थे। हनुमान जी के लिए शास्त्रों में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उनको उसमें कहा कहा है कि ज्ञानीनांम अग्रगणम् । ज्ञानियों में यदि सबसे आगे जिसकी चर्चा होती है, सब शास्त्रों के ज्ञाता, आध्यात्म ज्ञान के ज्ञाता यदि कोई है तो वह हनुमान जी हैं। ज्ञानियों के सर्वोपरि हनुमान जी हैं। नल व नील श्रेष्ठ इंजीनियर थे। वे भी वानर जाति से थे। राम सेतू का निर्माण उन्होंने किया था। उनके निर्माण की अदभुत कला थी। जिस वास्तुशास्त्र शिल्प का उनको ज्ञान था आज भी उसके अवशेष विज्ञान ने सेटेलाईट के माध्यम से प्रकाणित किया है कि राम सेतू का अस्तित्व आज भी है। जो इस देश के महान् लोग रहे हैं, देवता रहे हैं उनकी तुलना इस तरह से नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे सामने यह चुनौति है। हमें चुनौति से निपटना चाहिए। यह जो चुनौति यहां पर है, इस सन्दर्भ में कई लोग बन्दरों के आधार पर मुख्य मंत्री बनने के मंसूबे पालने लग गए हैं। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बन्दरों का तो आज ईलाज करें ही लेकिन साथ में ऐसे लोगों का भी जरूर ध्यान रखें । ये लोग बन्दरों का मुद्दा बना करके इस प्रदेश का मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं यह बात मज़ाक के तौर पर कह रहा हूं, मैं कोई गम्भीर बात नहीं कर रहा हूं।

श्री एस.एस.द्वारा जारी......

8.12.2014/1755/SS-JT/1

डॉ राजीव सैजल क्रमागतः

मेरा निवेदन रहेगा और प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने बहुत बढ़िया निर्णय उस समय लिये थे। नसबन्दी बहुत इफैक्टिव ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर हुई। मुझे लगता है कि नसबन्दी को जैसे पिछले सरकार ने गम्भीरता से पूरे प्रदेश के अंदर करने का प्रयास किया था और हुई थी, उसी गम्भीरता के साथ वह इस बार भी होनी चाहिए। जैसा यहां कहा जा रहा है कि नसबन्दी के बाद वे ज्यासदा एग्रैसिव हो जाते हैं या ज्याजदा आक्रामक हो जाते हैं इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मुझे तो लगता है कि नसबंदी के बाद ज्या दा डोसाइल हो जाते हैं। उसका कोई वैज्ञानिक आधार

नहीं है कि हम इस नसबन्दी की प्रक्रिया को चैलेंज करने लगें। नसबन्दी होनी चाहिए। जैसा कि सुझाव आया कि फलदार वृक्ष ज्या्ेदा लगें। जिस प्रजाति के वृक्ष को बन्दर ज्या्ादा खाते हैं व्यापक पैमाने पर पूरे प्रदेश के जंगलों के अंदर ऐसे वृक्षों का रोपण हो । जैसा यहां ज़िक्र हुआ कि जब चिन्तपुरनी आते हैं तो वहां पर ऐसी समस्या है। ऐसी समस्या मेरे यहां भी है कालका से अगर आप प्रवेश करें और शिमला की ओर जाएं। हालांकि वन विभाग ने बड़े-बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि बन्दरों को खिलाने-पिलाने से बचना चाहिए। पर्यटकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप आज भी जा कर देखें तो बहुत से लोग जो शिमला से चंडीगढ़ की तरफ आते-जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कोई उनको केला दे रहा है, कोई चना फेंक रहा है, कोई ब्रैड दे रहा है। सारे के सारे बन्दरों का डेरा नेशनल हाईवे के समीप रहता है। एक स्कूटर सवार धर्मपुर से परवाणू की ओर जा रहा था तो एक बन्दर का बच्चा उसके स्कूटर के नीचे आ गया। बन्दर का बच्चा मर गया तो पूरे-के-पूरे बंदर के दल ने स्कूटर सवार पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कोई सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें दंडित किया जाए तथा उनको जुर्माना लगाने का प्रावधान भी हो। अगर हम इसको इफैक्टिव ढंग से कर पायेंगे तो ये जो सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं और जिस प्रकार से आम आदमी बन्दरों के आक्रमण का शिकार होता है उससे बचाव हो सकता है।

8.12.2014/1755/SS-JT/2

आवारा पशुओं की समस्या भी हमारी अपनी दी हुई समस्या है। गाय बांझ हो जाती हैं। उसके बांझ होने का एक मुख्य कारण तो जो ऑक्सीटोसिन इंजैक्शन ज्या दा दूध देने के लिए इंजैक्ट किया जाता है वह है। उससे गाय का सारा मास विषाक्त हो जाता है। जब वह मर जाती है और उसको जो वल्चर खाते हैं वे आज गायब हो गए हैं। जिनको हम नेचुरल स्क्वैंजर कहते हैं जो पूरे वातावरण को साफ रखते थे, आज विषाक्त मास को खाने की वजह से उन वल्चर की स्पीसिज़ भी लुप्त होती जा रही हैं। ऐसे केन्द्र हमें खोलने पड़ रहे हैं कि इस प्रजाति को बढ़ाया जाए। यह ऑक्सीटोसिन गांव में हर जगह उपलब्ध है। जो छोटे-छोटे प्रैक्टिसनर्ज़ हैं उनके पास ऑक्सीटोसिन की वाइल्ज़ मिल जायेंगी। जमींदार उसका प्रयोग कर रहे हैं। दुग्ध पालक इनका प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा -सा अपने

किसानों/दुग्ध पालकों को एजुकेट करने की आवश्यकता है। उनको ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान के अभाव में वे ऑक्सीटोसिन का प्रयोग कर रहे हैं।

दूसरा आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान की बात है। बैलों की क्षमता कम हो जाने से आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन ज़रूरी होता है। जो एक्सपर्ट नहीं है जिनको उस प्रक्रिया का पूरा ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन करनी है उस इंजैक्टेबल के माध्यम से वे यूटरस के अंदर इंफैक्शन पहुंचा देते हैं और वह यूटरस गर्भाधान के योग्य नहीं रह जाता तो मुझे लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन करने वाला व्यक्ति है वह ट्रेंड हो। उसको ट्रेनिंग दी जाए ताकि उससे किसी प्रकार की कोई गलती न हो। बहुत अच्छे ढंग से यह प्रक्रिया हो उससे गाय के बांझ होने के मामलों में थोड़ी कमी आयेगी और इस समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है।

प्रो0 धूमल जी की पिछली सरकार के कार्यकाल में हम सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर अम्बेदकर भवन बनाए गए थे। आज मैं देखता हूं कि अभी यहां खनियारा में मैं रह रहा था, वहां पर मुझे आवास आबंटित किया गया था, उसके

8.12.2014/1755/SS-JT/3

बिल्कुल पास में अम्बेदकर भवन बना हुआ है। वह वहां पर पब्लिक एक्टिविटी का केन्द्र है।

जारी श्रीमती के0एस0

08-12-2014/1800/केएस/जेटी/1

डॉ0 राजीव सैजल जारी---

हर निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर अम्बेदकर भवन बने हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार पिछली सरकार के समय में पूरे प्रदेश के अन्दर अम्बेदकर भवन बने उसी प्रकार हर निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर आप गऊशालाएं बनवाएं क्योंकि गाय हमारे धर्म का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है। सिख, संत, निरंकारी संत अनेकों संतों ने इस देश के अन्दर हमारे धर्म के प्रतीक की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए अपने सिर कटाए। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर हर निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर गौसदन बन जाएं तो आवारा पशुओं की समस्या का समाधान हो सकता है। मैं देखता हूं कि सड़कों पर जो आवारा पशु चले होते हैं, रात के समय तेज गति से चलते हुए वाहन उनसे टकरा जाते हैं और हमारी गाय या

आवारा पशु तड़प-तड़प कर सड़कों पर ही अपने प्राण त्याग देते हैं। आज इस सम्बन्ध में बहुत ही अच्छे सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आए हैं। मैं अपना वक्तव्य इन्हीं सुझावों के साथ समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

08-12-2014/1800/केएस/जेटी/2

अध्यक्षः अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री बिक्रम सिंह जरयाल बोलेंगें।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो आज इस माननीय सदन में नियम 130 के अन्तर्गत आदरणीय श्री महेश्वर सिंह जी और श्री सुरेश भारद्वाज जी ने प्रस्ताव लाया है, यह प्रदेश के लिए बहुत ही गम्भीर विषय है। बन्दरों, आवारा पशुओं का जो आतंक है, वह कृषक, बागवान, पशुपालक, भेड़ पालक, गावं व शहर में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए बहुत गम्भीर समस्या बन चुकी है। मेरे से वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने काफी गहराई से इस समस्या के ऊपर अपने विचार रखे। हमारे जिला चम्बा में एक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बंदरों के अलावा और भी बहुत से जंगली जानवर हैं जो कि फसलों व बागवानी को नुक्सान पहुंचाते हैं। जैसे लंगूर हैं, भालू है, एक बकरी की तरह ही जानवर है जिसको हम जंगली बकरी बोलते हैं। इन जानवरों का हमारे क्षेत्र में बहुत आतंक है और जो हमारे निचले इलाके हैं, उनमें बंदर भी हैं, सूअर भी है, एक छोटा सा जानवर होता है जिसके तीर की तरह पंख होते हैं जिसको हम पहाड़ी भाषा में शैल बोलते हैं और गीदड़ है । हम कोई भी फसल उगाएं, मक्की, अदरक, हल्दी, गेंहू व धान सभी फसलों को ये जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। यह बहुत गम्भीर विषय है । पिछली माननीय प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार के समय प्रावधान किया जा रहा था कि बन्दरों को मार दिया जाए तो कुछ एन.जी.ओज़. कोर्ट में चले गए और इस पर प्रतिबन्ध लग गया। इसके अलावा भी जैसे सूअर, शैल, भालू या चीता जो कि भेड़ पालकों को भी और गाय व भैंसो को भी नुक्सान पहुंचाता है, अगर किसान, बागवान इन जानवरों को मारते हैं, इनके अपने खेत में मर जाए तो अच्छी बात है लेकिन अगर वह बाहर मरते हैं तो उनके ऊपर केस बन जाता है । एफ.आई.आर. होती है और उनको उसको कोर्ट में भुगतना पड़ता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय सदन से अनुरोध करूंगा कि इस नियम के तहत भी विचार किया जाए और इसमें ढील दी जाए ताकि जिन

किसान व बागवानों के पास अपनी बन्दूकें हैं वे अपनी भेड़ों, बकरियों, भैंसों और अपनी कृषि व बागवानी का अच्छी तरह से संरक्षण कर सके।

08-12-2014/1800/केएस/जेटी/3

अध्यक्ष महोदय, रही बन्दरों की नसबन्दी की बात तो हमारी सरकार के समय में बहुत से बन्दरों की नसबन्दी हुई थी तो जैसे सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि नसबन्दी के बाद बन्दर बहुत एग्रैसिव हो जाते हैं तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से विशेष अनुरोध रहेगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

08.12.2014/1805/jt-av/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल ------- जारी

विशेष अनुरोध रहेगा कि जब बंदरों की नसबंदी की जाती है तो इस पर दोबारा चैक भी होना चाहिए। यह जरुरी नहीं कि जिस बंदर की नसबंदी की गई है वह सफल रही है। जैसे पिछली सरकार के कार्यकाल में माननीय धूमल जी ने प्रदेश की हर पंचायत में वैटैरिनरी डिस्पैंसरीज खोली थी। उसी प्रकार प्रदेश के हर निर्वाचन क्षेत्र में गौ -सदन खोले जाएं ताकि आवारा गायों को वहां रखा जा सके और उनका निरीक्षण किया जा सके। आजकल आवारा गाय क्यों है ? इसका मुख्य कारण यह है कि गाय एक बार बच्चे को जन्म देकर दूध देती है मगर जब उसको दोबारा टीका लगता है तो वह इफैक्टिव नहीं होता और गाय दूध देना बंद कर देती है। इस कारण से लोग उनको आवारा छोड़ देते हैं। जैसे धूमल जी कह रहे थे कि अब लोग बैलों को भी आवारा छोड़ रहे हैं। यह बात सही है क्योंकि किसानों ने जंगली जानवरों के आतंक के कारण जब कृषि करना ही छोड़ दिया है तो बैल किस काम के रहेंगे। फिर बैलों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर हमारी कृषि जंगली जानवरों से सुरक्षित रहेगी तो हम बैल भी पालेंगे। अगर हम कृषि के काम शुरु कर देंगे तो उसमें गोबर भी पड़ेगा और हम खेतों में बैल भी जोतेंगे। इस विषय पर सभी सदस्यों ने काफी गहराई से अपने विचार रखें हैं इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।

आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

08.12.2014/1805/jt-av/2

अध्यक्ष : यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर बहुत लम्बी चर्चा हो चुकी है। मैं अब माननीय वन मंत्री जी से कहूंगा कि आप इस पर अपना उत्तर दें।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह और श्री सुरेश भारद्वाज द्वारा उठाये गये विषय पर टिप्पणी निम्न प्रकार से हैः-

यह बहुत ही गम्भीर मसला है और प्रदेश की जनता व किसानों से जुड़ा हुआ है। आज हम सभी इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं इसके लिए दोनों माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने सदन के अंदर चर्चा हेतु ऐसा गम्भीर मुद्दा लाया है। यहां पर माननीय धूमल जी और दूसरे मेरे सभी विधायक साथियों द्वारा जितने भी सुझाव दिए गए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। इस विषय पर सरकार पहले ही बहुत गम्भीर है और इसका हल ढूंढने के लिए बखूबी कोशिश करेगी। जहां तक वानरों और दूसरे जंगली जानवरों का सवाल है तो जैसे यहां पर कहा गया कि जब नेचर के साथ टकरायेंगे तो नेचर अपना खेल खेलेगी। जैसे जंगलों के बारे में यहां पर चर्चा हुई है। अगर हम सारे प्रदेश में जंगल समाप्त कर देते हैं----

श्री बी.जे.द्वारा जारी

08.12.2014/1810/**नेगी**/**ए.जी.**/1

माननीय वन मंत्री महोदय.. जारी..

अगर सारे प्रदेश में जंगल समाप्त कर देते हैं,सीमेन्ट के कंक्रीट खड़े कर देते हैं तो क्लाइमेटिक चैंजिज आएगी । हिमाचल प्रदेश के लोअर बेल्ट यानि 4500 फुट की हाईट पर एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। वहां पर लैंटाना बूटी खेतो में भी और जंगलों में भी आ गई है जिससे जो फलदार झाड़ियां थी और फलदार पौधे थे, वे सारे समाप्त हो गए। चील, खैर या जो बड़े ऊंचे वृक्ष हैं वही इससे बचे हैं, अदरवाइज़ सारी झाड़ियां और छोटे पौधे खत्म हो गए हैं। जंगलों में जानवरों के लिए जो फूड था, जिसको जंगली जानवर खाते थे , वे अब खत्म हो गए हैं। इस कारण वानर सड़कों पर आ गए और केले व चने पर मुनसर हो गए। हमारे किसान भाई जो फसल बीजते हैं उनको भी वे नुकसान पहुंचाते हैं । बन्दर आदमियों को भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं और स्कूल के बच्चों को भी तंग करने लगे हैं। इसका हल हम सबको मिल कर निकालना पड़ेगा। सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हैं। जंगलों में जो झाड़ियां थी और जो फलदार पौधे थे उनको दोबारा से लगाया जाए । सरकार ने यह फैसला लिया और प्रिवियस सरकार ने भी यह फैसला लिया था कि जंगल में 60

परसेन्ट फौडर प्लांट लगाया जाए और 40 परसेन्ट फलदार पौधे और हर्बज़ लगाए जाएं। यह प्रथा दो साल से शुरू है । उसके साथ-साथ बारवर्ड वायर व लोहे के खम्बे से जो 3 साल के लिए प्रोटेक्शन होती थी उसको अब 5 साल के लिए कर दी गई । पहले जो लकड़ी के खम्बे लगाए जाते थे वे 6 महीने के बाद सड़ जाते थे और तारें गिर जाती थी और फिर जो भी पौधे लगाते थे वे उज़ड़ जाते थे। तो उसका भी उपाय किया गया है । जब प्लांटेशन करते हैं तो पहले उसमें जो घास उगता है, उसकी गुढ़ाई नहीं करते थे, उसको मैल नहीं देते थे , इसका भी अब प्रावधान किया गया है और इसके लिए बजट का भी प्रावधान किया गया है। लैंटाना को रिमूव करने के लिए प्राइवेट तौर पर भी और सरकारी तौर पर भी फोरेस्ट डिपार्टमैन्ट युद्धस्तर पर कार्य कर रहा है और मनरेगा के द्वारा भी लैंटाना को सदा के लिए खत्म करने का कार्य चल रहा है । पिछले 2 वर्षों में 10 करोड़ रूपये लैंटाना को रिमूव करने के लिए बजट का प्रावधान रखा गया था। मनरेगा में भी करोड़ों रूपये इसके लिए खर्च कर

08.12.2014/1810/नेगी/ए.जी./2

दिया है। उसके बाद 25 करोड़ रूपये इस साल बजट में प्रावधान है ताकि फलदार पौधे लगे और फिर जंगली जानवर वापिस जंगलों में चले जाएं। जैसे प्रिवियस सरकार ने स्ट्रेरिलाइजेशन सेन्टर खोले थे और वहां पर मेल और फिमेल का स्ट्रेरिलाइज़ेशन होती है । इसपर मेरे विधायक साथियों की तरफ से यह सवाल आया कि जहां स्ट्रेरिलाइज़ेशन करते हैं फिर उनको वहीं छोड़ देते हैं । उनको वहां नहीं छोड़ते हैं , उनको वहां छोड़ते हैं जहां से पकड़ कर लाते हैं। अगर कहीं इस किस्म की कोताही पायी गई तो जैसे सुझाव आया है , एक आफिसर की सेन्टर वाइज़ डियूटी लगायी जाएगी कि वह यह देखें कि जब बन्दरों को ट्रक में ले करके जाते हैं तो उनको जहां से लाया उसी स्थान पर छोड़े जाएं न कि स्ट्रेरिलाइज़ेशन सेन्टर के पास छोड़ें । जिससे वे वहां के लोगों को तंग करें। यह इन्श्योर किया जाएगा, आपका यह सुझाव बिल्कुल बढ़िया है । ...(व्यवधान)... अगर ऐसा हुआ है तो आगे के लिए ऐसा नहीं होने देंगे।

जहां तक भाई महेश्वर सिंह जी ने सवाल उठाया है, वाइल्ड लाइफ ऐक्ट के अनुसार सेन्चुरी क्षेत्र में बन्दूक का लाइसैंस नहीं दिया जा सकता। हमारी सरकार ने

युक्तिकरण कर 775 गांवों को सेन्चुरी क्षेत्र से बाहर किया है। आपने भी प्रयास किए लेकिन उस वक्त हुआ नहीं। जैसे ही हमारा टाईम आया तो हमने किया।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

08-12-2014/1815/यूके/एजी/1

वन मंत्री---- जारी-----

जैसे ही हमारा टाईम आया तो उस वक्त किया। आपने उस वक्त ऐफर्टस किए थे। आपने केस भेजा था। तो हमने सी0सी0सी0 से रिकवैस्ट की और उसके बाद ये (व्यवधान)

श्री महेश्वर सिंहः आपने यह कहा कि युक्तिकरण करने के बाद वाईल्ड लाईफ सैंचुरी के 10 किलोमीटर के रेडियस के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। जबकि मेरा कहना यह है कि उन्हीं लोगों को प्रोटैक्शन की ज्यादा जरूरत होती है तो उनको भी लाइसेंस मिलना चाहिए।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो इनका सुझाव आया है मैं इसको आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाऊंगा तो इस पर जो भी बैस्ट पॉलिसी कानून के मुताबिक होगी उस पर अमल किया जायेगा।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, जो बन्दरों की आप बात कर रहे हैं, इस पर यह हाऊस जानना चाहता है कि इस पर आपने क्या सॉलिड पॉलिसी बनाई है। काफी वर्षों से यह विषय इस सदन में आ रहा है तो आपने क्या इस पर कोई पॉलिसी बनाई है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, श्री महेश्वर सिंह जी और श्री सुरेश भारद्वाज जी ने जो चर्चा यहां पर नियम 130 के अन्तर्गत उठायी है यह बहुत महत्वपूर्ण और बिल्कुल जन-जीवन से जुड़ी हुई बात है और जहां प्रदेश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है वहां कुछ ऐसी अन्दरूनी समस्याएं पैदा हो गयी हैं जिसकी वजह से किसान और गांव बहुत दुखी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक बंदरों का सवाल है या बंदरों को मारने पर जैसे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। मगर लोग संकोच की वजह से उनको नहीं मारते क्योंकि उसका नाम हनुमान के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ वर्षों की बात है , मेरे पास सिरमौर जिले के कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा कि बन्दरों ने आतंक फैला रखा है। तो मैने कहा कि उनको मारने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वे चले गये। कुछ अरसे के बाद जब मैं उस इलाके के दौरे पर

08-12-2014/1815/यूके/एजी/2

गया तो वे लोग बड़े खुश थे, उन्होंने कहा कि हमने उनको मार कर अच्छे से धर्म कर्म के साथ उनको दफना दिया। मगर ऐसा करने में कुछ लोग संकोच भी करते हैं क्योंकि हनुमान के साथ उनको जोड़ा गया है। इसके लिए एक ही तरीका है कि या तो उनको खत्म कर दिया जाए या हम उनकी नस्ल को, उनकी उत्पति को कम किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। Either they have to be eliminated और कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि उनकी आबादी न बढ़े। कुछ वर्षों पहले मैने पढ़ा था कि लंदन में एक जगह है त्रिफाल स्क्वेयर के नाम से वहां बहुत कबूतर होते थे और लोग उनको दाना डालते थे जिसकी वजह से उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ रही थी। तो वहां के म्यूनिसिपल कोरपोरेशन ने एक तरीका निकाला कि उन कबूतरों को जो दाना दिया जाता है उसमें कोई ऐसी दवाई मिला दें जिससे उनकी पैदाइश ज्यादा न हो। आज वह घट गए हैं और आज उन्होंने उस समस्या पर काबू पाया है। इसी तरह से बन्दरों को भी कम करने के लिए उनकी खुराक में कोई ऐसी चीज़ डाले जिससे उनकी पैदाइश रुक जाए। यह भी एक समस्या है।

एसएलएस द्वारा जारी ----

08.12.2014/1820/SLS-JT-1

और इसका हल निकलेगा और जल्दी-से-जल्दी निकलेगा। हम इस बारे में बहुत गंभीर है क्योंकि बंदरों की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। सही में यह गंभीर समस्या है। मैं दिल्ली में पिछले 4-5 सालों से जिस मकान में रहता हूं वहां भी बंदर पहुंच गए हैं। मैं अभी परसों वहां पर था और वहां भी बंदर पहुंच गए हैं। इसलिए बंदर शहरों में फैल रहे हैं, जंगलों में फैल रहे हैं और हिमाचल में हर जगह पर हैं। यह एक किसम से राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है, कम-से-कम उतरी भारत के अंदर। इसलिए इसका समाधान करना आवश्यक है।

हमने बंदरों के प्राकृतिक आवास को पुनः स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपये की योजना का प्रारूप तैयार कर भारत सरकार को भेजा है तथा उसके लिए भारत सरकार को धन उपलब्ध करवाने हेतु भी प्रार्थना की है। बंदरों से निजात हेतु प्रावधान, जैसे बंदरों को कुछ समय के लिए वर्मिन घोषित करना ताकि लोग अपनी सुरक्षा और अपनी फसलों की रक्षा हेतु बंदरों को बिना इज़ाज़त के मार सके ; यह मामला प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से उठाया है। 1.19 करोड़ रुपये भारत सरकार से अपेक्षित हैं जिससे बंदरों की नसबंदी के लिए मोबाईल बैनों का प्रावधान

किया जा सके जिससे कि मौके पर ही बंदरों की नसबंदी की जा सकेगी। इसकेअतिरिक्त इसमें कुत्तों की नसबंदी तथा कूड़ादान प्रबंधन का भी प्रावधान है।

जहां तक कुत्तों का प्रश्न है, उसमें दो तरीके हैं। या तो उनको मार दिया जाए या उनको पकड़ कर एक जगह पर रखा जाए। यह दो बातें हैं। पहले म्युनिसिपल कमेटियों में यह होता था कि जब कुत्ते ज्यादा होते थे तो उनको ज़हर देकर मारते थे और दफनाते थे। अब इसके बारे में भी देश के अंदर कहा जाने लगा कि यह कुत्तों के साथ अन्याय है, उनको मारो मत, उनकी रक्षा करो क्योंकि उन्हें भी जीने का हक है। यह कन्फलिक्टिंग सैंटिमैंट्स हैं। मगर मैं जानता हूं कि यह ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जहां तक आवारा गाएं हैं उनकी देखभाल के लिए उचित कदम उठाए जाएं। यह समस्या कैसे पैदा हुई है? यह हम लोगों ने ही पैदा की है। जहां पहले गऊ को माता का रूप मानते थे,

08.12.2014/1820/SLS-JT-2

उसकी पूजा-अर्चना करते थे, आज इंसार खुदगर्ज़ हो गया है। अगर ज़रूरत नहीं है तो उन्हें डंडा मारकर निकाल देते हैं। यह प्रवृत्ति केवल पशुओं के प्रति ही नहीं है बल्कि अब कई जगह पर बूढ़े माता-पिता के प्रति भी यही प्रवृत्ति है। जहां उनकी सेवा करें, देखभाल करें, वहां आज उनकी उपेक्षा की जाती है। आज लोगों की सोच में यह फर्क आ गया है। हमें चाहिए कि जो पशु जिनके पास है, उनको उनकी देखभाल करनी चाहिए। हमने गांव-गांव में जाकर पशुओं की गणना करने का कार्यक्रम बनाया था कि किसके पास कितने पशु हैं, उसके लिए रजिस्टर रखे जाएं। यह कैंपेन चला और बीच में रुक गया। यह भी कहा गया था कि जो पशु है उनको ब्रैंड किया जाए। जैसे मोटर-गाड़ी के ऊपर करते हैं, जिससे पता लगता है कि किस सब-डिविजन में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इससे यह मालूम हो जाएगा कि यह गाय या पशु किस पंचायत का है। जब इसको किया गया, यह तरीका इस्तेमाल हुआ तो लोगों ने, जहां पशु ब्रैंड हुआ था,

जारी..गर्ग जी

08/12/2014/1825/RG/JT/1

मुख्य मंत्री-----------क्रमागत

लोगों ने जहां ब्रैण्ड लगा था या ठप्पा लगा था, उसीको मिटाना शुरू कर दिया। अब एक नया तरीका आया है वह है चिप लगाने का। जिसको आटे की गोलियों के साथ

खिला दो, तो वह अंदर चला जाता है और बाद में उसकी स्कैनिंग की जा सकती है जिससे यह पता चल जाएगा कि यह पशु किस गांव का है और उसका मालिक कौन है और उसके बारे में सारा पता चल जाएगा। लेकिन यह भी एक बहुत खर्चे का प्रश्न है, तो यह भी किया जा सकता है। मगर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आदमी जिसका दूध पीते हैं, जो उसकी फसल को पैदा करते हैं , जिससे वे पलते हैं जब वह नकारा हो जाए, बूढ़ा हो जाए , तो उसको लात मारकर बाहर फेंक दो। यह हमारी प्रवृत्ति में फर्क आया है। मैं बीसियों नहीं सैंकड़ों परिवारों को जानता हूं, आज भी मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं, अच्छे-अच्छे घरानों के लोग, अच्छे खाते-पीते लोग भी अपने माता-पिता या दादा के साथ अच्छा सलूक नही करते और घर से अलग कर देते हैं। तो यह एक नई प्रवृत्ति खुदगर्जी की पैदा हुई है जो बहुत गलत बात है।

अध्यक्ष महोदय, एक और भी सुझाव दिया गया है कि प्रदेश में पशुओं के लिए गौशालाएं बनाई जाएं। यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रदेश में जो मंदिर न्यास है वह अपनी-अपनी आय का कुछ हिस्सा पशुओं के कल्याण के लिए दें ताकि पशुशालाएं बनाने में मदद हो जैसे कि सराय बनाई जाती हैं। यह एक अच्छा सुझाव है। मैं तो यह चाहूंगा कि इसमें समाज को आगे आने की आवश्यकता है और जो लोग पशुशाला या गौशाला चलाना चाहते हैं उनकी मदद की जाए, उनको जमीन दी जाए, उनको इसके लिए मौका दिया जाए, उनकी आर्थिक मदद भी की जाए ताकि वे पशुशालाएं बनाएं और उन्हें चलाएं। उससे कई फायदे हैं। काफी हद तक जो स्ट्रे कैटिल्ज हैं उनका उपयोग या उनसे फायदा मिलेगा , लेकिन स्ट्रे कैटिल्ज का सिलसिला बन्द नहीं होगा। यह तो रोज़ की समस्या है । यह जानना जरूरी है कि यह किसका पशु है, किसने उसको बाहर निकाला है ताकि उसके ऊपर जिम्मेवारी डाली जा सके नहीं तो यह अनब्रेकिंग चेन है, यह तो चलता ही रहेगा। आप जितने भी पशु या गौशालाएं बना दें , यह तो चलता ही रहेगा। गौशालाएं भर जाएंगी और फिर आवारा पशु सड़कों पर मिलेंगे। इसलिए जैसा मैंने कहा कि यह अनब्रेकिंग चेन है, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। मैं इस हक़ में हूं कि यहां पर गौशालाएं बनाई जाएं और इसके लिए सरकार यथासंभव प्रयास करेगी और जो भी संस्था इनको चलाने के लिए आगे आएंगी और छोटी-छोटी संस्थाएं चलाने के

08/12/2014/1825/RG/JT/2

बजाय, हम कहेंगे कि कम-से-कम 200-500 या 1000-2000 गायों को एक साथ रखने की क्षमता रखते हैं , इस किस्म की गौशालाएं बननी चाहिए , तो उसमें फायदा है। इस किस्म की संस्थाएं बननी चाहिए। मैंने देखा है कि कई गौशालाओं में इन पशुओं को नकारा करके छोड़ दिया था वहां फिर उन्होंने फिर से बच्चे दिए हैं, दूध देना शुरू किया है। किसी ने यह कहा कि क्या बात है कि गाय आजकल एक ही बच्चा देती है उसके बाद नकारा हो जाती है। पिछले वर्षों में अनट्रेंड लोगों को वैटरीनरी में फार्मासिस्ट बनाया है, किसी ने संस्था खोल दी न उसके पास गाय और न बैल है न कोई उसके पास पालतू कुत्ता है और उनको सर्टिफिकेट देकर नौकरी दे दी गई--------------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

08/12/2014/1830/MS/JT/1

मुख्य मंत्री जारी----------

लोग कहते थे कि इनको हमारे पास मत भेजो, ये जो टीका पशुओं को लगाते हैं उससे हमारे पशु खराब हो जाते हैं। Untrained people have been recruited.एक संस्था शायद सोलन के पास है, वहां से सैंकड़ों तथा-कथित ट्रेंड लोगों को नौकरी दी गई। उनमें से 90 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको अपना काम करना नहीं आता है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लोग कहते हैं कि कृपा करके हमें ये वैटरीनरी फार्मासिस्ट नहीं चाहिए। ये हमारे पशुओं को उल्टा टीका लगाकर उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हमें वैटरीनरी डिपार्टमैंट को स्ट्रेंथन करना है। हमें अच्छे ट्रेंड वैटरीनरी फार्मासिस्ट्स को रखना है। जो ऑलरैडी अनट्रेंड या हाफ ट्रेंड हैं, जिनको ट्रेनिंग ही नहीं दी है या जिनको थ्योरिटिकल ट्रेनिंग दी है , प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी है, उनको दुबारा से ट्रेंड करने के लिए भेजना पड़ेगा। क्योंकि उनको नौकरी में रख लिया है, अब उनको बाहर तो नहीं किया जा सकता। कितने पशुओं को उन्होंने बर्बाद किया, इस बात को या तो वे जानते हैं या किसान जानते हैं या भगवान जानता है। अब उनको दुबारा ट्रेंड करके फिर फिल्ड में भेजा जाए, यह सरकार का कार्यक्रम है। हमने यह फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर शीघ्र ही इसको इम्प्लीरमैंट करने के लिए गौवंश सम्वर्द्धन बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें गाय और बैल सब आ जाते हैं। यह गौवंश सम्वर्द्धन बोर्ड पशुपालन डिपार्टमैंट के अण्डर होगा और यह बोर्ड की जिम्मेवारी होगी कि वह जगह-जगह गौशालाओं को प्रमोट

करे। समाज-सेवकों के साथ मिलकर या जो धनाड्य लोग हैं, फिलंथ्रोपिस्ट्स या जो दूसरी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर इसे चलाएं। इसको सरकार नहीं चलाएगी बल्कि ये लोग चलाएंगे और उसके लिए जमीन का प्रावधान सरकार करेगी। जहां-जहां जमीन मिलेगी उसको लीज पर गौशाला बनाने के लिए सरकार प्रदान करेगी ताकि किसी हद तक इस समस्या का समाधान हो सके।

08/12/2014/1830/MS/JT/2

जहां तक बंदरों की बात है, अभी इसके बारे में सोचेंगे। जहां तक एक्सपोर्ट की बात है तो एक्सपोर्ट को बहुत पहले बन्द कर दिया गया था। अब उसमें कोई तरीका निकालना है ताकि उनकी पैदाइश कम हो। उसमें दो तरीके हैं, एक तो कलिंग है या कोई और तरीका भी हो सकता है। अगर महज आप बंदरों को मारेंगे तो उससे भी एक किस्म का जन मानस आगे चलकर इस पर विरोध कर सकता है because it hurts the sentiments of many people. तो उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा और सोचेंगे और सोचा भी जा रहा है। जो भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा निकाला जाएगा और लोगों को भी हमें यह बताना पड़ेगा कि आपके जो पशु हैं , भविष्य में भले ही मत रखो लेकिन जो अभी हैं , जब तक वे जीवित हैं , आप उनकी देखभाल करो। क्योंकि यह बहुत गलत मैंटेलिटी है कि जब तक तो वे फायदा दे रहे हैं , उनको रखो और जब वह फायदा नहीं दे तो उनको डण्डे मारकर भगा दो। बेचारे गांव वाले उनको डण्डा मारकर दूसरे गांव को भेजते हैं और दूसरे गांव वाले भी उनको डण्डा मारकर अगले गांव को भगा देते हैं। इस तरह से वे पशु बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। यह बहुत गलत बात है। हमारा जो मानवीय व्यवहार है , वह बदल रहा है। इसलिए मैं लम्बा - चौड़ा भाषण न देते हुए यही कहना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में जागरूक और चिन्तित है। हम सब इस समस्या को जानते हैं और हम चाहते हैं कि इसका जल्दी - से-जल्दी समाधान हो।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----------

8.12.2014/1835/जेके/जेटी/1

मुख्य मंत्रीः -----जारी-------

इसमें पक्ष और विपक्ष को मिल करके काम करना है। इसमें जो-जो सुझाव जिसके भी आएंगे उनका खुले दिल से विचार करेंगे और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे।

समाप्त।

8.12.2014/1835/जेके/जेटी/2

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, 9 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाह्न 1100 बजे तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176215 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 8 दिसम्बर, 2014 **सचिव।**